रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032025-261561 CG-DL-E-12032025-261561

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74] No. 74] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 10, 2025/फाल्गुन 19, 1946 NEW DELHI, MONDAY, MARCH 10, 2025/PHALGUNA 19, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

नई दिल्ली,10 मार्च, 2025

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. एडी (ओआई) -07/2024

विषय: चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और स्विटजरलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "विटामिन-ए पामिटेट" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणाम।

फा. सं. 06/07/2024-डीजीटीआर —समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली या नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

1645 GI/25 (1)

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

- 1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) को पिरामल फार्मा लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" या "याचिकाकर्ता" भी कहा गया है) से एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें चीन, यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विटामिन-ए पामिटेट (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध वस्तु" या "वीएपी" भी कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने की मांग की गई थी।
- 2. आवेदक द्वारा दायर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 06/07/2024-डीजीटीआर दिनांक 28 मार्च, 2024 के माध्यम से एक सार्वजिनक सूचना जारी की, जिसमें पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की पाटनरोधी जांच की शुरूआत की गई तािक संबद्ध वस्तु के किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी रािश की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए, तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।
- 3. पीयूसी हाल की अवधि में पाटनरोधी जांच के अधीन रहा है। इसका संक्षिप्त इतिहास नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	मूल/एमटीआर/ एसएसआर	डीजीटीआर अंतिम जांच परिणाम की तारीख	क्या डीजीटीआर ने शुल्क की सिफारिश की (हां/नहीं)	सीमा शुल्क अधिसूचना की तारीख	क्या वित्त मंत्रालय द्वारा शुल्क लगाया गया (हां/नहीं)	शुल्क का रूप	शुल्क दर
1	मूल	23-जनवरी-03	हां	7-मार्च-03	हां	संदर्भ कीमत	113.95 यूएसडी/केजी
2	मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर)	24- जनवरी -05	नहीं	7-मार्च-05	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	मूल	14-सितंबर-07	हां	30- अक्टूबर- 07	हां	नियत शुल्क	313 से 941 रू/केजी
4	निर्णायक समीक्षा (एसएसआर)	21-अगस्त-13	हां	13-नवंबर- 13	हां	नियत शुल्क	7.34 से 15.37 यूएसडी/केजी
5	मूल	9-फरवरी-24	नहीं, समापन	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ख. प्रक्रिया

4. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

- प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने की प्रक्रिया से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
- प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 28 मार्च, 2024 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- iii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों के जिरए उनकी सरकारों, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे विहित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।
- iv. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के जरिए आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति उपलब्ध कराई। जहां भी अनुरोध किया गया, आवेदन के अगोपीय अंश की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई।
- v. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, अन्य भारतीय उत्पादकों और घरेलू उद्योग को भी सूचना की एक प्रति भेजी थी और उनसे अनुरोध किया कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराएं। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी थी:
 - क) झेजियांग मेडिसिन कंपनी लिमिटेड
 - ख) सिनकेम इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड
 - ग) ज़ियामेन किंगडमवे जीआर कंपनी
 - घ) बीएएसएफ एसई
 - ड.) डीएसएम न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स एजी
- vi. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।
- vii. संबद्ध जांच अधिसूचना की शुरूआत के उत्तर में, संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करके जवाब दिया है:
 - क) सिनकेम इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड
 - ख) झेजियांग एनएचयू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
 - ग) एनएचयू (हांगकांग) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
 - घ) शांगयु एनएचयु बायो-केम कंपनी लिमिटेड
 - ड.) झेजियांग एनएचयू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
 - च) डीएसएम सिंगापुर इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड ("डीएसएम सिंगापुर")
 - छ) डीएसएम न्यूट्रीशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड ("डीएनपी एजी")

ज) डीएसएम न्यूट्रीशनल प्रोडक्ट्स यूरोप लिमिटेड

- viii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्घ वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजकर आवश्यक सूचना मंगाई थी:
 - क) बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड
 - ख) नंदलाल बंकटलाल प्राइवेट लिमिटेड
 - ग) कांतिलाल मणिलाल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
 - घ) सनराइज फार्मास्युटिकल
 - ड.) प्रोविमी एनिमल न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - च) डीएसएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - छ) कालगोव लैब्स लिमिटेड
 - ज) पल्स फार्मा
 - झ) डीएस बायोवेट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 - ञ) वेंकीज लिमिटेड
 - ट) प्रिस्टीन ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 - ठ) पीडी नवकार बायो-केम प्राइवेट लिमिटेड
 - ड) हेक्सागन न्यूट्रिशन लिमिटेड
 - ढ) जेलटेक प्राइवेट लिमिटेड
 - ण) सॉफ्टसूल प्राइवेट लिमिटेड
 - त) सॉफ्टजेल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 - थ) मद्रास फार्मा
 - द) यूएसवी प्राइवेट लिमिटेड
 - ध) एल्केम लैबोरेटरीज
- ix. संबद्ध जांच अधिसूचना की शुरूआत के उत्तर में, संबद्ध देशों के निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने निर्धारित समयाविध के भीतर प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करके जवाब दिया है:
 - क) डीएसएम न्यूट्रीशनल प्रोडक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("डीएनपी इंडिया")
 - ख) मेसर्स के सेवंतीलाल एंड कंपनी,
- x. इसके अलावा, के. सेवंती लाल एंड कंपनी, एक आयातक ने 5 जून, 2024 अर्थात 4 जून 2024 की विहित समय सीमा के बाद प्रश्नावली का उत्तर अपना उत्तर प्रस्तुत किया।
- xi. प्राधिकारी ने सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों और आवेदकों को एक आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली को प्रशासनिक मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया था। केवल आवेदकों और डीएनपी इंडिया ने आर्थिक हित प्रश्नावली प्रस्तुत की है। किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने प्राधिकारी द्वारा जारी आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

- xii. जांच शुरूआत अधिसूचना और आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति निम्नलिखित मंत्रालयों को भेजी गई थी। तथापि, प्राधिकारी को कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है:
 - क) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
 - ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- xiii. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का अगोपनीय अंश उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर उन सभी से इस अनुरोध के साथ अपलोड की गई कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश को ई-मेल कर दें।
- xiv. डीजी सिस्टम से क्षति अवधि तथा जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों का सौदा-वार विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने सौदों की उचित जांच के पश्चात आयात की मात्रा की गणना तथा अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- xv. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों ("जीएएपी") और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के आधार पर प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन और बिक्री की इष्टतम लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत ("एनआईपी") की गणना की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xvi. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि ("पीओआई") 1 अक्टूबर, 2022 से 30 सितंबर, 2023 (12 महीने) की है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में रुझानों की जांच में 2020-21, 2021-22, 2022-23 की अवधि और जांच की अवधि शामिल थी।
- xvii. 30 अप्रैल, 2024 को प्राधिकारी ने एक वर्चुअल बैठक आयोजित की थी, जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे और उत्पाद नियंत्रण संख्या ("पीसीएन") पद्धित पर अपनी टिप्पणियां देने के लिए आमंत्रित किया गया।
- xviii. इस जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर उनके, साक्ष्य से समर्थित होने और वर्तमान जांच से संगत माने जाने की सीमा तक, प्राधिकारी द्वारा उचित ढंग से विचार किया गया है।
- xix. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल कर दें।
- xx. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 18 अक्टूबर, 2024 को हाइब्रिड मोड में आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें, उसके बाद खंडन अनुरोध यदि कोई हो, तो प्रस्तुत करें।
- xxi. हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावों के पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है, जहां कहीं संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।
- xxii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया या अन्यथा उसे प्रदान नहीं किया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/अवलोकन दर्ज किए हैं।

- xxiii. प्राधिकारी ने इस चरण तक सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी तर्कों और सूचना पर उस सीमा तक विचार किया है, जहां तक वह साक्ष्य द्वारा समर्थित हों और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई हो।
- xxiv. पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच के आवश्यक तथ्यों को ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को 10 फरवरी, 2025 के प्रकटन विवरण के माध्यम से प्रकट किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को उन पर टिप्पणी देने के लिए 14 फरवरी, 2025 तक का समय दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन विवरण के संबंध में प्राप्त टिप्पणियों पर इन जांच परिणामों में उनके संगत पाए जाने और दोहराए नहीं जाने की सीमा तक विचार किया गया है।
- xxv. इस अधिसूचना में '***' किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- xxvi. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 83.25 रूपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

- 5. जांच शुरूआत के समय विचाराधीन उत्पाद को "विटामिन-ए पामिटेट" के रूप में परिभाषित किया गया था।
 - "3. वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद "विटामिन-ए पामिटेट" है, जिसमें विटामिन ए पामिटेट 1.7 एमआईयू/जीएम और विटामिन ए पामिटेट 1.0 एमआईयू/जीएम दोनों को इसकी सभी मात्राओं और रूपों में शामिल किया गया है, चाहे स्थिरीकरण सहित हो या या रहित। तथापि, केवल सांद्रता में अंतर होते हुए, विटामिन-ए पामिटेट 1.7 एमआईयू/जीएम और विटामिन-ए पामिटेट 1.0 एमआईयू/जीएम एक ही अंतिम उपयोग वाले उत्पाद उप-प्रकार हैं और तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय भी हैं।
 - 4. पीयूसी का दायरा विटामिन-ए पामिटेट 1.6 एमआईयू/जीएम को कवर नहीं करता है जिसका उपयोग पशु उपभोग के लिए किया जाता है और पीयूसी की तुलना में इसके अलग-अलग अंतिम उपयोग हैं"।

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 6. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. विटामिन-ए एसीटेट और पीयूसी तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।
 - क. विटामिन-ए एसीटेट और पीयूसी विटामिन ए अणुओं के अलग-अलग एस्टर के अलावा और कुछ नहीं हैं।
 - ख. विटामिन-ए एसीटेट और पीयूसी सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के सीटीएच 2936 2100 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं।
 - ग. दोनों के अंतिम उपयोग और अनुप्रयोग समान हैं और इनमें समान गुण हैं।

- विटामिन-ए एसीटेट. जिसे रेटिनाइल एसीटेट के रूप में भी जाना जाता है. पीले रंग के ii. क्रिस्टल या क्रिस्टलीय पाउडर के रूप में दिखाई देता है, जिसमें न्यनतम विटामिन ए गतिविधि 2.76 × 106 आईयू/जी होती है। इसे नाइट्रोजन में और ठंडे तापमान में रखने पर 12 महीने तक स्टोर किया जा सकता है।
- iii. रेटिनाइल पामिटेट, जो विचाराधीन उत्पाद है, वसा जैसा हल्का पीला ठोस या पीला तैलीय तरल है, जिसमें न्यनतम विटामिन ए गतिविधि 1.64 × 106 आईय/जी होती है।
- विटामिन ए का मूल अणु रेटिनॉल है। रेटिनॉल, किसी भी अल्कोहल की तरह इसकी iv. आणविक संरचना में -ओएच समूह होता है और इसकी प्रकृति एक अस्थिर यौगिक की है चूंकि यह बहुत अस्थिर है, यह अन्य बातों के साथ-साथ अपने एस्टर के रूप में मौजूद है। इसकी स्थिरता बढ़ाने के लिए. रेटिनॉल को इसके एस्टर में परिवर्तित किया जाता है. जैसे कि रेटिनाइल एसीटेट (विटामिन-ए एसीटेट) और रेटिनाइल पामिटेट (विटामिन-ए पामिटेट)।
- विटामिन-ए एसीटेट को सरलता से पीयूसी में परिवर्तित किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ٧. द्वारा अपनाई गई मात्र रूपांतरण प्रक्रिया के कारण, वे पीयूसी के वैश्विक निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं जो मूल चरण से पीयसी का उत्पादन करते हैं। डीएनपी एजी द्वारा पीयूसी के उत्पादन के लिए स्विटजरलैंड में अपनाई गई विनिर्माण प्रक्रिया याचिकाकर्ता द्वारा की गई मात्र रूपांतरण प्रक्रिया से बिल्कल तलनीय नहीं हैं. जिसके अनुसार याचिकाकर्ता को पीयसी का निर्माता नहीं माना जा सकता।
- मिथाइल पामिटेट. उत्प्रेरक और विलायक को जोड़ने के अलावा. विटामिन-ए एसीटेट को νi. विटामिन-ए पामिटेट में बदलने के लिए प्रसंस्करण के लिए किसी बड़े इनपूट की आवश्यकता नहीं होती।
- ओसवाल वूलेन मिल्स लिमिटेड मामले में स्थापित कानूनी पूर्व उदाहरण के अनुसार, यदि दो vii. उत्पाद सरलता से परिवर्तनीय हैं और निर्यातकों द्वारा उन्हें इस रूप में मान्यता दी जाती है. तो उन्हें "समान उत्पाद" माना जा सकता है।
- इसलिए, डीजीटीआर को यह मानना चाहिए कि विटामिन-ए एसीटेट पीयूसी के समान वस्तु viii. है और याचिकाकर्ता को विटामिन-ए एसीटेट के आयात का विवरण प्रदान करने का निर्देश देना चाहिए ताकि पक्षकार याचिकाकर्ता की स्थिति पर टिप्पणी कर सकें।
- विटामिन-ए एसीटेट और पीयुसी विटामिन-ए (रेटिनॉल) के एस्टर हैं। यहां तक कि 1970 का ix. पेटेंट अधिनियम, जो नए आविष्कारों की पेटेंट योग्यता को शासित करता है, यह मानता है कि किसी यौगिक के एस्टर को तब तक एक ही पदार्थ माना जाता है जब तक कि उनके गुणों में महत्वपर्ण अंतर न हो।
- विटामिन-ए एसीटेट और पीयूसी दोनों का ही वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर Χ. उपयोग किया जाता है और प्राय: एक ही उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि

तेल, दूध, गेहूं के आटे (आटा और मैदा) आदि जैसे खाद्य पदार्थों को मजबूत बनाने और सौंदर्य प्रसाधन, टैबलेट और दवाओं और आहार पूरकों के निर्माण के लिए।

- xi. तकनीकी साक्ष्य बताते हैं कि विटामिन ए रेटिनॉल और रेटिनाइल एस्टर के रूप में खाद्य पदार्थों में मौजूद है।
- xii. 12 भारतीय कंपनियां खाद्य फोर्टिफिकेशन, टैबलेट, दवाओं और खाद्य उत्पादों और आहार पूरकों के लिए पूर्व मिश्रण तैयार करने के उद्देश्य से विटामिन-ए एसीटेट का आयात करती हैं। यह उक्त कंपनियों के उत्पादों/सामग्री डेटा शीट और वेबसाइटों से पूरी तरह स्पष्ट है।
- xiii. डीएसएम ग्रुप विटामिन-ए एसीटेट का आयात भी करता है, जिसका उपयोग विटामिन-ए पामिटेट के समान खाद्य पूर्व मिश्रण और आहार पूरक बनाने में किया जाता है। डीएसएम इंडिया द्वारा विटामिन-ए एसीटेट के आयात के लिए कंपनी के संगत बिल और वाणिज्यिक बीजक तथा स्थानीय कर बीजक, साथ ही ऐसे विटामिन-ए एसीटेट से बने अनाज, विटामिन मिक्स बेस कॉम्प्लान और चावल के लिए विटामिन मिनरल प्रीमिक्स (फोर्टीफिकेशन के लिए) के लिए विटामिन मिनरल प्रीमिक्स (वीएमपी) की बिक्री के लिए विश्लेषण का प्रमाण पत्र आदि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेज।
- xiv. सार्वजनिक डोमेन जानकारी से पता चलता है कि बीएएसएफ इंडिया विटामिन-ए एसीटेट का आयात करता है। सार्वजनिक डोमेन जानकारी में यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह विभिन्न प्रकार के विटामिन-ए पामिटेट और एसीटेट को तेल के साथ-साथ पाउडर के रूप में समान अनुप्रयोगों के लिए बेचता है।
- xv. याचिकाकर्ता स्वयं विभिन्न प्रकार के विटामिन-ए एसीटेट और विटामिन-ए पामिटेट को तेल और पाउडर के रूप में बेचता है।
- xvi. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य पदार्थों का सुदृढ़ीकरण) विनियम, 2018 ("एफएसएसआर, 2018") रेटिनाइल एसीटेट या रेटिनाइल पामिटेट दोनों को एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करने की अनुमति देता है।
- xvii. विश्व में विटामिन ए के बड़े निर्माताओं में से कोई भी केवल अंतिम चरण के रूपांतरण का कार्य नहीं करता है, बल्कि वे मूल चरण से विटामिन ए के पूर्ण-रूपेण निर्माता हैं, क्योंकि विटामिन ए के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण गतिविधि मात्र वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य व्यवसाय नहीं है।
- xviii. विटामिन-ए एसीटेट और पीयूसी को सीटीएच 2936 2100 के अंतर्गत विटामिन ए और उनकी व्युत्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क टैरिफ सुमेलीकरण के स्पष्टीकारी नोटों के अनुसार, ये दोनों उत्पाद समान यौगिक हैं - केवल दोनों यौगिकों में पदार्थ की स्थिति का अंतर है। इसलिए, वे तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

- उच्च मुल्य वृद्धि, अकुशल प्रचालन और उत्पादन प्रक्रिया के कारण हो सकती है। याचिकाकर्ता XİX. केवल विटामिन-ए एसीटेट को पीयसी में बदलने के अंतिम चरण में कार्यरत है। इसके अलावा, उच्च मुल्य वृद्धि बहुत अधिक मुल्यहास के कारण हो सकती है। पीओआई में अन्य नियत लागतें विभाजन के बाद उनके ऊपर की ओर पुनर्मुल्यांकन के कारण शुद्ध अचल संपत्तियों के मुल्य में कई गुना वृद्धि के कारण हुई हैं।
- याचिकाकर्ता की क्षति का कारण उनके द्वारा अपनाई गई विनिर्माण प्रक्रिया है. जिसके कारण XX. वे वैश्विक निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं जो मूल चरण से उत्पादन करते हैं।

ग.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

- विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: 7.
 - वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद विटामिन-ए पामिटेट है, जो अपनी सभी मात्राओं और i. रूपों में दो उप-प्रकारों अर्थात 1.7 एमआईय/जीएम और 1.0 एमआईय/जीएम को कवर करता है। इन दो उप-प्रकारों के अंतिम उपयोग समान हैं और ये तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।
 - संबद्ध वस्तु का उपयोग मानव उपभोग के लिए फार्मास्युटिकल, कॉस्मेटिक और खाद्य पूरक ii. अनुप्रयोगों में किया जाता है।
 - पीयूसी के दायरे में विटामिन-ए पामिटेट 1.6 एमआईयू/जीएम का उप-प्रकार शामिल नहीं है, iii. जिसका उपयोग पशुओं द्वारा उपभोग के लिए किया जाता है।
 - पीयूसी और विटामिन-ए एसीटेट 2.8 एमआईयू के तकनीकी और भौतिक विशेषताएं अलगiv. अलग और असमान हैं, जिससे ये उत्पाद सीधे एक-दूसरे के साथ प्रतिस्थापित नहीं होते हैं। विशेष रूप से, दोनों उत्पादों में अलग-अलग (i) रूप और (ii) जैव उपलब्धता और विषाक्तता है। रासायनिक विशेषताओं और विषाक्तता में अंतर का समर्थन यूरोपीय आयोग की उपभोक्ता सुरक्षा संबंधी वैज्ञानिक समिति द्वारा भी किया जाता है।
 - इन दोनों उत्पादों का वाणिज्यिक रूप से अलग-अलग उपयोग है। विटामिन-ए एसीटेट का ٧. उपयोग पीयूसी के उत्पादन के लिए किया जाता है। जबकि पीयूसी का उपयोग कुछ डाउनस्ट्रीम उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है।
 - इसके अलावा, विश्व भर में भेषजों से संबंधित विनियामक आवश्यकताओं के लिए फॉर्मुलेशन के νi. उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सामग्री/संरचना (पीयुसी सहित) के पंजीकरण की आवश्यकता होती है - इसे देखते हुए, व्यवसायों के लिए विटामिन-ए पामिटेट के बजाय विटामिन-ए एसीटेट का उपयोग करना वाणिज्यिक या तकनीकी रूप से विवेकपर्ण नहीं है।

इसलिए, विटामिन-ए एसीटेट और पीयूसी दोनों ही वाणिज्यिक या तकनीकी रूप से एक दूसरे के प्रतिस्थापनीय नहीं हैं।

- vii. यदि विटामिन-ए एसीटेट और पीयूसी को समान माना जाता है, तो विटामिन-ए एसीटेट का सीधा आयात होगा, जैसा नहीं हुआ है। पिरामल फार्मा लिमिटेड ("पीपीएल") के अलावा, भारत में विटामिन-ए एसीटेट आयात करने वाली कोई कंपनी नहीं है।
- viii. एकल प्रयोक्ता ने उन अनुप्रयोगों में विटामिन-ए एसीटेट के वास्तविक उपयोग को प्रदर्शित करने वाली जांच में भाग नहीं लिया है जहां विटामिन-ए पामिटेट का आमतौर पर उपयोग किया जाता है।
- ix. याचिकाकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, यह देश में विटामिन-ए एसीटेट का एकमात्र आयातक बना हुआ है।
- x. विटामिन-ए एसीटेट और पीयूसी विटामिन ए अणुओं के एस्टर हो सकते हैं, लेकिन वे समान वस्तुएं नहीं हैं।
- प्राधिकारी ने पहले स्विट्जरलैंड और चीन जन. गण. से विटामिन-ए पािमटेट के आयात के संबंध में मूल और निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच में विटामिन-ए पािमटेट 1.6 एमआईयू/जीएम को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा है। प्राधिकारी ने विशेष रूप से देखा कि विटामिन-ए पािमटेट 1.0 एमआईयू/जीएम और विटामिन-ए पािमटेट 1.7 एमआईयू/जीएम के बीच उनके समान अंतिम उपयोगों के कारण प्रवंचना का मुद्दा उठ सकता है, तथापि विटामिन-ए पािमटेट 1.6 एमआईयू/जीएम के पूरी तरह से अलग अंतिम उपयोग हैं, अर्थात पशु चारे के लिए और इसलिए इसे पीयूसी के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
- xii. डीएसएम समूह द्वारा भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 का उल्लेख काफी सरलीकृत किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाटनरोधी कानून के अंतर्गत "समान वस्तु" को परिभाषित करने का उद्देश्य और प्रयोजन पेटेंट कानून के अंतर्गत अलग-अलग है। इसी प्रकार, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन) विनियम 2018 पाटनरोधी कानूनों के अंतर्गत "समान वस्तु" निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए असंगत है। वास्तव में, केवल यही तथ्य कि हितबद्ध पक्षकार बाहरी वैधानिक परिभाषाओं (समान वस्तु प्रावधानों और पूर्व उदाहरण के बजाय) पर भरोसा कर रहे हैं, यह अनजाने में स्वीकारोक्ति है कि विटामिन-ए पामिटेट और विटामिन-ए एसीटेट समान वस्तु नहीं हैं।
- xiii. प्राधिकारी ने पूर्व में जांच की है कि क्या समानता निर्धारित करने के लिए दो उत्पादों के बीच महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन हुआ है और क्या ऐसे उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। वर्तमान जांच में प्राधिकारी को यह भी विचार करना चाहिए कि क्या पीयूसी का उत्पादन करने के लिए विटामिन-ए एसीटेट में कोई महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन होता है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि वास्तव में विटामिन-ए एसीटेट पर पीयूसी के उत्पादन के लिए काफी अधिक मूल्यवर्धन (40 प्रतिशत से अधिक) किया गया है। अत: ये दोनों उत्पाद समान वस्तुएं नहीं हैं।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 8. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को पीयूसी और पीसीएन के दायरे पर अपने अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर दिया था। जांच के बाद की टिप्पणियों का आकलन करने के बाद, अधिसूचना फा. सं. 6/7/2024-डीजीटीआर दिनांक 14 मई, 2024 के माध्यम से, प्राधिकारी ने अधिसूचित किया कि उसने पीसीएन के बिना जांच को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और जांच शुरूआत अधिसूचना में यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के दायरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- 9. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि विटामिन-ए पामिटेट और विटामिन-ए एसीटेट समान उत्पाद हैं। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई भी हितबद्ध पक्षकार यह प्रदर्शित नहीं कर पाया है कि विटामिन ए एसीटेट का उपयोग सीधे विटामिन ए पामिटेट के समान अंतिम उपयोग और अनुप्रयोगों के लिए सीधे किया जा रहा है। आयात आंकड़ों के सत्यापन से यह देखा गया है कि विटामिन ए पामिटेट के समान अनुप्रयोगों में विटामिन ए एसीटेट का कोई प्रत्यक्ष आयात और उपयोग नहीं है। इस प्रकार, दोनों उत्पादों की समानता या परस्पर उपयोग सिद्ध नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के अनुरोधों से नोट किया है कि दोनों उत्पादों के स्वरूप, वितरणीयता, जैव उपलब्धता और विषाक्तता में अंतर है। रासायनिक विशेषताओं और विषाक्तता में अंतर को प्रमाणित करने के लिए, घरेलू उद्योग ने उपभोक्ता सुरक्षा पर यूरोपीय आयोग की वैज्ञानिक समिति की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखा है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया और विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करते समय घरेलू उद्योग द्वारा किए गए मूल्यवर्धन को सत्यापित किया है। इसे विटामिन ए एसीटेट से विटामिन ए पामिटेट बनाने की प्रक्रिया को विनिर्माण गतिविधि की प्रकृति का मानने के लिए पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण पाया गया है।
- 10. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. और स्विट्जरलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विटामिन-ए पामिटेट के आयातों से संबंधित में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा के अंतिम जांच परिणामों का भी उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया था कि जब एक मध्यवर्ती इनपुट अर्थात विटामिन-ए एसीटेट को एक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम उत्पाद अर्थात पीयूसी में परिवर्तित किया जाता है, तो उक्त प्रक्रिया विनिर्माण का गठन करती है और उक्त दोनों उत्पाद समान वस्तुंए नहीं बन सकते हैं। परिणामस्वरूप, यह माना गया था कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2 (ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग होने का पात्र था। विचाराधीन मामले के लिए इसकी प्रासंगिकता को देखते हुए, इसे संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:
 - "...17. यह नोट किया जाता है कि विटामिन ए एसीटेट 2.8 एमआईयू संबद्ध वस्तु के निर्माण के लिए कच्ची सामग्री है और यह "समान वस्तु" नहीं है। संबद्ध वस्तु और विटामिन ए एसीटेट के तकनीकी और भौतिक विशेषताएं अलग-अलग और असमान हैं और इन्हें सीधे विटामिन ए एसीटेट से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है जैसा कि निर्यातक द्वारा दावा किया गया है। इसके अलावा, संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला के साथ एक जटिल रासायनिक प्रतिक्रिया शामिल है जो विटामिन ए एसीटेट क्रिस्टल पर की जाती है, जो कच्ची सामग्री अर्थात अर्थात, विटामिन ए एसीटेट में एक महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन करती है।

¹ चीन जन. गण. और स्विट्जरलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विटामिन-ए पामिटेट के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा, अंतिम जांच परिणाम दिनांक 21 अगस्त, 2013 निम्न पर उपलब्ध हैं। https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_SSR_Vitamin_A_Switzerland_ChinPR.pdf.

- 32. ... प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला के साथ एक जटिल रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जो विटामिन ए एसीटेट क्रिस्टल पर की जाती है अर्थात विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण के लिए आयातित कच्ची सामग्री जिसमें पर्याप्त मूल्यवर्धन और श्रम और प्रौद्योगिकी का नियोजन शामिल है।
- 33. यह स्मरण किया जा सकता है कि दिनांक 10 फरवरी, 2012 के सेस्टेट निर्णय पश्चात जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कहा था कि:
- "iii... प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब एक मध्यवर्ती इनपुट को रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है, तो रूपांतरण की प्रक्रिया विनिर्माण का गठन करती है और दोनों समान वस्तुओं का गठन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, उत्पादन के मार्ग/प्रौद्योगिकी/प्रक्रिया में परिवर्तन किसी घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग के दर्जे से वंचित नहीं करता है, जब तक कि वह संबद्ध वस्तु के उत्पादन और आपूर्ति में शामिल है।"
- 34. ... इस प्रकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु का समस्त उत्पादन करता है और इस प्रकार नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।"
- 11. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इसके विपरीत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके मद्देनजर, प्राधिकारी ने पाया कि विटामिन ए एसीटेट और विटामिन ए पामिटेट "समान वस्तु" नहीं हैं। तदनुसार, पीयूसी इस प्रकार है -

वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद "विटामिन-ए पामिटेट" है, जिसमें विटामिन ए पामिटेट 1.7 एमआईयू/जीएम और विटामिन ए पामिटेट 1.0 एमआईयू/जीएम दोनों अपनी सभी मात्राओं और रूपों में, स्थिरीकरण के साथ या उसके बिना शामिल हैं। यद्यपि केवल सांद्रता में अंतर है, तथापि विटामिन-ए पामिटेट 1.7 एमआईयू/जीएम और विटामिन-ए पामिटेट 1.0 एमआईयू/जीएम एक ही अंतिम उपयोग वाले उत्पाद उप-प्रकार हैं और तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय भी हैं।

पीयूसी के दायरे में विटामिन-ए पामिटेट 1.6 एमआईयू/जीएम शामिल नहीं हैं जिसका उपयोग पशुओं द्वारा उपभोग के लिए किया जाता है और पीयूसी की तुलना में इसके अंतिम उपयोग अलग-अलग हैं।

- 12. संबद्ध वस्तु को सामान्यतः अधिनियम की अनुसूची-। के टैरिफ मद 29362100 के अंतर्गत भारत में आयात किया जाता है। तथापि, संबद्ध वस्तु को अधिनियम की अनुसूची-। के टैरिफ मद 29362290, 29362800, 29369000, 29362690, तथा 29362990 के अंतर्गत भी आयात किया गया है। उत्पाद का सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
- 13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु में कोई खास अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु रासायनिक विशेषताओं, उत्पाद विनिर्देशनों, तकनीकी विनिर्देशनों, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों एवं उपयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से संबद्ध देशों से आयातित वस्तु से तुलनीय हैं। तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से ये दोनों एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कीज जा सकती हैं। तदनुसार, प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु,

पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु हैं।

घ. <u>घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति</u>

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 14. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. विटामिन-ए एसीटेट को सरलता से पीयूसी में बदला जा सकता है।
 - ii. मिथाइल पामिटेट, उत्प्रेरक और विलायक को जोड़ने के अलावा, विटामिन-ए एसीटेट को विटामिन-ए पामिटेट में बदलने के लिए प्रसंस्करण के लिए किसी बड़े इनपुट की आवश्यकता नहीं होती है।
 - iii. ओसवाल वूलेन मिल्स लिमिटेड मामले में स्थापित कानूनी पूर्व उदाहरण के अनुसार, यदि दो उत्पाद सरलता से परिवर्तनीय हैं और निर्यातकों द्वारा उन्हें इस रूप में मान्यता दी जाती है, तो उन्हें "समान उत्पाद" माना जा सकता है।
 - iv. याचिकाकर्ता केवल विटामिन-ए एसीटेट को पीयूसी में बदलने के अंतिम चरण में कार्यरत है। इसके अलावा, बहुत अधिक मूल्यह्रास के कारण उच्च मूल्यवर्धन में योगदान हो सकता है। पीओआई में अन्य नियत लागतें विभाजन के बाद उनके ऊपर की ओर पुनर्मूल्यांकन के कारण निवल अचल संपत्ति के मूल्य में कई गुना वृद्धि के कारण हो सकती हैं।
 - v. डीजीटीआर को यह मानना चाहिए कि विटामिन-ए एसीटेट पीयूसी के समान वस्तु है और याचिकाकर्ता को विटामिन-ए एसीटेट के आयात का विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया चाहिए ताकि पक्षकार याचिकाकर्ता की स्थिति पर टिप्पणी कर सकें।
 - vi. अत:, याचिकाकर्ता विटामिन-ए एसीटेट का आयातक होने के नाते घरेलू उद्योग होने का पात्र नहीं है।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

- 15. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - क. पिरामल फार्मा लिमिटेड. पीओआई में भारत में पीयूसी का एकमात्र उत्पादक है। तथापि, पीओआई से पहले की अवधि में, याचिकाकर्ता के फार्मा व्यवसाय में कॉर्पोरेट पुनर्गठन हुआ था।
 - ख. <u>मार्च, 2020 के अनुसार</u>: याचिकाकर्ता को 4 मार्च, 2020 को निगमित किया गया था और 80 प्रतिशत स्वामित्व पी.ई.एल. के पास था। फार्मा व्यवसाय (जिसमें पी.यू.सी. के उत्पादन में शामिल डिग्वाल और महाड संयंत्र शामिल हैं) पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड ("पी.ई.एल.") का हिस्सा था।
 - ग. <u>अक्टूबर, 2020 के अनुसार:</u> डिग्वाल संयंत्र को अक्टूबर, 2020 में पी.पी.एल. को हस्तांतरित किया गया था और महाड़, संयंत्र सहित फार्मा व्यवसाय पी.ई.एल. का हिस्सा बना रहा।

- घ. <u>अप्रैल, 2022 के अनुसार:</u> फार्मा व्यवसाय और महाड संयंत्र को 1 अप्रैल, 2022 को पी.ई.एल. से पी.पी.एल. को हस्तांतरित कर दिया गया था। डिग्वाल संयंत्र पी.पी.एल. का हिस्सा बना रहा।
- ड. सितंबर, 2022 के अनुसार: 1 अप्रैल, 2022 को फार्मा व्यवसाय के विभाजन से पहले, पीईएल का स्वामित्व 56 प्रतिशत शेयरधारकों और 44 प्रतिशत प्रवर्तकों के पास था। बदले में पीपीएल का 80 प्रतिशत स्वामित्व पीईएल के पास था। विभाजन के बाद, 5 सितंबर, 2022 को उक्त 80 प्रतिशत शेयरधारिता रद्द कर दी गई और पीईएल के शेयरधारकों को पीईएल में प्रत्येक एक (1) शेयर के लिए पीपीएल के चार (4) शेयर आवंटित किए गए। पीईएल के प्रवर्तक पीपीएल के भी प्रवर्तक बन गए। परिणामस्वरूप, पीपीएल को 19 अक्टूबर, 2022 को बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध किया गया। तदनुसार, पीईएल और पीपीएल के बीच संबंध 80 प्रतिशत सामान्य शेयरधारकों और प्रवर्तकों के होने के कारण है। वास्तव में, पीईएल और पीपीएल के मालिक समान रहे और जो व्यक्ति/कंपनियां पीईएल का स्वामित्व रखती हैं, वही विभाजन के बाद पीपीएल का 80 प्रतिशत हिस्सा भी रखती हैं।
- च. यह नोट करना संगत है कि कॉर्पोरेट पुनर्गठन/विभाजन प्रक्रिया के तौर-तरीके 26 अगस्त, 2022 को जारी समग्र व्यवस्था योजना ("सीएसए") के माध्यम से निर्धारित किए गए थे। पीईएल ने जुलाई, 2022 में एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में अपना लाइसेंस प्राप्त किया। उसी दौरान और लगभग उसी समय, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ("एनसीएलटी"), भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई"), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी"), लेनदारों और शेयरधारकों, आदि से विभाजन के लिए अनुमोदन प्राप्त किए गए थे। विशेष रूप से, 12 अगस्त, 2022 के एनसीएलटी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सीएसए को 1 अप्रैल, 2022 की नियत तारीख के साथ मंजूरी दी गई है।
- छ. तदनुसार, फार्मा व्यवसाय के कानूनी ढांचे में पीईएल से पीपीएल में परिवर्तन के अलावा, निर्मित किए जा रहे पीयूसी के दायरे, पीयूसी के उत्पादन से संबंधित प्रक्रिया, महाड संयंत्र के किमेंयों, शेयरधारकों, प्रवर्तकों, अध्यक्ष, सीईओ (ग्लोबल फार्मा), पाटन, क्षति और पीयूसी के उत्पादक के साथ कारणात्मक संबंध के बारे में कोई अन्य परिवर्तन नहीं हुआ है। पीरामल समूह के भेषज व्यवसाय को क्षति अविध के दौरान क्षति का सामना करना पड़ा, तथापि संयंत्रों के तकनीकी स्वामित्व को व्यापक समूह उद्देश्यों की सेवा के लिए पुनर्गठित किया गया था। अत:, वर्तमान याचिका के प्रयोजनार्थ क्षति का आकलन पीयूसी के उत्पादन में शामिल दोनों संयंत्रों अर्थात दिगवाल और महाड, जो भी लागू हो, पर आधारित है।
- ज. चूंकि पीपीएल, पीयूसी का एकमात्र उत्पादक है और उसने न तो पीयूसी का आयात किया है और न ही वह (i) संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों या (ii) भारत में पीयूसी के आयातकों से संबंधित है, अत: यह एक पात्र घरेलू उद्योग है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 (3) के साथ पठित नियम 2 (ख) के अंतर्गत अपेक्षित स्थिति रखता है।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

16. पाटनरोधी नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

- 17. वर्तमान आवेदन पिरामल फार्मा लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, जो भारत में पीयूसी का एकमात्र उत्पादक है।
- 18. आवेदक न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयातक है और न ही वह संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के आयातक से संबंधित हैं। जैसा कि ऊपर संगत खंड में स्पष्ट किया गया है, चूंकि विटामिन ए एसीटेट और विटामिन, ए पामिटेट समान वस्तु नहीं हैं, इसलिए आवेदक पीयूसी का आयातक नहीं है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने विटामिन ए एसीटेट से विटामिन ए पामिटेट का निर्माण करते समय घरेलू उद्योग द्वारा किए गए मूल्यवर्धन का आकलन किया है और नोट करते हैं कि उत्पाद का काफी मूल्यवर्धन हुआ है। इसके अनुरूप, चीन जन. गण. और स्विटजरलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विटामिन-ए पामिटेट के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा² के अंतिम जांच परिणाम में यह माना गया था कि जब एक मध्यवर्ती इनपुट अर्थात विटामिन-ए एसीटेट को रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम उत्पादअर्थात पीयूसी में परिवर्तित किया जाता है, तो उक्त प्रक्रिया विनिर्माण का गठन करती है।
- 19. इसके अलावा, आवेदक द्वारा पीयूसी का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का संपूर्ण हिस्सा है।
- 20. इस प्रकार, आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत यथा परिभाषित घरेलू उद्योग है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है।

ड. <u>गोपनीयता</u>

ड.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 21. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - याचिकाकर्ता ने उत्पादन प्रक्रिया, क्षतिरहित कीमत की गणना, शटडाउन की अविध में सामान्य मूल्य की गणना के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है।
 - ंं. कंपनी की संरचना में किए गए परिवर्तनों से संबंधित जानकारी व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार अनिवार्य रूप से प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।
 - iii. कार्यालयों और संयंत्रों के संपर्क विवरण व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार अनिवार्य रूप से प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।
 - iv. डीएसएम इंडिया द्वारा प्रदान की गई छूट, रियायत या कमीशन, यदि कोई हो, का विवरण डीएसएम इंडिया के प्रश्नावली के उत्तर में दिया गया है।
 - v. प्रतिवादियों द्वारा अपनाई गई आंतरिक लागत और लेखांकन विधियों के कारण स्थापित क्षमता से संबंधित आंकड़े नहीं दिए जा सकते हैं।

² चीन जन. गण. और स्विट्जरलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विटामिन-ए पामिटेट के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा, अंतिम जांच परिणाम दिनांक 21 अगस्त, 2013 निम्न पर उपलब्ध हैं। https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin SSR Vitamin A Switzerland ChinPR.pdf

- vi. उत्पादन प्रक्रिया और प्रमुख कच्ची सामग्री के नाम एक व्यापार रहस्य है और संगत व्यापार सूचना द्वारा कवर किया गया है।
- vii. प्रति इकाई बिक्री लागत, घरेलू बिक्री, प्रति इकाई बिक्री, लागत-निर्यात, प्रति इकाई पीबीआईटी, कुल पीबीआईटी, ब्याज/वित्त लागत, मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय सहित व्यौदा देना आवश्यक नहीं है।

ड.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 22. घरेलू उद्योग ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।
 - i. घरेलू उद्योग अनुरोध करता है कि प्रतिवादियों ने प्राधिकारी द्वारा दिनांक 7 सितंबर, 2018 को जारी व्यापार सूचना संख्या 10/2018 में निर्धारित आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हुए अत्यधिक गोपनीयता बरती है।
 - घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध करता है कि डीएसएम समूह ने गोपनीयता के अनुचित दावों के साथ बहुत ही अपर्याप्त उत्तर प्रस्तुत किए हैं।
 - क. डीएनपी एजी ने कहा है कि उसकी संबंधित इकाई, डीएसएम न्यूट्रीशनल प्रोडक्ट्स यूरोप एजी ("डीएसएम यूरोप") स्विट्जरलैंड में डीएनपी एजी द्वारा किए गए पीयूसी की बिक्री के लिए एक व्यापार और बीजक कंपनी के रूप में कार्य करती है। तथापि, डीएनपी यूरोप प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने में विफल रही है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह डीएनपी यूरोप को डीएसएम कंपनियों की मूल्य श्रृंखला में कंपनी की भूमिका का आकलन करने के लिए एक उचित प्रश्नावली प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का निर्देश दें।
 - ख. इस बारे में जानकारी कि क्या कंपनी ने पिछले तीन वर्षों में पीओआई सिहत कोई संरचनात्मक परिवर्तन किया है। यह अनुरोध किया गया है कि ऐसी जानकारी का प्रकटन किसी भी तरह से उत्पादक के हितों के लिए हानिकारक नहीं हो सकता है। ऐसी जानकारी का प्रकटन करने में विफलता जानबूझकर की गई है और यह उत्पादक के संबद्ध जांच में पूरी तरह से सहयोग नहीं करने के इरादे को दर्शाता है।
 - ग. सार्वजिनक डोमेन में ऐसी जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद, संगत कार्यालयों, कारखानों और संयंत्रों के संपर्क विवरण के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है। यह अनुरोध किया जाता है कि ऐसी जानकारी का प्रकटन किसी भी तरह से उत्पादक के हितों के लिए हानिकारक नहीं हो सकता है। ऐसी जानकारी का प्रकटन करने में विफलता जानबूझकर की गई है और यह उत्पादक की इस संबद्ध जांच में पूर्ण सहयोग न करने की मंशा को दर्शाता है।
 - घ. उत्पादक/व्यापारी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या संबंधित आयातक डीलरों को कमीशन सहित अंतिम ग्राहकों को कोई छूट या रियायत प्रदान करता है या नहीं।
 - ङ. डीएनपी इंडिया डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के बारे में विवरण प्रदान करने में भी विफल रही है। चूंकि प्रभाव की संपूर्णता को गोपनीय रखा गया है, इसलिए घरेलू उद्योग इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता है।

- iii. घरेलू उद्योग ने आगे अनुरोध किया है कि शांग्यू एनएचयू बायो-केम कंपनी लिमिटेड, झेजियांग एनएचयू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, सिंकेम इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड और एनएचयू (हांगकांग) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से "एनएचयू समूह" कहा गया है) ने गोपनीयता के अनुचित दावों के साथ बिल्कुल अपर्याप्त उत्तर प्रस्तुत किया है।
 - क. इसके शेयरधारिता पैटर्न के बारे में जानकारी प्रदान नहीं की गई है, यद्यपि ऐसी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हो।
 - ख. संगत कार्यालयों, कारखानों और संयंत्रों के संपर्क विवरण के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है, जबकि ऐसी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।
 - ग. सिंकेम इस बारे में जानकारी देने में विफल रहा है कि क्या कंपनी ने पीओआई सहित पिछले तीन वर्षों में कोई संरचनात्मक परिवर्तन किया है। विशेष रूप से, घरेलू उद्योग सिंकेम द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर से नोट करता है कि सिंकेम और आई एंड ई एक दूसरे से संबंधित थे।
- iv. के. सेवंती लाल ने 5 जून, 2024 को प्राधिकारी को अपनी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है, जो कि प्राधिकारी द्वारा 28 मई, 2024 की अधिसूचना के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा, अर्थात 4 जून, 2024 के बाद है। के. सेवंती लाल के प्रश्नावली के देरी से उत्तर को अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- v. बिना किसी पूर्वाग्रह के, के. सेवंती लाल एंड कंपनी अपनी फर्म की स्थापना की तारीख प्रदान करने में विफल रही है। जबिक इसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त सूचना का प्रकटन किसी भी तरह से इन पक्षकारों के हितों के लिए हानिकारक नहीं हो सकता है तथा यह गैर-प्रकटन पक्षकारों के असहयोग के इरादे को दर्शाता है।
- vi. यह अनुरोध किया गया है कि सभी पूर्वोक्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को प्राधिकारी की विगत प्रक्रिया के आधार पर अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएई और यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में, प्राधिकारी ने एक उत्पादक समूह के उत्तरों को अस्वीकार करना उचित समझा, क्योंकि वे पूरी जानकारी प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल रहे थे। प्राधिकारी ने यह भी कहा कि डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुबंध-II के पैरा 7 में उल्लेख है कि यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सहयोग नहीं करता है और इस प्रकार संगत जानकारी को प्राधिकारियों से छिपाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति उस पक्षकार को सहयोग करने की तुलना में उस पक्षकार को कम अनुकूल परिणाम की ओर ले जा सकती है।
- vii. उपर्युक्त प्रक्रिया की निरंतरता थाईलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "बसों और लॉरियों के लिए रबड़ के न्यू न्यूमेटिक रेडियल टायर" चाहें ट्यूब और /या फ्लैप सहित हों या रहित'' के

³कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएई और यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच। अंतिम जांच परिणाम 01 अप्रैल, 2022

आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क जांच⁴ में और साथ ही इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सैकरीन" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क जांच⁵ में और अधिक परिलक्षित होती है। इस प्रकार, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जब प्राधिकारी ने पहले केवल हस्ताक्षरित प्रारूप प्रदान नहीं करने या अधूरी और गलत जानकारी प्रदान करने के कारण प्रतिक्रियाओं को अस्वीकृत कर दिया है, तो विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई अत्यधिक अपर्याप्त उत्तरों अस्वीकृत किए जाने योग्य हैं।

- viii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अगोपनीय अंश की प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझने के लिए पर्याप्त विस्तृत में नहीं हैं। पक्षकार न केवल सार्थक उत्तर देने में विफल रहे हैं, बल्कि इस तरह की अत्यधिक गोपनीयता का दावा करने के लिए कोई कारण भी बताने में विफल रहे हैं।
- ix. माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय सेस्टेट द्वारा क्रमशः रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी⁶ और अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामलों के माध्यम से पारदर्शिता और संगत जानकारी तक पहुंच की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है।
- x. इस प्रकार, जब जांच में शामिल कोई पक्षकार गोपनीय सूचना प्रदान करता है, तो उसे गोपनीय अंश की सटीक अनुकृति में उसका सार्थक अगोपनीय सारांश भी प्रदान करना चाहिए और यदि सूचना का सारांशीकरण नहीं किया जा सकता है, तो संबंधित पक्षकार को ऐसे गैर-सारांशीकरण के कारणों को बताना आवश्यक है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर गोपनीयता का दावा करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताते हैं और बहुत कम हैं।
- xi. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के आधार पर इन पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए और उन्हें असहयोगी घोषित किया जाना चाहिए।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

- 23. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना का अगोपनीय अंश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया ।
- 24. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार व्यवस्था है-:
 "गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

⁴ थाईलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "बसों और लॉरियों के लिए रबड़ के न्यू न्यूमेटिक रेडियल टायर" चाहें ट्यूब और /या फ्लैप सिहत हों या रहित" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क जांच। अंतिम जांच परिणाम दिनांक 27 नवंबर, 2020 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Tyre%20FF%20NCV.pdf पर उपलब्ध हैं।

⁵ इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सैकरीन" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क जांच । अंतिम जांच परिणाम दिनांक 29 मार्च, 2019 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/FF-NCV-29-3-2019.pdf. पर उपलब्ध हैं।

⁶ रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2006 (2002) ईएलटी 23 (एससी)

⁷ अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2006 (194) ईएलटी 161 (टीआरआई-डीईएल)

- (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।
- (3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।
- 25. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने संगत व्यापार सूचना का उल्लंघन करते हुए अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कहा है कि व्यवसाय के प्रति संवेदनशील जानकारी के प्रकटन से कंपनी के व्यवसायिक हितों को अपूरणीय क्षति होगी और संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, स्वीकार कर लिया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसे प्रकट नहीं किया गया है।

<u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 26 सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. याचिकाकर्ता द्वारा पाटन मार्जिन का निर्धारण गलत है, क्योंकि यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत बहुत गलत थे। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे विश्व व्यापार एटलस से यूरोपीय संघ में कच्चे माल की आयात कीमतों, कच्चे माल/उपयोगिता उपभोग अनुपात के लिए क्षति अविध के दौरान सर्वोत्तम उपयोग अनुपात और अन्य लागतों के लिए एनआईपी के लिए इष्टम लागतों पर विचार करें। निर्यात कीमत के संबंध में, इसने अनुरोध किया कि निर्यात कीमत की गणना के लिए सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दी गई जानकारी पर विचार किया जाए।
 - ii. याचिका में स्विट्जरलैंड के लिए संरचित सामान्य मूल्य तथ्यात्मक रूप से गलत है। डीएसएम एक बुनियादी चरण से विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करता है, जबिक घरेलू उद्योग एसीटेट आयात करता है और विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करता है। डीएसएम समूह अत्यधिक प्रौद्योगिकी गहन प्रक्रिया में बहुत बुनियादी चरण से विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करता है। इस कारण से, याचिकाकर्ता और डीएसएम समूह के उपभोग मानदंड भी तुलनीय नहीं हैं। अत:, स्विट्जरलैंड के लिए सामान्य मूल्य की गणना के लिए याचिकाकर्ता के कच्चे माल की लागत और उपभोग मानदंडों पर विचार करना बहुत गलत है।
 - iii. याचिकाकर्ता द्वारा स्विट्जरलैंड के लिए पाटन निर्धारित करने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली अवैध है क्योंकि कानून बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का संरचित किए जाने की अनुमित नहीं देता है।
 - iv. लागत/उपभोग मानदंड याचिकाकर्ता के मानदंड से तुलनीय नहीं हैं क्योंकि याचिकाकर्ता बैकवर्ड इंटिग्रेटेड है और याचिकाकर्ता की लागत में अचल संपत्तियों के ऊपर की ओर पुनर्मूल्यांकन के कारण अवमूल्यन का प्रभाव शामिल है।
 - v. चीन को 11 दिसंबर, 2016 से डब्ल्यूटीओ में चीन के प्रवेश पर प्रोटोकॉल की समाप्ति के आलोक में बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी को इस जांच में अनुरूप देश के आंकड़ों को लागू करने के बजाय सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इस प्रतिक्रिया

- में कंपनी द्वारा प्रदान प्रदान किए गए लागतों और कीमतों पर इन आंकड़ों को लागू करना चाहिए।
- vi. आवेदक ने समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन आदि के लिए निराधार समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह सहकारी उत्पादकों द्वारा निर्यात कीमत की गणना पर विचार करें।
- vii. डीएसएम ने कहा कि कंपनियों के बीच ओवरहेड अलग-अलग हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता की रूपांतरण लागत में अचल संपत्तियों के भारी ऊपर की ओर पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास का प्रभाव भी शामिल है।
- viii. याचिकाकर्ता ने 2010-11 में अपने परिचालन को ठाणे संयंत्र से दिगवाल संयंत्र में स्थानांतरित कर दिया था। दिगवाल संयंत्र के विपरीत, ठाणे संयंत्र पहले चरण से ही विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करता था। विनिर्माण संयंत्र में इस बदलाव के कारण उत्पादन प्रक्रिया की लागत संरचना में बदलाव आया और इसे प्राधिकारी द्वारा चीन जन.गण. और स्विट्जरलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए विटामिन-ए पामिटेट के आयात पर निर्णायक समीक्षा जांच में जारी अंतिम जांच परिणामों में दर्ज किया गया।
- ix. याचिकाकर्ता की लागत के आधार पर संरचित सामान्य मूल्य अत्यधिक भ्रामक है और डीएसएम समूह की लागत और परिणामस्वरूप डीएसएम समूह के लिए अनुमानित पाटन और क्षति मार्जिन के संबंध में गलत तथ्यात्मक स्थिति को दर्शाता है।
- x. पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3)(ख) में प्राधिकारी के लिए पाटन, क्षति तथा पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता की जांच के बाद ही जांच शुरू करना अपेक्षित है।
- xi. बीएएसएफ समूह समझता है कि घरेलू बाजार में बिक्री चैनल में लगी सभी कंपनियों को व्यक्तिगत शुल्क प्राप्त करने के लिए सहयोग करना आवश्यक है। बीएएसएफ एसई की कई समूह कंपनियां यूरोपीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री चैनल में लगी हुई हैं। बीएएसएफ समूह की कंपनियां अपनी वित्तीय जानकारी साझा करने में सहज नहीं थीं क्योंकि संबद्ध वस्तुओं का उनका व्यवसाय उनके कुल व्यवसाय/बिक्री का एक छोटा हिस्सा है। इसलिए, प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने में बीएएफएफ की विफलता महत्वपूर्ण पाटन में इसकी भागीदारी का संकेत नहीं है।
- xii. दिनांक 10 सितम्बर 2018 की व्यापार सूचना संख्या 11/2018 के पैरा 3(iv) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी हितबद्ध पक्षकार, जिसने निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी के पास स्वयं को पंजीकृत करा लिया है, किन्तु प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, को कानूनी अनुरोधों को प्रस्तुत कर, सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेकर, प्रकटन टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर जांच करने आदि के अन्य चरणों में भाग लेने से नहीं रोका जाएगा।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 27. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. बीएएसएफ के पास प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने का हर अवसर था, जिसमें निस्संदेह सामान्य मूल्य के लिए संगत सूचना और साक्ष्य शामिल होंगे। रिकॉर्ड पर बीएएसएफ के प्रश्नावली के उत्तर के न होने पर, प्राधिकारी को पाटन मार्जिन या क्षति मार्जिन के संबंध में बीएएसएफ से किसी भी असत्यापित अनुरोध पर विचार नहीं करना चाहिए।
 - ii. बीएएसएफ के प्रश्नावली का उत्तर के न होने को केवल इस बात की स्वीकृति के रूप में माना जा सकता है कि बीएएसएफ भारत में विचाराधीन उत्पाद का बहुत अधिक पाटन कर रहा है।
 - iii. याचिकाकर्ता किसी भी विश्वसनीय स्रोत से स्विट्जरलैंड में विचाराधीन उत्पाद की कीमतें और/या स्विट्जरलैंड से निर्यात बिक्री कीमतों को प्राप्त करने में असमर्थ था। याचिकाकर्ता

- सार्वजनिक डोमेन से स्विट्जरलैंड में उत्पादन की लागत का स्रोत भी प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। उपरोक्त के मद्देनजर और प्राधिकारी की कार्य-पद्धति के अनुसार, याचिकाकर्ता ने भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य संरचित किया।
- iv. डीएनपी यूरोप प्रश्नावली का पूरा उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहा है, जिसके कारण डीएनपी एजी और डीएसएम यूरोप के उत्तर व्यापार सूचना संख्या 06/20212.18 के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल होते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रश्नावली के उत्तर में निम्नलिखित पहलू नहीं हैं: (क) सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी की गोपनीयता की मांग करना; (ख) व्यापार नोटिस 10/2018 के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के बावजूद अत्यधिक गोपनीयता।
- v. स्विट्जरलैंड के उत्पादकों और उनके व्यापारियों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तरों को निर्यात की अपूर्ण श्रृंखला के कारण प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार किया ही जाना चाहिए।
- vi. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध I के पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (2) में यह प्रावधान है कि किसी देश को पाटनरोधी जांच के उद्देश्य से गैर-बाजार अर्थव्यवस्था ("एनएमई") माना जाएगा, यदि जांच की अविध से पहले के तीन (3) वर्षों में उसे एनएमई के रूप में माना गया हो, जब तक कि जांच में सहयोग करने वाले उत्पादक/निर्यातक यह साबित करने के लिए पर्याप्त सब्त पेश न कर दें कि वह बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के तहत काम करता है।
- vii. न केवल भारतीय व्यापार सुधारात्मक जांचों में, बल्कि सभी प्रमुख क्षेत्राधिकारों में आयोजित व्यापार सुधारात्मक जांचों में भी चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानना एक सतत कार्य-पद्धति है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे क्षेत्राधिकार चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानते हैं।
- viii. इसको देखते हुए, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को चीन जन.गण. में काम करने वाले उत्पादकों/निर्यातकों को एनएमई सिद्धांतों के तहत काम करने वाला मानना जारी रखना चाहिए, जब तक कि संगत सूचना प्रस्तुत करने वाले उक्त उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अन्यथा सिद्ध न किया जाए।
- ix. चीन के भाग लेने वाले प्रतिष्ठानों ने बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की है, जिसके तहत उन्होंने सिद्ध करने के लिए संगत सूचना साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के तहत काम कर रहे हैं।
- x. तदनुसार, याचिकाकर्ता ने बिक्री, सामान्य, प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ के लिए विधिवत समायोजित उत्पादन की अपनी लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
- xi. चीन से मात्रा में भयानक गति से वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण उत्पादन की लागत पर अपारदर्शी लागत संरचना है। चीन के निर्यातकों/निर्माताओं को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए।
- xii. याचिकाकर्ता ने चीन, स्विट्जरलैंड और यूरोपीय संघ के लिए पाटन मार्जिन के संबंध में अपनी याचिका में पर्याप्त साक्ष्य और अनुरोध यह दर्शाते हुए प्रस्तुत किए हैं कि पाटन मार्जिन न्यूनतम से ऊपर और अधिक हैं।
- xiii. संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है, बल्कि अधिक भी है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मुल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा
- (ख) उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

29. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:

चीनी के उत्पादक और उनके निर्यातक/व्यापारी

- क. सिंकेम इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड
- ख. झेजियांग एनएचयू आयात और निर्यात कंपनी लिमिटेड
- ग. एनएचयू (हांगकांग) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
- घ. शांगयु एनएचयु बायो-केम कंपनी लिमिटेड

स्विट्जरलैंड के उत्पादक और उनके निर्यातक/व्यापारी

- ड. डीएसएम सिंगापुर इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड ("डीएसएम सिंगापुर")
- च. डीएसएम न्यूट्रीशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड ("डीएनपी एजी")
- छ. डीएसएम न्यूट्रीशनल प्रोडक्ट्स यूरोप लिमिटेड

यूरोपीय संघ के उत्पादक और उनके निर्यातक

यूरोपीय संघ के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

- 30. विश्व व्यापार संगठन में चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

 "जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागु होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-
 - "(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद -VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:
 - (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण ,उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
 - (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है ,यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण ,उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
 - (ख) एससीएम समझौते के पैरा ॥ ,॥ और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क),14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे ,तथापि ,उसके प्रयोग करने में यदि विशेष किठनाईयां हों ,तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धित का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धितयों को लागू करने में ,जहां व्यवहार्य हो ,आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों को शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
 - (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है ,तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क)समाप्त कर दिए जाएंगे ,बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (॥) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा ,आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं ,उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागु नहीं होंगे।"
- 31. यह नोट किया जाता है कि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के पाटनरोधी संबंधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में भारत की नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है।
- 32. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (2) में यह प्रावधान है कि किसी देश को पाटनरोधी जांच के प्रयोजन के लिए एनएमई माना जाएगा यदि उसे जांच अवधि से पहले तीन (3) पिछले वर्षों में एनएमई के रूप में माना गया है, जब तक कि जांच में सहयोग करने वाले उत्पादक/निर्यातक यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबूत प्रस्तुत नहीं करते हैं कि वह बाजार अर्थव्यवस्था सिद्धांतों के तहत काम करता है।
- 33. प्राधिकारी ने पिछले तीन (3) वर्षों में पाटनरोधी जांच के उद्देश्यों से चीन को एनएमई के रूप में माना है। चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक ने अनुपूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है। पैरा 7 सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पदानुक्रम निर्धारित करता है और यह प्रावधान करता है कि सामान्य मूल्य i) कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाता है ii) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संरचित मूल्य, iii) या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश में कीमत या जहां यह संभव नहीं है किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान किए जाने योग्य कीमत शामिल है, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए आवश्यक होने पर विधिवत समायोजित किया जाता है।
- 34. हितबद्ध पक्षकारों ने उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। यह नोट किया जाता है कि क्षति अविध में संबद्ध देशों के अलावा भारत में विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं हुआ है। इसलिए, चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य i) कीमत के आधार पर निर्धारित ii) अथवा बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्धारित मूल्य अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सिहत किसी अन्य देश को कीमत निर्धारित नहीं की जा सक।
- 35. अत:, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में संबद्ध आयातों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण "भारत में वास्तव में देय मूल्य" के रूप में किया है, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 में निर्धारित किया गया है। इसकी गणना घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर की गई है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ को उचित रूप से जोड़ा गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

<u>चीन के लिए निर्यात कीमत</u>

शांगुई एनएचयू बायो-केम कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)

- 36. शांगयु एनएचयू बायो-केम कंपनी लिमिटेड ("शांगयु"), चीन जन.गण. के कंपनी कानून के तहत निगमित एक सीमित देयता कंपनी है। जांच की अविध के दौरान, शांगयु एनएचयू बायो-केम कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. ने दो संबंधित निर्यातकों/व्यापारियों नामत: एनएचयू (हांगकांग) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड और झेजियांग न्हू आयात और निर्यात कंपनी लिमिटेड के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को *** आरएमबी बीजक मूल्य के *** एमटी संबद्ध वस्तु की बिक्री की है।
- 37. यह भी नोट किया जाता है कि झेजियांग न्हू आयात और निर्यात कंपनी लिमिटेड ने एक अन्य असंबंधित निर्यातक/व्यापारी नामत: सिंकेम इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को (*** एमटी) बेचा है। निर्माता/निर्यातक ने निर्यात कीमत को कारखानागत स्तर पर लाने के लिए अंतर्देशीय परिवहन और पैकिंग व्यय में समायोजन का दावा किया है और इस प्रकार से निर्धारित समायोजन को नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

स्विट्जरलैंड के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

डीएसएम न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड

- 38. डीएसएम न्यूट्रीशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की [***] किलोग्राम बिक्री की है, जबिक इसने भारत को संबद्ध वस्तुओं की [***] किलोग्राम का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री अपर्याप्त मात्रा में है। तदनुसार, प्राधिकारी ने निर्यातक देश में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इस पर विचार नहीं किया है।
- 39. यह नोट किया जाता है कि प्रश्नावली के उत्तर के भाग के रूप में स्विट्जरलैंड के उत्पादक और निर्यातक द्वारा तीसरे देशों को लेन-देन-वार निर्यात कीमत नहीं उपलब्ध कराई गई है। इस तथ्य के आधार पर कि प्रश्नावली के उत्तर में अपेक्षित अन्य संगत सूचना उत्तर देने वाले उत्पादक और निर्यातक द्वारा प्रस्तुत की गई है, प्राधिकारी ने बिक्री और प्रशासन संबंधी खर्चों को उचित रूप से जोड़ने और लाभ मार्जिन को जोड़ने के साथ मूल देश में संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के आधार पर उत्तर देने वाले उत्पादक और निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। इस प्रकार तय किए गए सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

निर्यात कीमत

40. डीएसएम न्यूट्रीशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जो स्विट्जरलैंड में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक है, ने अपने संबंधित व्यापारी डीएसएम सिंगापुर के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं का [***] किलोग्राम का निर्यात किया है। डीएसएम सिंगापुर ने बाद में संबद्ध वस्तुओं को या तो अपनी संबंधित इकाई डीएनपी इंडिया को या असंबंधित भारतीय ग्राहकों को फिर से बेच दिया है। डीएनपी एजी द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद को या तो वेनलो के गोदाम से या सिंगापुर से भारत भेजा गया है। निर्यात की प्रक्रिया में होने वाले सभी संबंधित खर्च जैसे समुद्री माल ढुलाई, बीमा, अंतर्देशीय माल ढुलाई, बंदरगाह/गोदाम और अन्य खर्च, क्रेडिट लागत आदि जो डीएनपी एजी या डीएसएम सिंगापुर द्वारा निर्यात के चैनल के आधार पर लागू होते हैं, को नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित एनईपी पर पहंचने के लिए समायोजित किया गया है।

यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने वर्तमान जांच में प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसे देखते हुए, प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित करते हैं। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिए गए हैं।

<u>पाटन मार्जिन</u>

42. वर्तमान जांच में निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नानुसार हैं:

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
		(यूएस डा./कि.ग्रा.)	(यूएस डा./कि.ग्रा.)	(यूएस डा./कि.ग्रा.	(%)	(रेंज %)
क	चीन जन.गण.	,				
1	शांगुई एनएनयू बायो- केम कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40%
2	अन्य उत्पादक	***	***	***	***	50-60%
ख	स्विट्ज़रलैंड					
3	डीएसएम न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड	***	***	***	***	30-40%
4	अन्य उत्पादक	***	***	***	***	40-50%
ग	यूरोपीय संघ	1	1	1	1	
5	कोई भी उत्पादक	***	***	***	***	10-20%

क्षति के निर्धारण और क्षति की जांच, और कारणात्मक संबंध के लिए पद्धति

- छ. वास्तविक क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन
- छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध
- 43. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - प्राधिकारी ने एक ऐसे जांच की अविध पर विचार किया है जो 2022-23 की क्षित अविध के साथ अतिव्याप्त होता है। यह अतिव्यापन इन अविधयों के बीच किसी भी तुलना को भ्रामक और गलत बनाता है।
 - ii. 2022 में प्रस्तुत आवेदन को आवेदक द्वारा वापस ले लिया गया था और आवेदक ने संकेत दिया था कि वह अधिक हाल की अविध के लिए पाटन और क्षित की पूरी सीमा के लिए उपाय प्राप्त करने के लिए एक नया आवेदन दायर करने का इरादा रखता है। वापसी के लिए दावा किया गया कारण पिछले और चल रही जांच में मार्जिन की तुलना के कारण भ्रामक है।
 - iii. आवेदक ने पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की मौजूदगी को सिद्ध करने के लिए गलत सूचना प्रस्तुत की है।
 - iv. पाटनरोधी नियमावली के नियम 12 में प्रावधान है कि प्राधिकारी केवल "उपयुक्त मामलों" में प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करेंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक जांच परिणाम "किसी भी" या "सभी" मामलों में जारी नहीं किए जा सकते हैं, बल्कि केवल उन मामलों में जारी किए जा सकते हैं जहां प्राधिकारी इसे उपयुक्त पाते हैं।
 - v. डीएसएम समूह का यह अनुरोध है कि अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध करने वाले पीपीएल के अनुरोध, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 7 के तहत आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। उक्त अनुच्छेद में परिकल्पित पूर्व शर्त में जांच जारी रहने के दौरान क्षति को रोकने के लिए अनंतिम उपायों को लागू करने की आवश्यकता का विश्लेषण और विवेकपूर्ण जांच आवश्यक है।
 - vi एटीएमए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 12 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि प्रारंभिक जांच परिणामों में प्रारंभिक निर्धारणों

- के लिए पर्याप्त विस्तृत जानकारी शामिल होगी। अत:. प्राधिकारी को अनंतिम उपायों की आवश्यकता की सावधानीपूर्वक जांच करनी ही चाहिए।
- अनंतिम शुल्कों की सिफारिश करते समय भी. पाटनरोधी नियमावली के नियम 12 में vii. प्राधिकारी को पाटन और क्षति के पहलुओं पर पर्याप्त विस्तृत जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता होती है. जिसमें हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को स्वीकार या अस्वीकार करना शामिल है। विशेष रूप से. प्राधिकारी "क्षति निर्धारण के लिए संगत सभी विचारों" की जांच करने के लिए बाध्य है।
- प्राधिकारी का यह तर्क कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया. viii. गलत था क्योंकि डीएसएम समृह ने विचाराधीन उत्पाद के अनुरोधों में संगत तकनीकी दस्तावेज और सुचना प्रस्तुत की थी। इन कारणों से, हम अनुरोध करते हैं कि प्राधिकारी को वर्तमान मामले में कोई भी प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने से पहले यह जांच करनी चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता को नियम 2(ख) के तहत "घरेलु उद्योग" के रूप में भी माना जा सकता है।
- याचिकाकर्ता को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है और यदि कोई क्षति हुई है तो वह İΧ. निम्नलिखित कारणों से हुई है थी:
 - क. याचिकाकर्ता की विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी के कारण संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की लागत की तुलना में उत्पादन की लागत असामान्य रूप से अधिक हो जाती है:
 - ख. याचिकाकर्ता के बढ़े हुए मूल्यहास और अन्य खर्चों के कारण कॉर्पोरेट पुनर्गठन/डीमर्जर प्रक्रिया के दौरान परिसंपत्तियों के पूनर्म्ल्यांकन के कारण उत्पादन की लागत बढ़ जाती
- वर्तमान मामले में कोई अनंतिम उपाय सुझाए जाने से पहले सभी भाग लेने वाले Χ. उत्पादकों/निर्यातकों सहित सभी संबद्ध पक्षकारों से इनपुट लेने के बाद प्राधिकारी द्वारा इन कारकों का विस्तृत विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है। इन कारकों की जांच के लिए मामले के रिकॉर्ड पर मौजूद आंकड़े और साक्ष्य का विस्तृत सत्यापन आवश्यक है।
- दुनिया भर में डीएसएम समूह सहित विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करने वाली सभी प्रमुख χi. कंपनियां बैकवर्ड इंटिग्रेटेड हैं और ये विचाराधीन उत्पाद में एसिटेट को परिवर्तित करने के अंतिम चरण के बजाय मूल चरण से विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करती हैं। याचिकाकर्ता को क्षति याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के कारण हुई है।
- पिछली जांच की मौखिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा था कि विटामिन-ए एसीटेट xii. से पामिटेट तक याचिकाकर्ता का मूल्य संवर्धन 40% है। यह मूल्य संवर्धन प्रतिशत डीएसएम समूह के लिए एसीटेट लागत पर मूल्य संवर्धन की तुलना में भी बहुत अधिक है।
- याचिकाकर्ता की कच्चे माल की लागत बहुत अधिक है, जो उन्हें डीएसएम समूह सहित xiii. निर्यातकों की तुलना में नुकसान की स्थिति में डालती है। याचिकाकर्ता और डीएसएम समृह के लिए विचाराधीन उत्पाद की लागत की तुलना से पता चलता है कि डीएसएम समुह की तुलना में याचिकाकर्ता की विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन की लागत बहुत अधिक है – इसमें अंतर [40 - 50%] तक पहुंच जाता है। जांच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा विचाराधीन उत्पाद का निर्यात यह भी दर्शाता है कि याचिकाकर्ता को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी उच्च उत्पादन लागत की तुलना में बहुत कम कीमत ही मिलती है।
- अत:. याचिकाकर्ता को होने वाली क्षति संबद्ध आयात के कारण नहीं है. बल्कि याचिकाकर्ता xiv. द्वारा विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए अपनाई गई केवल अंतिम चरण रूपांतरण पद्धति के उपयोग के कारण स्वयं के कारण क्षति है। यह याचिकाकर्ता को डीएसएम समृह

सहित विश्व में विचाराधीन उत्पाद के अन्य प्रमुख उत्पादकों की तुलना में अधिक क्षति में डालता है।

- xv. लगाई गई पूंजी, निवल अचल परिसंपत्ति और कार्यशील पूंजी, मूल्यह्रास और बिक्री की लागत में वृद्धि पिछले वर्ष में परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और नई परिसंपत्तियों की खरीद, यदि कोई हो, दोनों के कारण है। कार्यशील पूंजी में वृद्धि या तो गलत है या भ्रामक है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता ने एनआईपी और संरचित सामान्य मूल्य में असामान्य रूप से वृद्धि की है।
 - विभाजन को "अधिग्रहण विधि" के आधार पर हिसाब में लिया गया है, जिसके द्वारा परिसंपत्तियों और देनदारियों को उनके उचित मूल्यों पर लेखा बहियों में दर्ज किया जाता है। यह व्यवस्था की योजना के खंड 21.2 से स्पष्ट है।
 - ii. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पीईएल की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ-24 में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि 5,368 करोड़ रुपये के फार्मा व्यवसाय के बही मूल्य का उचित मूल्यांकन 13,742 करोड़ रुपये रहा है और इसे पीईएल की बिहयों में दर्ज किया गया है। उचित मूल्यों पर इस तरह के पुनर्मूल्यांकन के बाद फार्मा व्यवसाय की निवल परिसंपत्ति याचिकाकर्ता को हस्तांतरित हो गई।
 - iii. वे परिसंपत्तियां और देयताएं जो फार्मा व्यवसाय का हिस्सा थी, पीईएल की बहियों में उनके उचित मूल्यों के अनुसार पहले ही पुनर्मूल्यांकन कर दिया गया था और फार्मा व्यवसाय के विभाजन के अनुसार आईएनडीएएस-103 के अनुसार उनके उचित मूल्यों पर याचिकाकर्ता को हस्तांतरित कर दिए गए थे। पीईएल की वार्षिक रिपोर्टों से यह स्पष्ट है कि इस तरह के उचित मूल्यांकन के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों में 160% की वृद्धि हुई है।
 - iv. अचल परिसंपत्तियों और कार्यशील पूंजी के मूल्य में वृद्धि को परिसंपत्तियों के ऐसे पुनर्मूल्यांकन और याचिकाकर्ता की बहियों में परिसंपत्तियों को उनके उचित मूल्यों पर दर्ज करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
 - v. यह अनुरोध किया गया है कि कार्यशील पूंजी के उचित स्तरों पर विलय के कारण पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव के बिना विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, विलय के कारण अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। तदनुसार, लगाई गई पूंजी की गणना अचल परिसंपत्तियों और कार्यशील पूंजी दोनों के पुनर्मुल्यांकन के प्रभाव के बिना की जाएगी।
 - vi जबिक याचिकाकर्ता की बिहयों में कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं था, क्षिति मापदंडों का मूल्यांकन करते समय और एनआईपी की गणना करते समय पीईएल की बिहयों में पुनर्मूल्यांकन को बाहर रखा जाएगा।
 - vii. प्राधिकारी को पीईएल की बहियों में परिसंपत्तियों और देयताओं के पुनर्मूल्यांकन को अवश्य सत्यापित करना चाहिए। चूंकि परिसंपत्तियां पीईएल से याचिकाकर्ता को उचित मूल्य पर हस्तांतरित की जाती हैं, इसलिए फार्मा व्यवसाय की परिसंपत्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यांकन याचिकाकर्ता की पुस्तकों में बहियों में दृष्टिगत नहीं होगी। यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी को पीईएल से संगत अभिलेख मंगाकर उनका सत्यापन करना चाहिए।
- xvi. घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि के कारण विचाराधीन उत्पाद के लिए विस्तारित बाजार की पूर्ति के लिए आयात में वृद्धि हुई है।
- xvii. यह एक स्थापित कानून है कि क्षति का विश्लेषण करने के लिए केवल अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु की तुलना प्रासंगिक नहीं है। आंतरायिक प्रवृत्ति को समान रूप से देखा जाना चाहिए और आंतरायिक प्रवृत्ति पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने बाजार

हिस्सेदारी हासिल की है, और आयात ने पिछले तीन वर्षों में बाजार हिस्सेदारी खो दी है, जिसमें जांच की अवधि भी शामिल है।

29

- xviii. याचिकाकर्ता पर आयात का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि उत्पादन और बिक्री मापदंडों में सतत वृद्धि हुई है।
- xix. कीमत में कटौती का कारण आयात का कम मूल्य नहीं है, बल्कि पीपीएल के निर्माण की उच्च लागत है।
- xx. पीपीएल एक तरफ दावा करता है कि क्षमता उपयोग घरेलू बाजार की क्षमता से कम है और दूसरी तरफ उसने जांच की अवधि के दौरान खुद कुल क्षमता में वृद्धि की है। कोई भी विवेकशील व्यवसाय संगठन अपनी क्षमता तभी बढ़ाएगा जब वह अपने द्वारा निर्मित उत्पादों की मांग में और वृद्धि की उम्मीद कर रहा हो।
- xxi. पीबीआईटी, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल जैसे वित्तीय प्रदर्शन संकेतकों में गिरावट का कारण आयात नहीं है, बल्कि विचाराधीन उत्पाद के निर्माण में पीपीएल द्वारा किए गए उच्च लागत के कारण है, जो बिक्री की लागत की बढ़ती प्रवृत्ति से स्पष्ट है।
- xxii. याचिकाकर्ता ने अपनी संस्थापित क्षमता और कार्यबल में उल्लेखनीय वृद्धि की है, और इसके बावजूद, लाभप्रदता में गिरावट आई है, जो अकार्यक्षमताओं को दर्शाता है। याचिकाकर्ता ने सतत पुनर्गठन किया है, जिसने इसके लाभों को प्रभावित किया है। इसके अलावा, कम उपयोग, कच्चे माल के लिए आयात निर्भरता, कुप्रबंधन और खराब प्रबंधकीय निर्णयों सहित अपने ही कारण से लागत में वृद्धि जांच की अविध में घाटे का कारण रही है।
- xxiii. साल-दर-साल आधार पर मूल्यह्रास में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जिसने बिक्री की लागत बढ़ाने और इस प्रकार वित्तीय प्रदर्शन संकेतकों में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- xxiv. अनंतिम शुल्क लगाने के लिए पीपीएल द्वारा किया गया दावा अनुचित है, जबिक आयात के कारण याचिकाकर्ता को कोई क्षित नहीं हो रही है। साथ ही, यह नोट करना प्रासंगिक है कि क्षिति की अविध की तुलना में जांच की अविध के दौरान आयातों की मात्रा में कमी आई है, यह तथ्य आगे इसका समर्थन करता है कि वर्तमान मामले में कोई अनंतिम शुल्क लगाया जाना अपेक्षित नहीं है, क्योंकि उक्त शुल्क का उद्देश्य जांच के दौरान होने वाली क्षिति को रोकना है।
- xxv. पीपीएल ने याचिका में वास्तिवक क्षित के खतरे का दावा करने के लिए उठाए गए आधारों की पृष्टि नहीं की है। डीएसएम स्विट्जरलैंड के प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि पिछले 4 वर्षों में क्षमता स्थिर रही है और क्षमता का उपयोग भी बहुत अधिक है। इसके अलावा, डीएसएम समूह के पास निकट भविष्य में क्षमता का विस्तार करने की कोई योजना नहीं है। इसलिए, डीएसएम समूह द्वारा निर्यात के कारण क्षित का कोई खतरा नहीं है।
- xxvi. यह देखे जाने योग्य है कि जांच की अवधि के दौरान आयात में क्षति अवधि की तुलना में गिरावट आई है। उक्त तथ्य इस बात की पृष्टि करता है कि पूर्वव्यापी आधार पर शुल्कों की सिफारिश करने के लिए अल्प अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर आयात की आवश्यकता वर्तमान मामले में पूरी नहीं हुई है।
- xxvii. पिछली जांच के बारे में सूचना सार्वजनिक डोमेन में होने से आयात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयात में गिरावट आई है।
- xxviii. यूरोपीय संघ से आयातों में बहुत अधिक गिरावट आई है, अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 33,782 किलोग्राम से घटकर जांच की अवधि में 26,906 किलोग्राम हो गया है।
- xxix. भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग में जांच की अवधि में तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 11% की वृद्धि हुई।

- xxx. मात्रा प्रभाव के संबंध में, मांग में वृद्धि के बावजूद यूरोपीय संघ से आयातों में गिरावट आई है। याचिकाकर्ता केवल 65% मांग को पूरा कर सकता है, जिससे चीन के बाजार हिस्से में 361% तक वृद्धि हुं, जबिक यूरोपीय संघ से आयातों के बाजार हिस्से में 40% तक गिरावट आई है। डीएसएम ग्रुप ने अनुरोध किया है कि संगत अविध के दौरान आयातों में वृद्धि हुई है, लेकिन घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की मांग में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, इसने अनुरोध किया कि वित्त वर्ष 2022-23 में मांग में वृद्धि की तुलना में आयात में वृद्धि कम रही थी।
- xxxi. आवेदक की घरेलू बिक्री में आधार वर्ष की तुलना में जांच अविध के दौरान 56% की वृद्धि हुई। आवेदक की प्रतिदिन उत्पादकता में तत्काल पूर्ववर्ती क्षित अविध की तुलना में जांच अविध के दौरान 74% की वृद्धि हुई। आवेदक की मालसूची में आधार वर्ष की तुलना में जांच अविध के दौरान 43% की उल्लेखनीय गिरावट आई।
- xxxii. याचिकाकर्ता के कीमत प्रभाव के दावे भ्रामक हैं। जांच अवधि में लागत में वृद्धि के कारण घाटा हुआ है, जिससे याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई कीमत क्षति वास्तव में लागत के कारण है।
- xxxiii. जांच की अवधि में बिक्री में तत्काल पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है। क्षित की अवधि में उत्पादन में वृद्धि हुई। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी में वृद्धि हुई है।
- xxxiv. क्षमता में वृद्धि के कारण मुख्य रूप से क्षमता उपयोग में कमी आई है। याचिकाकर्ता की आयात निर्भरता (कच्चे माल पर) के कारण क्षमता उपयोग औसत से कम हुआ है।
- xxxv. पिछले 4 वर्षों में डीएसएम की क्षमता स्थिर रही है और क्षमता उपयोग भी बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त, डीएसएम समूह की निकट भविष्य में अपनी क्षमता का विस्तार करने की कोई योजना नहीं है।
- xxxvi. आवेदक अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए व्यापार उपचार उपायों का दुरुपयोग कर रहा है। प्रारंभिक आवेदन वापस ले लिया गया था और आवेदक ने दावा किया कि वह हाल की अविध के लिए पाटन और क्षिति की पूरी सीमा तक उपयुक्त उपाय की मांग करते हुए नए सिरे से आवेदन दायर करने का इरादा रखता है क्योंकि चीन से मात्रा में काफी वृद्धि हुई है और कीमतें गिरना जारी है।
- xxxvii. इसी तरह, एनएचयू समूह ने तर्क दिया है कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता अपने स्वयं के पुनर्गठन के प्रभावों को छिपाने के लिए पाटनरोधी उपायों को बढ़ा रहा है, जिसने उत्पादन या प्रचालन संबंधी कार्य-क्षमता को बाधित किया होगा।
- xxxviii. इसके अलावा, बीएएसएफ समूह ने यह आरोप लगाया है कि पूर्व की जांच में आवेदक ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का दावा क्रमशः 100%-120% और 60%-80% के दायरे में किया था, जबिक वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का दावा क्रमशः 100%-120% और 80%-100% के दायरे में किया गया है।
- xxxix. पूर्व की जांच और वर्तमान जांच में दावा किए गए पाटन और क्षति मार्जिन की तुलना से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आवेदन वापस लिए जाने का दावा किए जाने का कारण भ्रामक था।
- xl. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे आवेदन वापस लेने के कारण का विश्लेषण करें।
- xli. याचिकाकर्ता ने गलत क्षति आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में क्षति की पूरी अविध के दौरान स्थिर क्षमता का दावा किया है। इसके विपरीत, आवेदक ने दावा किया है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अविध में इसकी निवल अचल परिसंपत्ति में 135% की वृद्धि हुई है। आवेदक ने असामान्य रूप से उच्च एनआईपी का दावा करने के लिए परिसंपत्तियों के मुल्य के बारे में गलत सूचना दी है।

- xlii. क्षति की पूरी अवधि के दौरान सतत क्षमता के बावजूद लगाई गई पूंजी में बहुत अधिक वृद्धि का कारण कॉर्पोरेट पुनर्गठन अर्थात पीईएल से आवेदक को परिसंपत्तियों का हस्तांतर के दौरान परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन (मूल्य में वृद्धि) है।
- xliii. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अविध के दौरान घरेलू बिक्री में 54% (मूल्य की दृष्टि से) की वृद्धि हुई है, जबिक उसी अविध के दौरान निर्यात बिक्री (मूल्य की दृष्टि से) में 18% तक वृद्धि हुई। हालांकि, इसी अविध के दौरान कार्यशील पूंजी में 139% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो प्रथम दृष्ट्या गलत और भ्रामक लगती है। इससे एनआईपी और सीएनवी में असामान्य रूप से वृद्धि होगी।
- xliv. वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता की क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह अनुरोध किया जाता है कि क्षमता में तदनुरूपी वृद्धि के बिना लगाई गई पूंजी में वृद्धि के कारण की प्राधिकारी द्वारा गहन जांच की जानी आवश्यक है।
- xlv. पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि इस तरह के उचित मूल्यांकन के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों में 160% की वृद्धि हुई।
- xlvi. परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास और बिक्री की लागत में किसी भी वृद्धि के प्रभाव को पुनर्मूल्यांकन के कारण प्रभावित होने वाली क्षति के सभी मापदंडों से हटा ही दिया जाना चाहिए।
- xlvii. विभाजन के कारण पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव के बिना कार्यशील पूंजी के उचित स्तरों पर विचार किया जाना चाहिए।
- xlviii. प्राधिकारी को पीईएल की बहियों में परिसंपत्तियों और देयताओं के पुनर्मूल्यांकन का अवश्य सत्यापन करना चाहिए, क्योंकि परिसंपत्तियों का हस्तांतरण पीईएल से याचिकाकर्ता को उचित मूल्यों पर किया गया है।
- xlix. प्राधिकारी को तथ्य का सत्यापन करना चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता को विचाराधीन उत्पाद का उपयोग करने वाले निचले स्तर के उत्पादों के लिए डीपीसीओ के तहत कीमतें निर्धारित करने के लिए इसे सक्षम बनाने के उद्देश्य से, डीपीसीओ को विचाराधीन उत्पाद की कीमत उपलबध कराना अपेक्षित था। याचिकाकर्ता की एनआईपी उस सीमा तक ऐसी कीमत तक सीमित होगी, जिस सीमा तक विचाराधीन उत्पाद का उपयोग डीपीसीओ के अंतर्गत आच्छादित उत्पादों के विनिर्माण में किया जाता है।
- I. बीएएसएफ ने यह तर्क दिया कि जुलाई 2024 में जर्मनी में उसके संयंत्र में एक दुर्घटना हुई थी। यह भी स्वीकार किया गया है कि आवेदक ने बाजार का दोहन किया है (क्योंकि आपूर्ति की कमी है) और घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में वृद्धि की है प्राधिकारी इसे सत्यापित करने के लिए आवेदक के बिक्री अभिलेखों की मांग कर सकता है। इसने आगे कहा है कि यह आपूर्ति के कई स्रोतों की आवश्यकता को दर्शाता है।
- li. याचिकाकर्ता के पास टोकोफेरॉल के साथ स्थिर विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने की क्षमता नहीं है।
- lii. प्राधिकारी को उद्योग द्वारा अर्जित आरओसीई को अपनाना चाहिए जब पाटन का कोई आरोप नहीं था (एक उचित लाभ मार्जिन के रूप में) और न कि 22% आरओसीई।
- liii. बीएएसएफ समूह ने अनुरोध किया है कि प्रारंभिक जांच परिणाम विलंबित चरण, यानी 211 दिनों में जारी नहीं किए जा सकते।
- liv इसने आगे तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क केवल उन मामलों में पूर्वव्यापी रूप से लगाया जा सकता है, जहां पाटन का इतिहास रहा हो या निर्यातक पाटन करता हो और क्षिति अपेक्षाकृत कम समय में आयातित वस्तु की भारी मात्रा में पाटन के कारण हुई हो, जो समय और पाटित की गई आयातित वस्तु की मात्रा और अन्य परिस्थितियों के मद्देनजर लगाए जाने वाले पाटनरोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव को गंभीर रूप से कमजोर कर सकता है। यह

- नोट किया जा सकता है कि इस वर्तमान मामले में, जांच की अवधि में यूरोपीय संघ से आयात में पिछले वर्ष की तुलना में भारी गिरावट आई है।
- Iv. ग्लोबल डब्ल्यूआईटीएस व्यापार सूचना प्रणाली के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा विचारित आयात आंकड़ें अपर्याप्त हैं। उक्त तीसरे पक्ष के स्रोत के आंकड़ें संकेत देते कि जांच की अवधि के दौरान भारत द्वारा चीन से आयात की गई मात्रा 39.5 टन दर्ज की जानी चाहिए। हालांकि, याचिकाकर्ता 69 टन की आयात मात्रा का दावा करता है, जो हमारे आंकड़ों से लगभग 30 टन अधिक है। यह विसंगति याचिकाकर्ता के आंकड़ों की सटीकता और विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न उठाती है, खासकर यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने निजी स्रोतों से आयात आंकड़ों पर विश्वास किया।
- lvi. याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए गलत आंकड़े आयात आंकड़ों और याचिकाकर्ता के उत्पादन या बाजार की मांग से संबंधित अनुपातों की विश्वसनीयता को कम करते हैं। याचिकाकर्ता ने स्थानीय बिक्री की संख्या पर आंकड़े प्रदान नहीं किए है, जिससे हमारे लिए यह सटीक रूप से आकलन करना असंभव हो जाता है कि उसके बाजार हिस्से में गिरावट वास्तविक और उचित है या नहीं।
- lvii. यह आंकड़ा दर्शाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा आयातित कच्चे माल की कीमत में कमी आई है जबिक बिक्री की मात्रा में वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि संबंधित उत्पाद की बिक्री से याचिकाकर्ता के लाभ में गिरावट नहीं होनी चाहिए।
- lviii. एनएचयू समूह ने आगे तर्क दिया है कि पिछले तीन वर्षों में याचिकाकर्ता की उत्पादन क्षमता की प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूप से स्थिर रही है। जांच अविध के दौरान देखी गई उत्पादन मात्रा में कमी को निश्चित रूप से संबंधित उत्पादों के आयात से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसके बजाय, इस गिरावट को कंपनी की अपनी अधिग्रहण और विलय योजनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसके कारण उत्पादन रणनीतियों में समायोजन हो सकता है, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर लिखित अनुरोधों के पैरा 15-17 में उल्लेख किया गया है।
- lix. इसके अलावा, बाहरी कारक जैसे स्थानीय प्रतिकूल मौसम की स्थिति, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोधों के पैरा 77 में संदर्भित जांच अविध के दौरान बाढ़ शामिल है, ने उत्पादन में कमी में और योगदान किया होगा।
- lx. इसके अतिरिक्त, यह कथन कि आयात से आक्रामक मूल्य निर्धारण के कारण लाभ मार्जिन में गिरावट आई है, अनुचित है।
- lxi. यह आंकड़ा दर्शाता है कि हाल के वर्षों में भारतीय आयात की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन यह गिरावट विशेष रूप से बड़ी नहीं है। इसके अतिरिक्त, जब हम पिरामल के आयातित कच्चे माल की कीमतों की तुलना करते हैं, तो हम आवेदक द्वारा बेचे जाने वाले अंतिम उत्पादों की कीमतों में अपेक्षाकृत मामूली कमी के विपरीत, लगभग आधे से अधिक महत्वपूर्ण गिरावट देखते हैं।
- lxii. इस असमानता को देखते हुए, यह दावा कि आयात से आक्रामक मूल्य निर्धारण के कारण लाभ मार्जिन में गिरावट आई है, अनुचित है। कच्चे माल की कीमतों में भारी गिरावट से आवेदक की लाभप्रदता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए था, जो वित्तीय प्रदर्शन संकेतकों में गिरावट के दावों का खंडन करता है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 44. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के साथ-साथ पूर्वव्यापी आधार पर अनंतिम शुल्क की आवश्यकता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - घरेलू उद्योग ने 17 जून, 2024 और 12 जुलाई, 2024 को प्रस्तुत अपने आवेदन और संप्रेषण में अनुरोध किया है कि चीन जन.गण., यूरोपीय संघ और स्विटजरलैंड से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के कारण उसे बढ़ी हुई और सतत क्षति हो रही है। इसे देखते हुए, 31 अक्टूबर,

2022 को घरेलू उद्योग ने माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की मांग की गई। इसके प्रथम दृष्ट्या आकलन और उपलब्ध कराई गई सूचना से संतुष्ट होने पर, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 29 दिसंबर, 2022 ("पूर्व जांच") को पाटनरोधी जांच शुरू की।

- ii. हालांकि, उक्त जांच के लंबित रहने के दौरान, चीन जन.गण. से आयात की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हुई और कीमतों में गिरावट जारी रही। इसने, अन्य देशों से लगातार पाटन के साथ मिलकर, घरेलू उद्योग को संचयी रूप से और अधिक गंभीर रूप से क्षति पहुंचाई है।
- iii. जांच की अधिक हालिया अविध ("पीओआई") अर्थात अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के लिए पाटन और क्षित की पूरी सीमा तक उपयुक्त उपाय की मांग करने के लिए, घरेलू उद्योग ने 17 जनवरी, 2024 को पिछली पूर्व जांच को समाप्त करने का अनुरोध किया। इसके बाद, 31 जनवरी, 2024 को घरेलू उद्योग ने पाटन और क्षित की पूरी सीमा के विरुद्ध उपयुक्त उपाय की मांग करने के लिए एक नई याचिका दायर की। इस बीच, 9 फरवरी, 2024 को, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 17 जनवरी, 2024 के घरेलू उद्योग के अनुरोध के आधार पर एक समाप्त करने संबंधी नोटिस जारी किया। इसके बाद, 31 जनवरी, 2024 के आवेदन में अभिलेखों में मौजूद साक्ष्य से प्रथम दृष्ट्या संतुष्ट होने पर, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संबद्ध जांच शुरू की।
- iv. काफी पाटन हुआ है। घरेलू उद्योग को क्षति अवधि में पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।
- v. क्षति विश्लेषण संचयी आधार पर किया जाता है, और इसलिए प्रत्येक संबद्ध देश से अलग-अलग आयात/बाजार हिस्सेदारी के संबंध में उपर्युक्त उत्पादकों के तर्कों को अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- vi. क्षति अवधि में संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता के उत्पादन और मांग के संबंध में संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। विदेशी निर्यातकों और/या विचाराधीन उत्पाद के आयातकों द्वारा सस्ती कीमतों की पेशकश के कारण याचिकाकर्ता को भारत में कई ग्राहकों से ऑर्डरों का नुकसान भी हुआ है।
- vii. नोसिल लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा सही माने गए अनुसार पाटनरोधी जांच में मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर असंगत है।
- viii. संबद्ध देशों से आयात याचिकाकर्ता के घरेलू बिक्री कीमत से कम कीमतों पर होता है, इस प्रकार, बिक्री कीमत में भारी कटौती होती है और याचिकाकर्ता को नुकसान होता है। इन घटती कीमतों के कारण नुकसान में वृद्धि हुई, जो सीधे तौर पर संबद्ध देशों से कम कीमत वाले आयातों के कारण है।
- ix. याचिकाकर्ता को जांच की अवधि सहित अधिकांश क्षति अवधि में मूल्यह्रास के कारण क्षति का सामना करना पड़ रहा है।
- प्र. यह एक स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि वास्तविक क्षित की मौजूदगी के लिए प्रत्येक आर्थिक पैरामीटर के संबंध में नकारात्मक प्रवृत्तियों की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए, यह तथ्य कि कुछ क्षित पैरामीटर नकारात्मक प्रवृत्ति नहीं दर्शा सकते हैं, का वास्तव में वास्तविक क्षिति के नहीं होने का आशय है।
- xi. बिक्री और उत्पादन याचिकाकर्ता की क्षमता से बहुत कम है, क्योंकि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण बहुत अधिक क्षमताएं निष्क्रिय रह जाती हैं।
- xii. यह नोट करना प्रासंगिक है कि उत्पादकता में वृद्धि का अर्थ है कि याचिकाकर्ता को हुई क्षति की अकार्यक्षमताओं के कारण स्वयं के कारण हुई क्षति के रूप में नहीं माना जा सकता है। ऐसा

- कहकर, याचिकाकर्ता की उत्पादकता और कार्य-क्षमता के बावजूद, याचिकाकर्ता को पाटित किए गए और क्षतिकारक आयातों के कारण क्षति हो रही है। कर्मचारियों की संख्या क्षमता से बहुत कम रही।
- xiii. पाटित आयातों के कारण क्षमता उपयोग में कमी आई है। इसके अलावा, क्षमता उपयोग घरेलू उद्योग की क्षमता से काफी कम है। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद के संबंध में याचिकाकर्ता के प्रचालनों में कोई बाधाएं (जैसे कच्चे माल की कमी) नहीं थी, जिससे कच्चे माल पर आयात निर्भरता का याचिकाकर्ता के क्षमता उपयोग से कोई संबंध नहीं है।
- xiv. याचिकाकर्ता यह स्पष्ट करना चाहता है कि एनएफए और कार्यशील पूंजी रिपोर्ट उत्पादन मूल्य पर किए गए विचाराधीन उत्पाद के लिए आबंटन का आधार है। इसलिए, रिपोर्टिंग में कोई असामान्यता या इन आंकड़ों की बढ़ती प्रवृत्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त, पुनर्मूल्यांकन या विभाजन के कारण क्षति अविध में निवल अचल परिसंपत्तियों, कार्यशील पूंजी या मूल्यह्रास से संबंधित दावा किए गए आंकड़ों में से कोई भी प्रभावित नहीं हआ है।
- xv. घरेलू उद्योग ने पूरी क्षति अवधि के दौरान पीबीआईटी और नकद लाभ, दोनों के संदर्भ में घाटा उठाया है। पीबीआईटी के संदर्भ में घाटा आधार वर्ष में (100) से बढ़कर जांच की अवधि में (196) हो गया। इसके अतिरिक्त, नकद घाटा आधार वर्ष में (100) से बढ़कर जांच की अवधि में (195) हो गया।
- xvi. घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक क्षति के अलावा, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा भी है।
- xvii. उपर्युक्त को देखते हुए, संबद्ध जांच में अनंतिम शुल्कों की सिफारिश आवश्यक है। वास्तव में, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हाल ही में प्रारंभिक जांच परिणामों में अनंतिम शुल्कों की सिफारिश की है, जिसमें घरेलू उद्योगों को उन संबंधित जांचों में हुई नकद हानि वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग की हानि जितनी गंभीर नहीं थी। इस प्रकार, यह अंतरिम शुल्कों के लिए एक उपयुक्त मामला है।
- xviii. वर्तमान जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 20 (2) के तहत पूर्वव्यापी आधार पर शुल्क लगाने की भी आवश्यकता है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 45. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षित के निर्धारण में, "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए" घरेलू उद्योग को क्षित दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने में, यह जांच करना आवश्यक माना जाता है कि क्या भारत वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का काफी मात्रा में ह्वास करना अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन आदि की मात्रा और मार्जिन पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।
- 46. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रतितर्कों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर ध्यान देता है।

क्षति का संचयी आकलन

- 47. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.3 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि जहां एक से अधिक देश से उत्पाद के आयात पाटनरोधी जांचों के अध्यधीन साथ-साथ रखे जा रहे हों, वहां प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी रूप से करेंगे, यदि वह निर्धारित करता है कि:
 - ं. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन 2 प्रतिशत से अधिक निर्यात की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात के 3 प्रतिशत (अथवा उसे अधिक) है अथवा जहां अलग-अलग देशों का निर्यात 3 प्रतिशत से कम है, आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात के 7 प्रतिशत से अधिक होता है, और
 - ii. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्द्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।
- 48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयात की मात्रा और पाटन मार्जिन दोनों ही पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक हैं।
- 49. यह पता लगाने के लिए कि आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है या नहीं, निम्नलिखित मापदंडों की जांच की गई है:
 - विभिन्न पक्षकारों द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद समान वस्तुएं हैं तथा गुणों में तुलनीय हैं।
 - ii. उपभोक्ता आयातित उत्पादों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं।
 - आयात के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है क्योंिक संबद्ध देशों से आयात न केवल उनमें से प्रत्येक द्वारा पेश की गई समान वस्तुओं के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश की गई समान वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- 50. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी चीन, स्विट्जरलैंड और यूरोपीय संघ से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के घरेलू उद्योग पर प्रभाव का संचयी आकलन करना उपयुक्त समझते हैं।
- 51. इस कथन के संबंध में कि जाँच अविध (पीओआई) और पिछले वर्ष में ओवरलैप होने से इन अविधयों के बीच कोई भी तुलना भ्रामक और गलत हो जाती है, यह सर्वविदित है कि जाँच अविध और पिछले वर्ष के बीच ओवरलैप हो सकता है। घरेलू उद्योग ने व्यापार नोटिस संख्या 02/2004 में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप जाँच अविध और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए प्राधिकारी को डेटा उपलब्ध कराया है।
 - 52. इसके अतिरिक्त, अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि "जर्मनी में 29 जुलाई, 2024 को उनके संयंत्र में हुई दुर्घटना के परिणामस्वरूप, आवेदक ने बाजार का दोहन किया है (क्योंकि आपूर्ति की कमी थी) और घरेलू बाजार में पीयूसी की कीमतों में वृद्धि की और प्राधिकारी इसे सत्यापित करने के लिए आवेदक की बिक्री रिकॉर्ड मांग सकता है", प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों में पीओआई अविध के बाद की अविध में मात्रा प्रभाव, मूल्य प्रभाव या आर्थिक मापदंडों पर प्रभाव का आकलन करना उचित नहीं समझता है।
 - 53. जहां तक क्षति और कारणात्मक संबंध का संबंध है, प्राधिकारी ने नीचे पैराग्राफों में घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की है।

छ.3.1 मांग / स्पष्ट खपत का आकलन

54. प्राधिकारी ने, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में संबंधित उत्पाद की मांग या स्पष्ट उपभोग को घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित मांग का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
आवेदक की बिक्री	केजीएस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	122	156
संबद्ध आयात	केजीएस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	209	248	227
अन्य आयात	केजीएस	-	-	-	-
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	-
मांग	केजीएस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	180	189

55. यह नोट किया गया है कि जांच अवधि में कुल मांग पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ी है।

छ.3.2 संबद्ध देशों से आयात का मात्रा प्रभाव

56. आयात की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक होता है कि क्या पाटित आयातों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, चाहे वह निरपेक्ष रूप से हो या भारत में उत्पादन या उपभोग के सापेक्ष हो। क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम से प्राप्त किए गए लेन-देन-वार आयात डेटा पर भरोसा किया है।

क). आयात में पूर्ण वृद्धि

57. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा तथा घरेलू उद्योग के उत्पादन और संबद्ध वस्तुओं की मांग का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई		
संबद्ध आयात	केजीएस	39,581	82,783	98,060	89,717		
चीन	केजीएस	7,480	9,000	33,505	39,500		
यूरोपीय संघ	केजीएस	16,805	11,573	17,634	27,706		
स्विट्जरलैंड	केजीएस	15,296	62,210	46,921	22,511		
अन्य देश	केजीएस	-	-	-	-		
कुल आयात	केजीएस	39,581	82,783	98,060	89,717		
उत्पादन	केजीएस	***	***	***	***		
उत्पादन - प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	146	174		
संबद्ध आयात के संबंध में :							
कुल आयात	%	100	100	100	100		

उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	181	170	131
उपभोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	137	120

58. यह देखा गया है कि-

- घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में संबद्ध देशों से आयात में आधार वर्ष से जांच अविध में वृद्धि हुई है।
- ii. उपभोग के संबंध में संबद्ध देशों से आयात में आधार वर्ष से जांच अवधि में वृद्धि हुई है।
- iii. इसी अविध के दौरान संबद्ध देशों से आयात में भी समग्र रूप से वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया गया है कि क्षति जांच अविध के दौरान मांग में वृद्धि के साथ-साथ घरेलू उद्योग की बिक्री की तुलना में संबद्ध आयात में अधिक तेज गति से वृद्धि हुई है।

छ.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

59. पाटनरोधी नियमों के अनुलग्नक II (ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित आयातों के कारण कीमतों में उल्लेखनीय कमी आई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को उल्लेखनीय सीमा तक कम करना या कीमतों में उल्लेखनीय सीमा तक वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा घटित हो सकती थी।

क) कीमत में कटौती

60. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना आयातों की पहुंच कीमत से करते हुए मूल्य कटौती का निर्धारण किया गया है। यह देखा गया है कि जांच अवधि के दौरान मूल्य कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

विवरण	इकाई	पीओआई
निवल बिक्री कीमत	₹/िक.ग्रा	***
पहूँच कीमत	₹/ कि.ग्रा	***
कीमत में कटौती	₹/ कि.ग्रा	***
कीमत में कटौती	%	***
रेंज	रेंज	10-20%

61. यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के दौरान, संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही थी। इसके अलावा, कीमतों में कटौती काफी अधिक थी।

ख). कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

62. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों में गिरावट आ रही है और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को उल्लेखनीय सीमा तक कम करना है या मूल्य वृद्धि को रोकना है, जो

अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की जांच निम्नानुसार की है।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
बिक्री	₹/कि.ग्रा	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	122	119
बिक्री मूल्य	₹/ कि.ग्रा	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	102	98
पहूँच कीमत	₹/ कि.ग्रा	6,102	5,863	5,390	5,230
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	88	86

- 63. यह नोट किया गया है कि आधार वर्ष को छोड़कर, जांच अवधि सहित क्षति अवधि में आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से कम था।
- 64. आयात की कीमतें भी कम हुई हैं और क्षति अवधि (आधार वर्ष को छोड़कर) में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से काफी कम थीं। इसने घरेलू उद्योग को लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतों को बढ़ाने से रोका। इसलिए, यह नोट किया गया है कि आयात ने मूल्य वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा बढ़ गई होती

छ.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

65. पाटन-रोधी नियमों के अनुलग्नक II में यह अपेक्षित है कि क्षित के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की एक वस्तुपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियम आगे प्रावधान करते हैं कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर लाभ या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, इन्वेंट्री, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षित मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है।

i) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

66. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन निम्नानुसार रहा:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
संस्थापित क्षमता – पीयूसी + एनपीयूसी	केजीएस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	128
उत्पादन- पीयूसी + एनपीयूसी	केजीएस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	92	78

क्षमता उपयोग - पीयूसी + एनपीयूसी	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	92	61
उत्पादन – पीयूसी	केजीएस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	146	174
घरेलू बिक्री – पीयूसी	केजीएस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	122	156
निर्यात बिक्री – पी.यू.सी.	केजीएस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	73	86	158

67. प्राधिकारी नोट करते है कि:-

- हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि ऊपर दी गई तालिका में दर्शाई गई क्षमता का उपयोग पीयूसी और गैर-पीयूसी दोनों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है।
- ii. क्षति अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में कमी आई है।
- iii. घरेलू बिक्री और उत्पादन के संबंध में, इसमें वृद्धि हुई है। यद्यपि, यह मांग, आयात और याचिकाकर्ता की क्षमता की वृद्धि से काफी कम है।

ii) बाजार हिस्सेदारी

68. घरेलू उद्योग और आयातों की बाजार हिस्सेदारी की जांच नीचे दी गई तालिका में की गई है:

बाजार हिस्सेदारी	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
घरेलू उद्योग	%-सूचीबद्ध	100	64	68	83
संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
संबद्ध आयात	%-सूचीबद्ध	100	142	137	120
अन्य आयात	%-सूचीबद्ध	-	-	-	-

69. प्राधिकारी नोट करते है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक होने तथा क्षमतावान होने के बावजूद, भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी केवल ***% है। संबद्ध देशों से आयातों ने पूरी क्षति अविध के दौरान भारतीय बाजार पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा है, जिसकी जांच अविध के दौरान हिस्सेदारी ***% रही।

iii) मालसूची

70. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

बाजार हिस्सेदारी	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
प्रारंभिक मालसूची	केजीएस	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	केजीएस	***	***	***	***

औसत मालसूची	केजीएस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	287	57

71. यह नोट किया गया है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में औसत इन्वेंटरी में कमी आई है।

iv) लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

72. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
बिक्री लागत (घरेलू)	₹/केजीएस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	122	119
विक्रय मूल्य	₹/ केजीएस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	102	98
लाभ/(हानि)	₹/ केजीएस	***	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-278	-390	-408
लाभ/(हानि)	₹ Lacs	***	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-262	-477	-638
नकद लाभ	₹ लाख	***	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-151	-299	-402
नकद लाभ	₹/ केजीएस	***	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-161	-244	-257
आरओसीई	%	***	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-281	-264	-263

73. यह नोट किया जाता है कि:

- आधार वर्ष को छोड़कर, घरेलू उद्योग को संपूर्ण क्षित अविध के दौरान घाटा हुआ है।
- ii. विशेष रूप से, आधार वर्ष को छोड़कर आवेदक को जांच अविध सिहत क्षित अविध के दौरान नकद घाटा के साथ-साथ नियोजित पूंजी पर नकारात्मक रिटर्न भी प्राप्त हुआ है।
- 74. अन्य इच्छुक पक्षों ने दावा किया है कि नियोजित पूंजी, निवल अचल परिसंपत्तियां और कार्यशील पूंजी, मूल्यह्रास और बिक्री लागत में वृद्धि परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और नई परिसंपत्तियों की खरीद, यदि कोई हो, के कारण हुई है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा सूचित आंकड़ों का सत्यापन किया है और इन निष्कर्षों में आकलित क्षति मापदंडों पर नियमों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव को समाप्त कर दिया है।
- 75. इच्छुक पक्षों ने यह भी दावा किया है कि कार्यशील पूंजी में वृद्धि या तो गलत है या भ्रामक है, जिसके तहत याचिकाकर्ता ने एनआईपी और निर्मित सामान्य मूल्य में असामान्य रूप से वृद्धि की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता के ऑन-साइट सत्यापन और नियमों के अनुसार घरेलू उद्योग के दावे की जांच के अनुसरण में, प्राधिकारी ने नियमों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार एनआईपी और सामान्य मूल्यों का निर्धारण पाटन-रोधी नियमों के तहत निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया गया है।

v) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

76. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित सूचना की जांच की है, जिसका विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	112	112
वेतन और मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	168	206
प्रति दिन उत्पादकता	मीट्रिक टन/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	146	174
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मीट्रिक टन/संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	130	154

- 77. यह देखा जा सकता है कि:
 - i. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में प्रतिदिन उत्पादकता में वृद्धि हुई।
 - ii. अधिकांश क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या समान रेंज में रही।

i) <u>वृद्धि</u>

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
बिक्री मूल्य	आईएनआर /केजीएस	***	***	***	***
147/11 4/1	<i>वाई/</i> वाई		***	(***)	(***)
लाभ/(हानि)	आईएनआर /केजी	***	(***)	(***)	(***)
	वाई/वाई		(***)	(***)	(***)
बाजार हिस्सेदारी (%)	%	***	***	***	***
	वाई/वाई		(***)	***	***
नकद लाभ(आईएनआर/केजी)	आईएनआर /केजी	***	(***)	(***)	(***)
	वाई/वाई		(***)	(***)	(***)
आरओआई	%	***	(***)	(***)	(***)
जारजाजाइ	वाई/वाई		(***)	***	***

78. यह देखा गया है कि लाभ, बाजार हिस्सेदारी और आरओआई के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक या नगण्य बनी हुई है।

vii) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव

79. आवेदक ने अनुरोध किया कि उसे भारी घाटा हुआ है और उसे नकारात्मक रिटर्न का सामना करना पड़ रहा है। क्षित अविध में ब्याज, कर, मूल्यह्रास और पिरशोधन से पहले की आय (ईबीआईडीटीए) लगातार कम होती चली गई है और नकारात्मक बनी हुई है। आवेदक ने आगे कहा है कि नकारात्मक ईबीआईडीटीए से पता चलता है कि घरेलू उद्योग अपने वर्तमान दायित्वों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त आय नहीं कर रहा है और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

viii) पाटन की मात्रा

- 80. पाटन मार्जिन इस बात का संकेतक हो सकता है कि पाटित आयात से घरेलू उद्योग को किस हद तक नुकसान हो सकता है। पाटन मार्जिन सभी देशों के लिए सकारात्मक है
- 81. भौतिक क्षति के अलावा, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति का खतरा है। क्षति अविध के दौरान संबद्ध देशों से पीयूसी के आयात में वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए प्रश्नावली के उत्तरों के अनुसार, यह नोट किया गया है कि जिस दर से ऐसे उत्पादकों के निर्यात में वृद्धि हो रही है वह उनकी घरेलू बिक्री की तुलना में काफी अधिक है। घरेलू उद्योग ने कहा है कि यूरोपीय संघ के उत्पादक, बीएएसएफ ने विटामिन ए का उत्पादन करने के लिए अपनी क्षमता में ***% की वृद्धि की है। अंत में, संबद्ध देशों से पाटित और क्षतिपूर्ण आयातों के कारण कीमतों में भारी गिरावट आई है।

ज. कारणात्मक संबंध और गैर-एट्टिब्यूशन विश्लेषण

ज.1 अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा अनुरोध

- 82. विभिन्न इच्छुक पक्षों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - याचिकाकर्ता स्वभावत: अकुशल मशीनरी और उपकरणों का उपयोग कर रहा था और यह बात पिछले वर्षों की तुलना में जांच अविध में एनपीयूसी के उत्पादन में गिरावट से स्पष्ट है।
 - ii. आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और कच्चे सामग्री की लागत में उतार-चढ़ाव क्षित का कारण है और आवेदक ने स्वयं उल्लेख किया है कि कई सरकारों ने महामारी के दौरान विनिर्माण बिक्री के लिए आवश्यक दवा उत्पादों या इनपुट के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है। इच्छुक पक्षों ने यह भी उल्लेख किया है कि उच्च आयात निर्भरता के कारण क्षमता उपयोग कम हुआ है, उच्च लागत और हानि हुआ है। इच्छुक पक्षों ने आगे उल्लेख किया है कि वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 में लॉकडाउन और उल्लेखनीय बाजार व्यवधानों का अनुभव हुआ, जिसने डेटा को और खराब कर दिया है।
 - iii. चूंकि पीपीएल ने स्वयं संबद्ध वस्तुओं के आपूर्तिकर्ताओं से विटामिन-ए एसीटेट का आयात किया है, इसलिए यह मानना उचित है कि संबद्ध वस्तुओं के ऐसे आपूर्तिकर्ताओं को आवेदक की तुलना में कुछ भौतिक लाभ होंगे, जिसे संबद्ध वस्तुओं की कथित पाटन के माध्यम से मूल्य भेदभाव के मामले के रूप में नहीं देखा जा सकता है।
 - iv. याचिकाकर्ता को क्षति याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई विनिर्माण प्रक्रिया के कारण हुई है, अर्थात पीयूसी का उत्पादन बुनियादी चरण से न करके मध्यवर्ती चरण से किया गया है।
 - v. पीपीएल अपने द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं का उपयोग (***-***% की दर से) अपने अन्य डाउनस्ट्रीम उत्पादों में करता है, जिसमें हैदराबाद स्थित उसका संयंत्र भी शामिल है, जो एक ईओयू है, और क्षति के दावों की जांच संबद्ध वस्तुओं के अंतर-कंपनी अंतरण/कैप्टिव उपयोगों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि, यदि याचिकाकर्ता कैप्टिव उपभोग को प्राथमिकता देता है, तो पीयूसी की कमी और परिणामी प्रभाव विनाशकारी होगा।
 - vi. आवेदक की महत्वपूर्ण क्षमताएं जांच अवधि में निष्क्रिय रहती हैं। तदनुसार, यह स्पष्ट है कि आवेदक को अपने कुप्रबंधन और क्षमता से अधिक कार्य करने के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है।

A.1.1 ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

83. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी हैं:

- i. पी.यू.सी. सहित कई उत्पादों का उत्पादन डिग्वाल और महाड संयंत्रों में किया जाता है, और एन.पी.यू.सी. का उत्पादन उसकी मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है।
- ii. जांच अविध के दौरान, पीयूसी के संबंध में याचिकाकर्ता के प्रचालन पर ऐसी कोई बाधाएं (जैसे कच्चे माल की कमी, बिजली की कमी, कर, क्षमता/िनवेश बाधाएं आदि) नहीं थीं। पीपीएल एक अनुबंध के तहत सहमत कीमत पर बीएएसएफ से कच्चा माल विटामिन-ए एसीटेट प्राप्त करता है, जो क्षति अविध से लागू है, और अब तक पीपीएल को कच्चे माल की आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, उच्च आयात निर्भरता के कारण पीयूसी के उत्पादन के लिए उच्च लागत या कम क्षमता के उपयोग का कोई प्रश्न ही नहीं है कम क्षमता का उपयोग, जैसा कि यहां प्रासंगिक खंडों में विस्तार से बताया गया है, पाटित आयातों के कारण है। यह आश्चर्यजनक है कि बीएएसएफ कच्चे माल की आपूर्ति में व्यवधान का दावा कर रहा है, जबिक वह स्वयं पीपीएल को कच्चे माल आर्थात विटामिन-ए एसीटेट का एकमात्र आपूर्तिकर्ता है।
- iii. यद्यपि संबद्ध देशों के उत्पादक बैकवर्ड एकीकृत हो सकते हैं, फिर भी तथ्य यह है कि वे भारत में पाटन में में लगे हुए हैं।
- iv. पीपीएल को उसकी मौजूदगी के रूप में देखा जाना चाहिए (अर्थात, पीपीएल को पाटित आयातों के कारण क्षति हो रही है, भले ही वह बैकवर्ड एकीकरण में लगा हो या मध्यवर्ती चरण से पीयूसी का उत्पादन कर रहा हो) और इसलिए, अन्य पक्षों के उत्तर को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।
- v. पीयूसी की मांग के संबंध में याचिकाकर्ता ने कहा है कि इसमें वृद्धि हुई है। हालांकि, उत्पादन की क्षमता होने के बावजूद याचिकाकर्ता को मांग में वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाया है, जो कि संबद्ध देशों से पीयूसी के पाटित आयातों द्वारा पूरी तरह से समाहित हो गई है।
- vi. पाटित आयातों के कारण क्षमता उपयोग में कमी आई है। विशेष रूप से, क्षमता उपयोग घरेलू उद्योग की क्षमता से बहुत कम है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 84. नियमों के अनुसार, प्राधिकारी को अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अतिरिक्त अन्य ज्ञात कारकों की भी जांच करनी होती है, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, ताकि इन अन्य कारकों से होने वाली क्षति को पाटित आयातों के कारण न माना जाए।
- 85. <u>तीसरे देशों से आयात की मात्रा और मूल्य</u>: प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में गैर-संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं हुआ है।
- 86. <u>मांग में संकुचन:</u> यह देखा गया है कि पीयूसी की मांग बढ़ गई है। इसलिए मांग में संकुचन क्षति का स्रोत नहीं है।
- 87. <u>उपभोग पैटर्न</u>: यह नोट किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद की उपभोग पैटर्न में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।
- A.1.288. प्रतिस्पर्धा शर्तें और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं: प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिस्पर्धा शर्तें या व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं का कोई साक्ष्य नहीं है जो घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए जिम्मेदार हैं।
- 89. <u>प्रौद्योगिकी का विकास:</u> प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो। प्रौद्योगिकी अंतर के संबंध में किसी भी प्रस्तुति को इच्छुक पक्षों द्वारा उचित रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है।

- 90. <u>उत्पादकता:</u> प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। अतः, घरेलू उद्योग को इस कारण से कोई क्षति नहीं हुई है।
- 91. घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन: ऊपर जांची गई क्षति सूचना केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन से संबंधित है। इस प्रकार, हुई क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- 92. <u>अन्य उत्पादों का प्रदर्शन</u>: प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के प्रदर्शन से संबंधित आंकड़ों पर ही विचार किया है। इसलिए, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का प्रदर्शन घरेलू उद्योग के लिए क्षति का संभावित कारण नहीं है।
- 93. विनिर्माण प्रक्रिया के कारण उच्च रूपांतरण लागत: इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षिति घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई विनिर्माण प्रक्रिया के कारण हुई है, अर्थात् पीयूसी का उत्पादन बुनियादी चरण से न करके मध्यवर्ती चरण से किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को उसकी मौजूदगी के रूप में देखा जाना चाहिए, अर्थात् उसे क्षित हो रही है, भले ही वह उद्योग बैकवर्ड एकीकरण में लगा हो अथवा न हो।
- 94. माननीय सीईएसटीएटी ने निप्पॉन जियोन कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में माना है कि " [t] घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति संबंधी प्रश्न का निर्णय आदर्श परिस्थितियों की कल्पना करके नहीं किया जा सकता, बल्कि उचित समायोजन करते हुए विद्यमान परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। "⁸
- 95. अन्य इच्छुक पक्षों ने यह दावा किया है कि नियोजित पूंजी, निवल अचल परिसंपत्तियां और कार्यशील पूंजी, मूल्यहास और बिक्री लागत में वृद्धि परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और नई संपत्तियों की खरीद, यिद कोई हो, के कारण हुई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कार्यशील पूंजी में वृद्धि या तो गलत है या भ्रामक है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता ने एनआईपी और निर्मित सामान्य मूल्य में असामान्य रूप से वृद्धि की है और साथ ही, क्षित मापदंडों के मूल्यांकन में पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव को बाहर रखा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के ऑन-साइट सत्यापन के अनुसार मूल्यहास पर पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पुनर्मूल्यांकन ने कार्यशील पूंजी और एनएफए के दावा किए गए आंकड़ों को प्रभावित नहीं किया है। तदनुसार, घरेलू उद्योग के अन्य आर्थिक मापदंडों पर पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रभाव नहीं है। एनआईपी का निर्धारण पाटन-रोधी नियमों के तहत निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर भी किया गया है।

B झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

96. प्राधिकारी ने अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित किए गए सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया है। क्षतिरहित कीमत को घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पादन की लागत से संबंधित जानकारी/आंकड़ों को अपनाने के द्वारा निर्धारित किया गया है। क्षतिरहित कीमत पर क्षति मार्जिन की संगणना करने के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, क्षति अविध में घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह तिया गया है। क्षति अविध में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत पर कोई असाधारण या अनावर्ती व्ययों को प्रभारित नहीं किया गया है। क्षतिरहित कीमत पर पहुंचने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित की गई औसत पूंजी पर (अर्थात औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (कर पूर्व @22 प्रतिशत) को अनुमित दी गई थी। क्षति मार्जिन की संगणना करने के लिए इस प्रकार निर्धारित एनआईपी पर विचार किया गया है।

⁸ निप्पॉन ज़िऑन कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 1996 (88) ईएलटी 569 ट्राई डेल.

- 97. निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत को निर्धारित किया गया है। संबद्ध देशों से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत को निर्धारित किया है।
- 98. उपरोक्त अनुसार निर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन को प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है और इसे सारणी में उपलब्ध कराया गया है।

क्षति मार्जिन

क्र.सं.	उत्पादक का नाम	एनआईपी (अमरीकी डॉलर/कि.ग्रा.)	पहुंच कीमत (अमरीकी डॉलर/कि.ग्रा.)	क्षति मार्जिन (अमरीकी डॉलर/कि.ग्रा.)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज%)
क	चीन					
1	शांगयु एनएचयू बायो-केम कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30%
2	अन्य	***	***	***	***	35-45%
ख	स्विटजरलैंड					•
3	डीएसएम न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड	***	***	***	***	0-10%
4	अन्य	***	***	***	***	5-15%
ग	यूरोपीय संघ					
5	कोई भी उत्पादक	***	***	***	***	15-25%

ञ. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

ञ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।
- ii. शुल्क के लागू किए जाने से हमारी तथा उन डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं की लागत बढ़ेगी जो अपने खाद्य पदार्थों तथा पेय पदार्थों में विटामिन ए का प्रयोग करते हैं। वर्तमान विनियमों के तहत गैर-जरूरी होने के कारण चालव, दूध आदि का सुदृढ़ीकरण विटामिन ए के समग्र प्रयोग को प्रभावित करेगा जिस कारण खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में पोषण संबंधी विसंगतियां आ सकती हैं। अत:, किसी सशक्त एडीडी का प्री-मिक्स के डीएनपी भारतीय और डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं के प्रचालनों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।

- iii. याचिकाकर्ता विटामिन ए का एसिटेट फार्म में आयात करते हैं और इसे केवल पामिटेट फर्मा में परिवर्तित करते हैं। डीएसएम समूह के विपरीत, याचिकाकर्ता आधारभूत स्तर से पीयूसी का उत्पादनकर्ता नहीं है, बल्कि केवल एक प्रोसेसर है जो विटामिन ए को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। भारतीय उद्योग पीयूसी के प्रोसेसर पर निर्भर नहीं कर सकता, विशेषकर ऐसे उत्पाद में जिसका पोषण उद्योग में विस्तृत अनुप्रयोग है।
- iv. विटामिन ए पामिटेट का आयात पहले ही उस पर 10 प्रतिशत के समाज कल्याण प्रभार सहित 7.5 प्रतिशत का आधारभूत सीमा शुल्क भी झेल रहा है। वर्तमान आधारभूत सीमा शुल्क के ऊपर एडीडी को लागू करने से यह डीएनपी इंडिया की प्रतिस्पर्धात्मकता को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करेगा और पीयूसी बाजार को प्रतिस्पर्धार विरोधी और स्वरूप से एकाधिकारवादी बना देगा क्योंकि बाजार याचिकाकर्ता पर निर्भर हो जाएगा, जोकि पीयूसी का केवल एक प्रोससर है।
- v. यदि याचिकाकर्ता डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं की जरूरत की तुलना में कैप्टिव खपत को प्राथमिकता देता है तो पीयूसी की कमी और परिणामी प्रभाव आपत्तिजनक होंगे। यह संभावना उस स्थिति में और अधिक खराब हो जाएगी यदि एडीडी को लागू करने के कारण बाजार एकाधिकारवादी बन जाता है।
- vi इसके अलावा, हम समझते हैं कि याचिकाकर्ता की दिगवाल इकाई एक निर्यातोन्मुखी इकाई (ईओयू) है जो पीयूसी/अन्य डाउनस्ट्रीम उत्पादों का निर्यात करती हे जो यह देखते हुए भारत में प्रयोक्ताओं को पीयूसी की उपलब्धता को भी बाधिक करेगी कि याचिकाकर्ता भारत में पीयूसी का एक मात्र प्रोसेसर है।
- vii. डीएनपी इंडिया प्री-मिक्सस की बिक्रियों पर कोई लाभ अर्जित नहीं कर रहा है। पीयूसी की लागत में कोई भी वृद्धि प्री-मिक्स व्यापार का वित्तीय स्थिति को और अधिक खराब करेगी जिस कारण डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं की लागतों में वृद्धि होगी।
- viii. भारत जेनेरिक फर्मास्युटिकल्स का सबसे बड़ा निर्यातक है। इन फर्मास्युटिकल्स उत्पादों में से बहुत उत्पादों में पीयूसी को एक इनपुट के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसी प्रकार के एडीडी को लागू किया जाना उनके उत्पादों को मंहगा बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उन्हें अप्रतिस्पर्धी बना देगा।
- ix. याचिकाकर्ता पीयूसी का एक मात्र उत्पादक है और इसके पास पर्याप्त क्षमताएं हैं। शुल्क को लागू किए जाने से एक एकाधिकारवादी स्थिति सृजित होगी, साथ ही पीयूसी के लिए अभाव का निर्माण होगा जिसके जरिए वह कुल मिलाकर जनता के स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करेगा।
- प्र. शुल्कों को लागू किए जाने के कारण पीयूसी की लागतों में कोई भी वृद्धि निरपवाद रूप से न केवल प्री-मिक्सस की समग्र लागतों को प्रभावित करेगी जिसका डीएसएम, इंडिया विनिर्माण करता है, बल्कि ऐसे उत्पादों की कीमतों में भी वृद्धि करेगी जिनका प्री-मिक्सस के अंतिम प्रयोक्ताओं द्वारा विनिर्माण किया जाता है। प्री-मिक्सस की लागत में कोइ्र भी वृद्धि उपयोगकर्ताओं को खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के स्वैच्छिक सुदृढ़ीकरण से दूर कर देगी और जिसके द्वारा सामान्य जतना की पोषण संबंधी जरूरतों को प्रभावित करेगी।
- xi. पीयूसी का प्रयोग फर्मास्युटिकल्स, सौंदर्य प्रसाधनों, स्वास्थ्य सप्लीमेंट्स और व्यक्तिगत देखभाल खंडों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है और शुल्कों को लगाने से वह इन खंडों में कार्य करने वाले निर्माताओं को अप्रतिस्पर्धी बना देंगे अथवा उन्हें हानियां उठाने के लिए मजबूर कर सकते हैं।
- xii. पीयूसी का इनपुट के रूप में प्रयोग करने वाले कुछ उत्पाद डीपीसीओ के अधीन हैं और शुल्क को लागू किया जाना डाउनस्ट्रीम उद्योग को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा, क्योंकि वे तदनुरूपी रूप से कीमतों में वृद्धि करने की स्थिति में नहीं होंगे।
- xiii. प्राधिकारी को पीयूसी पर शुल्कों के देशव्यापी प्रभावों को ध्यान में रखना चाहिए।

xiv. एनएचयू समूह ने दावा किया है कि पाटनरोधी उपायों को लागू किया जाना भारत में सार्वजिनक हित को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा। याचिकाकर्ता का अभिव्यथन कि मध्यवर्ती उत्पादों के लिए लागत में वृद्धि 0.5 प्रतिशत से कम होगी जो बाजार की गतिशीलता की जिंटलताओं को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करती। वास्तविकता में, प्रश्नावधीन उत्पाद पर 10 प्रतिशत के अतिरिक्त शुल्क से परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिशत की तुलना में डाउनस्ट्रीम उत्पादों के लिए लागतों में अधिक महत्वपूर्ण वृद्धि होने की संभावना है।

ञ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 99. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. पीयूसी का विभिन्न क्षेत्रों, जिनमें खाद्य पदार्थ, कास्मेटिक और फर्मास्युटिकल्स उद्योग शामिल हैं, के अंतर्गत आने वाले मध्यवर्ती उत्पादों की व्यापक किस्मों में प्रयोग किया जाता है।
 - ii. यह अनुरोध किया जाता है कि पीयूसी का योगदान मध्यवर्ती उत्पादों में उपभोक्ता क्षेत्र के आधार पर भिन्न-भिन्न है।
 - iii. पीयूसी को उत्पादित करने की क्षमता और क्षति अवधि में निम्न क्षमता उपयोग पाटित आयातों के कारण है।
 - iv. यदि पीपीएल पीयूसी का एक मात्र उत्पादक है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि पीपीएल का अभिप्राय एकाधिकार निर्मित करने का है अथवा वह ऐसा ही करेगा। यह कल्पना करना भी कि एकाधिकार की स्थिति विद्यमान है, भारतीय प्रतिस्पर्धा कानूनों के तहत कोई चिंता की बात नहीं है जब तक कि एकाधिकार का दुरुपयोग न किया जाए, जिसमें पीलीएल संलग्न नहीं है। कहते हैं कि पीपीएल को पाटनरोधी शुल्क की मांग करने से नहीं रोका गया है। याचिकाकर्ता प्रस्तुत करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन पाटन की अनुचित व्यापार पद्धति के विपरीत प्रभावों को बे-अहसर करना है। पीयूसी के आयातों को पाटनरोधी शुल्कों के जरिए प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। इसकी अपेक्षा याचिकाकर्ता और आयात एक समान स्तर पर व्यापार में प्रतिस्पर्धा करेंगे।
 - v. याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर पीयूसी पर पाटनरोधी शुल्क को लागू किया जाना डाउनस्ट्रीम उत्पाद की लागत और तैयार उत्पाद की लागतों और कीमतों को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित नहीं करेगा। पीयूसी पर लगभग *** प्रतिशत शुल्कों को लागू किए जाने से तैयार उत्पाद अथवा प्री-मिक्स की लागत पर *** प्रतिशत से कम प्रभाव डालेगा।
 - vi पीयूसी पर पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने का तैयार उत्पादों कल लागतों पर केवल न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। वे कहते हैं कि ग्राहक तैयार उत्पादों (पीयूसी का प्रयोग करते हुए उत्पादित किया गया) की आरएक्स (प्रिस्क्रिप्शन आधारित) रूट अथवा ओटीसी / एफसीएसएआई / न्यूट्रास्युटिकल रूट के अंतर्गत बिक्री करता है। ओटीसी / एफएसएसएआई । न्यूट्रास्युटिकल रूटों के तहत बेचे जाने वाले तैया उत्पादों पर कोई मूल्य सीमा नहीं लगाई जानी चाहिए, जबिक आरएक्स रूट के बतहत बेचे जाने वाले उतपाद पर मूल्य सीमा लागू की जानी चाहिए। पीपीएल की बाजार आसूचना के अनुसार, डीपीसीओ के तहत बेचे जाने वाले तैयार उत्पाद बहुत महत्वपूर्ण हैं।
 - vii. रिकार्ड पर कोई प्रियोक्ता (एक संबंधित आयातक सह प्रयोक्ता के अतिरिक्त अर्थात डीएसएम) दर्ज नहीं है।

- 100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग पर थोपी गई क्षति का परिशोधन करना है, जिसके द्वारा भारतीय बाजार में एक खुली और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा के वातावरण का पोषण करना है। पाटनरोधी उपायों को लागू किया जाना संबद्ध दिशों से मनमाने ढंग से आयातों में कटौती करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। इसके बजाय, यह समान स्तर पर व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है। प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों की दृढ़ता भारत में उत्पाद के कीमत स्तरों को प्रभावित कर सकती है। तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की भावना इन उपायों को जारी रखने के द्वारा अप्रभावित बनी रहेगी। ह्वासमान प्रतिस्पर्धा से दूर, पाटनरोधी उपायों को लागू किया जाना पाटन के अभ्यासों के जिए अनुचित लाभों को प्रोद्भूत किए जाने से रोकेगा। यह ग्राहक के संबद्ध वस्तुओं के विस्तृत चयन की रक्षा करता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क एक बाधा नहीं है, बिल्क उचित व्यापार पद्धित के सुगमकर्ता है।
- 101. प्राधिकारी ने आयातों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से उनके मतों को आमंत्रित करते हुए, जांच शुरूआत अधिसूचना जारी की। एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी घरेलू उद्योग, उत्पादकों / निर्यातकों और आयातकों / प्रयोक्ताओं / उपभोक्ताओं सहित विभिन्न स्टेकधारकों को वर्तमान जांच के संबंध में, उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के पड़ने वाले संभावित प्रभाव सहित, संगत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अनुमित प्रदान करने हेतु निर्धारित की गई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के कोई भी प्रयोक्ता प्राधिकारी के समक्ष प्रतिभागिता करने के लिए आगे नहीं आए है अथवा आर्थिक हित प्रश्नावली के लिए उत्तर प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, किसी भी पक्षकार ने प्रवृत्त शुल्कों के विपरीत प्रभाव को इंगित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। डीएनपी इंडिया अर्थात डीएनपी, एजी का संबंधित आयातक, के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने एक आर्थिक हित प्रश्नावली दायर की है, जिसमें इसने अपनी लागतों पर शुल्कों के प्रभाव के बारे में बताया है। घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए एक विस्तृत संगणना प्रस्तुत की है कि पाटनरोधी शुल्क को लागू करने से तैयार उत्पाद अर्थात प्री-मिक्स की लागतों सहित प्रयोक्ता उद्योग पर एक नगण्य प्रभाव (*** प्रतिशत शुल्क पर *** प्रतिशत के तहत) पड़ेगा।

ट. प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियां

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 102. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - प्राधिकारी से पीयूसी का उत्पादन करने के लिए विटामिन ए एसिटेट से वास्तविक मूल्यवर्धन पर विशिष्ट जांच परिणाम उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, क्योंकि आवेदक ने लगभग 40 प्रतिशत मूल्यवर्धन के बारे में बात की है।
 - ंं. के. सेवंती लाल ने अनुरोध किया है कि एक दिन के विलंब को माफ किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अनजाने में और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा को नोट करने में निर्णय की त्रुटि के कारण घटित हुआ है।
 - iii. प्रकटीकरण विवरण के पैराग्राफ 71 पर कर पूर्व लाभ की सूचकांक प्रवृत्ति दर्शाता है कि यह 2021-22 में (278) से बढ़ कर (408) हो गया जो कि एक तीव्र गिरावट है। तथापि, समान अवधि में नियोजित पूंजी पर आय में (281) से (269) पर 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह कर पूर्व लाभ और नियोजित पूंजी पर आय की प्रवृत्ति में एक असर असमानता प्रतीत होती है ओर इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए।

- iv. क्षति संबंधी मापदंड दर्शाते हैं कि दावा की गई क्षति केवल कीमत संबंधी पैरामीटरों में दावा की गई है ओर न कि रोजगार स्तर सहित मात्रा संबंधी पैरामीटरों के संबंध में।
- v. आवेदक की मार्जिन संबंधी चिंता कच्चे माल के लिए आयातों पर उनकी निर्भरता के कारण है जबिक निर्यातकों को कच्चे मामल के स्तर से ही एकीकृत होने का लाभ मिलता है। अत:, क्षित का कारण पीयूसी का कथित पाटन नहीं हो सकता। अक्षम व्यापार मॉडल संबद्ध देशों से कच्चे माल के आयातों पर निर्भर है।
- vi प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया पाटन और क्षित मार्जिन अत्यधिक प्रतीत होता है। यदि ऐसी उच्च प्रतिशत को पाटनरोधी शुल्कों में परिवर्तित किया जाता है, तब प्रयोक्ता, हालांकि प्रयोक्ता प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं है, क्षित को झेलेंगे, जिस कारण संकट उत्पन्न होगा। इसलिए, शुल्क का एक संदर्भित रूप पर केवल तभी विचार किया जाएगा और वह उचित रूप से आवेदक द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति में कमी को दूर करने में सहायता करेगा और प्रयोक्ताओं को शुल्क की एक निश्चित मात्रा की अदायगी करने की जरूरत नहीं होगी तब भी जब भारत में माल की आपूर्ति में कमी है।
- vii. कीमतों और उनके विकास से संबंधित अनिवार्य आंकड़ों की अगोपनीय सारांश, सामान्य मूल्य की संगणना, प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई कथित पाटन संबंधी संगणनाएं अपर्याप्त है। प्राधिकारी ने सूचकांकों के रूप में सामान्य मूल्य तक उपलब्ध नहीं कराए हैं। इसके अलावा, उदाहरण के लिए इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है कि सूचकांक स्वरूप में आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में दिया जाना अथवा प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं था।
- viii. आवेदक ने गोपनीयता का अत्यधिक प्रयोग किया है, इस प्रकार पक्षकारों को उनके स्वयं की रक्षा के अधिकार से वंचित रखा है। जांचकर्ता अधिकारी को इस अनियमितता को सही करना चाहिए और पक्षकारों को विश्वास में उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीयत पाठ उपलब्ध कराना चाहिए।
- ix. आवेदन और अगोपनीय विवरण में उपलब्ध कराया गया डेटा दर्शाता है कि संबंधित देशों से हुए कुल आयातों में कुल रूप में वृद्धि हुई प्रतीत होती है। हालांकि, इसका इस तथ्य के प्रकाश में विश्लेषण नहीं किया गया है कि 2020 के बाद से भारत में किसी अन्य देश से पीयूसी ने प्रवेश नहीं किया है और आवेदक बढ़ती हुई मांग का केवल 65 प्रतिशत ही पूरा कर पाता है। आवेदन की यथार्थता प्रश्नाधीन है क्योंकि आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए आयात आंकड़ों तथा प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में विसंगति है। आवेदक ने ईयू से आयातों की मात्रा को सकल रूप से 54 प्रतिशत तक और भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे कुल आयातों को 25 प्रतिशत तक अति प्राक्कलन किया है।
- x. आवेदक और प्रकटीकरण विवरण 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक के दायरे में महत्वपूर्ण कीमत कटौती पर आरोप लगाते हैं। कोई अन्य सूचना, जैसे मूल के प्रत्येक देश से कीमत कटौती को उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- xi. अन्य कारकों को पीओआई में आवेदक के लिए प्रतिकूल घटनाक्रमों के प्रभाव के लिए विश्लेषण किया जा सकता था, विशेषकर पीओआई में लागतों में वृद्धि के संबंध में।
- xii. आवेदक ने पीयूसी के उत्पादन में वृद्धि की हे किंतु बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में असमर्थ रहा है। इसलिए, घरेलू मांग को पूरा करने में इस अक्षमता के परिणामस्वरूप अंतर को पूरा करने के लिए आयातों में वृद्धि हुई।
- xiii. आवेदक लगातार अपने फार्मा व्यापार के प्रचालनों का पुन: निर्माण करता रहा है और संबंधित पुनर्निर्माण लागतों ने निवल आय को प्रभावित किया है जो लाभ में ऋणात्मक विकास को स्पष्ट करता है।

- xiv. इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि क्या एस्टर एक एसिटेट है अथवा पामिटेट या प्रोपिपोनेट क्योंकि एसिटेट / पामिटेट को अंतत: छांट दिया जाता है और केवल विटामिन ए (रेटीनॉल) ही है जिसे शरीर अवशेषित करता है। एस्टर में कार्बन की श्रृंखला प्रमुख मोलीक्यूल रेटीनॉल की कार्यात्मकता में कोई परिवर्तन नहीं करती।
- xv. विटामिन ए एसिटेट का इसके आधारभूत कच्चे माल से उत्पादन करने में मूलभूत घटकों से आरंभ करके एक जिटत और प्रौद्योगिकी संचालित बीस कदम शामिल हैं। दूसरी ओर रेटिनॉल एसिटेट से रेटिनॉल पामिटेट में परिवर्तन सिर्फ विटामिन ए के एक स्वरूप (अथवा एस्टर) से ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन की साधारण प्रक्रिया के जिरए विटामिन ए के एक दूसरे के स्वरूप (अथवा एस्टर) में परिवर्तन किया जाना मात्र है जिसमें पीयूसी का निर्माण करते हुए पामिटेट एस्टर द्वारा रेटिनॉल के एसिटेट एस्टर को प्रतिस्थापित किया जाता है।
- xvi. ओसवाल वूलेन मिल्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2000) 118 ईएलटी 275 के मामले में माननीय सेस्टेट ने निर्णय दिया है कि यदि उत्पाद आसानी से परिवर्तनीय है और ऐसा तथ्य निर्यातकों द्वारा भी मान्यता प्राप्त है तो उत्पाद 'समान उत्पाद' है।
- xvii. प्राधिकारी ने साक्ष्यों और उपलब्ध कराई गई सामग्री पर विचार करते हुए इसे पूरी तरह से उपेक्षित किया है कि अनुप्रयोगों में विटामिन ए पामिटेट के समान विटामिन एक एसिटेट का कोइ सीधा आयात अथवा प्रयोग नहीं होता है।
- xviii. डीएसएम समूह एफएएसएफ इंडिया लिमिटेड और बहुत से अन्य शामिल हैं, किंतु डिविस लेबोरेटोरीज लिमिटेड, डीएसएम न्यूट्रीशनल प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेक्सामॉन न्यूट्रीशन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड आदि सहित भारत में बहुत से आयातकों द्वारा विटामिन ए एसिटेट के वास्तविक आयात किए गए हैं। ये कंपनियां / हिस्तयां विटामिन ए एसिटेट का आयात कर रही हैं और इसका खाद्य सुदृढ़ीकरण, टेबलेट, औषधियों और खाद्य उत्पादों तथा डाइटरी सप्लीमेंट्स के प्री-मिक्सस को तैयार करने के प्रयोजन से इसका प्रयोग कर रही है।
- xix. यह सार्वजनिक रूप से माना गया है कि दोनों, विटामिन ए एसिटेट और पीयूसी का तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है और प्राय: इन्हें समान प्रयोजन हेतु नियोजित किया जाता है अर्थात तेल, दूध, गेहूं का आटा (आटा और मैदा) आदि के सुदृढ़ीकरण, और कॉस्मेटिक्स, टेबलेट्स और डायटरी सप्लीमेंट्स के विनिर्माण के लिए। इसके खाद्य सुरक्षा विनियमों के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा भी इसे मान्यता दी गई है जिनकी इसके अवलोकनों किए किए जाने में प्राधिकारी द्वारा पूरी तरह से उपेक्षा की गई है।
- xx. डीएएसएफ की उत्पाद / सुरक्षा टेटा शीटों से, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विटामिन ए पामिटेट और विटामिन ए ऐसिटेट के विभिन्न संघटनों का सुदृढ़ीकरण और डायटरी सप्लीमेंट्स से संबंधित समान अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है।
- xxi. क्रम संख्या 1 पर पोषणों (विटामिन्स, मिनरल्स, एमिनो एसिड और अन्य पोषक तत्वों) से संबंधित अनुसूची संख्या-I के तहत खाद्य सुरक्षा और मानक (स्वास्थ्य सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्युटिकल्स, विशिष्ट डायटरी के लिए खाद्य, विशेष चिकितसा के लिए भोजन और प्रिबायोटिक और प्रोबायोटिक भोजन) विनियम, 2022 में यह व्यवस्था की गई है कि रेटिनाइल एसिटेट ओर रेटिनाइल पामिटेट विनियमों के तहत विटामिन ए के स्वीकृत प्रकार हैं।
- xxii. याचिकाकर्ता, विटामिन ए एसिटेट, एक समान उत्पाद का एक आयातक है, जोकि समान अंतिम प्रयोग के साथ विटामिन ए का एक अन्य प्रकार है तथा तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से विटामिन ए पामिटेट का प्रतिस्थापनीय है। याचिकाकर्ता केवल आयातित विटामिन ए एसिटेट को पीयुसी में परिवर्तित कर रहा है। दोनों विटामिन ए

एसिटेट और पीयूसी और कुछ नहीं है, बल्कि विटामिन ए मोलक्यूल के विभिन्न यौगिक दक्षु हैं और इसलिए एक दूसरे के 'समान वस्तु" हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता एडी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत 'घरेलू उद्योग' के रूप में माने जाने के लिए अयोग्य है।

51

- xxiii. परिवर्तन (विटामिन ए एसिटेट का पीयूसी में) के लिए याचिकाकर्ता की पुस्तकों में केवल उच्च मूल्यवर्धन एडी नियमावली के तहत वस्तुओं की समानता का निर्णय करने के लिए मापदंड नहीं है।
- xxiv. याचिकाकर्ता द्वारा मूल्यवर्धन की उच्च लागत को याचिकाकर्ता द्वारा नियोजित विनिर्माण प्रक्रिया में इसकी स्वयं की आंतरिक अकुशलताओं के कारण माना जा सकता है।
- xxv. इसे एक सामान्य नियम के रूप में नहीं माना जा सकता कि विटामिन ए एसिटेट से जीयूसी में मूल्यवर्धन केवल याचिकाकर्ता की लागत के आधार पर ही बहुत उच्च है जो कि विटामिन ए के एक स्वरूप से दूसरे रूप में परिवर्तनकर्ता है।
- xxvi. प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अगोपनीय तरीके से यह उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि हमारे लिए पुनर्मूल्यांकन के कारण प्राधिकारी ने कितना प्रभाव हमारे लिए समाप्त किया। पूर्वाग्रह के बिना, लागत संरचना पर परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के किसी भी प्रभाव को एनआईपी की संगणना तथा क्षति संबंधी विश्लेषण के लिए समाप्त किया जाना चाहिए।
- xxvii. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए दिनांक 03 फरवरी, 2025 ("अितरिक्त अनुरोध") के डीएसएम समूह के अनुरोध की अवहेलना की है। डीएसएम समूह ने अितरिक्त अनुरोधों में यह स्पष्ट किया था कि उन्होंने पहले ही तृतीय पक्षकार विदेशी ग्राहकों को डीएसएम समूह द्वारा पीओआई के दौरान बेचे गए पीयूसी की देश-वार मात्रा और मूल्य अथवा सभी तीसरे देशों में तृतीय पक्षकार विदेशी ग्राहकों को बेचे गए प्री-मिक्स के भाग के रूप में प्रयुक्त पीयूसी को रिकार्ड पर प्रस्तुत कर दिया है। प्राधिकारी से उचित तृतीय देश (तुलनीय मात्रा और बाजारों के आधार पर इंडोनेशिया अथवा बांग्लादेश) का चयन करते समय अितरिक्त अनुरोध में प्रमुख रूप से दर्शाए गए सिद्धांतों और तथ्यों पर विचार करने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि सामान्य मूल्य को किसी उचित तृतीय देश को बिक्रियों के लिए डीएनपी एजी द्वारा उत्पादित ओर बेची गई समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक निर्यात कीमत के आधार निर्मित किया जा सकता है। प्राधिकारी द्वारा एक बार उचित तृतीय देश का चयन कर लिए जोन पर, डीएसएम समूह सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए सौदावार आधार पर अन्य सामायोजनों का विवरण उपलब्ध कराएगा।
- xxviii. प्राधिकारी ने उत्पादक की लागत (सीओपी) *** यूरो/िक.ग्रा. प्रकट की है जबिक ईकयूआर में कारखानागत स्तर पर उत्पादन की लागत डीएसएम समूह द्वारा प्रकट की गई उत्पादन की लागत ***यूरो/िक.ग्रा. है। यदि सीओपी में कोई समायोजन किए गए हैं तो प्राधिकार से ऐसे समायोजनों के विवरण साझा करने का अनुरोध किया जाता है।
- xxix. प्राधिकारी को संशोधित और समायोजित सीओपी को अपनाने के द्वारा लाभप्रदता को पुन: परिकलित करना चाहिए जैसा कि प्राधिकारी द्वारा परिकलित किया गया है और तब सामान्य मूल्य की संगणना करने के लिए लाभप्रदता प्रतिशतांक पर पहुंचना चाहिए। अन्यथा प्रतिवादी के प्रति दोहरा खतरा और पूर्वाग्रह हो जाएगा यदि सामान्य मूल्य संगणना के लिए अपनाया गया सीओपी संशोधित (बढ़ाया) किया जाता है। किंतु समान मूल्य संगणना के लिए अपनाइ्र गई लाभप्रदता मूल / पुरानी सीओपी आधारित है।

- xxx. घरेलू बाजार में पीयूसी की मांग में वृद्धि के कारण पीयूसी के लिए विस्तारित बाजार की मांग को पूरा करने के लिए आयातों में वृद्धि की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में पीयूसी के आयातों में वृद्धि का कारण कोविड-19 महामारी के आक्रमण विरूद्ध लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जनता द्वारा विटामिन ए का अधिक सेवन था।
- xxxi. बाजार में मांग के संबंध में आयात में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 146 सूचकांक बिंदु से गिरकर 142 सूचकांक बिंदु हो गया है। पीओआई के लिए, आयातों में पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में पीओआई में गिरावट आई है जबिक बाजार में मांग में पिछले वर्ष की तुलना में पीओआई में भी वृद्धि जारी रही।
- xxxii. कीमत में कटौती इसलिए हुई क्योंकि घरेलू उद्योग यह देखते हुए उचित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर उत्पाद की बिक्री करने में असमर्थ रहा कि अंतिम चरण पर परिवर्तन और परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारणों से उनके उत्पादन की लागत असामान्य रूप से अधिक थी। घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत केवल 2010 में आधारभूत कच्चे माल से उत्पादन को रोकने तथा विटामिन ए के एक रूप को दूसरे में बदलने के कार्य को अंतिम चरण में बदलने के उनके स्वयं के वाणिज्यिक कारणों के कारण उच्च है। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता विश्व में अन्य उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है।
- xxxiii. वर्षानुवर्ष आधार पर याचिकाकर्ता के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। हालांकि, वित्तीय वर्ष्र 2021-22 में मामूली गिरावट हुई थी, पीओआई सहित पिछले तीन वर्षों में घरेलू बिक्रियों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। क्षति अविध के दौरान क्षमता उपयोग में गिरावट इस कारण से है कि कुल क्षमता में वृद्धि हुई थी।
- xxxiv. नियोजित पूंजी, निवल अचल परिसंपत्तियों और कार्यशील पूंजी, मूल्यह्रास और बिक्रियों की लागत में वृद्धि पिछले वर्ष विलय को समाप्त करने और नई परिसंपत्तियों की खरीद यदि कोई हो, दोनों के कारण है। कार्यशील संपत्ति के उचित स्तर पर विलय को समाप्त किए जाने के कारण पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव के बिना विचार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विलय को समाप्त किए जाने के कारण अचल परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन को उपेक्षित किया जाना चाहिए। तदुनसार, नियोजित पूंजी को दोनों, अचल संपत्तियों और कार्यशील पूंजी के पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव के बिना परिकलित किया जाएगा।
- xxxv. कर्मचारियों की संख्या और दैनिक रूप से उत्पादकता के संदर्भ में कोई क्षति नहीं हुई है, क्योंकि क्षति अवधि में कर्मचारियों की संख्या स्थिर रही है और उत्पादकता बढ़ी है।
- xxxvi. डीएसएम समूह भारत में पीयूसी को पाटित नहीं कर रहा है क्योंकि यह समान रूप से स्थापित तीसरे देश में बाजार स्थितियों के अनुरूप लाभ पर पीयूसी की बिक्री कर रहा है। डीएसएम समूह के संबंध में याचिकाकर्ता को किसी महत्वपूर्ण क्षति का भी कोई खतरा नहीं हे, क्योंकि पिछले चार वर्षों में क्षमता स्थिर बनी हुई है, क्षमता उपयोग भी बहुत अधिक है और निकट भविष्य में इसका कोई विस्तार योजना नहीं है।
- xxxvii. क्षति अन्य कारकों से है। याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई विनिर्माण और उत्पादन प्रक्रिया अकार्यकुशलता को अपनाती है और लागत में वृद्धि करती है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा वहन की गई कच्चे माल के ऊंची लागत भी इसके द्वारा हानि वहन करने का कारण बनती है। इसके अतिरिक्त, विलय को समाप्त करने के कारण उर्ध्वमुखी पुनर्मूलयांकन के परिणामस्वरूप उच्च मूल्यह्रास लागत के कारण ऊंची परिवर्तन लागत और महाड में स्थित याचिकाकर्ता के कारखाने पर रायगढ़ में बाढ़ के प्रभाव ने भी याचिकाकर्ता को प्रभावित किया है।

- xxxviii.प्राधिकारी ने पहले उल्लिखित कारकों पर विचार नहीं किया है जिनमें प्री-मिक्सस. स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के कारण खाद्य पदार्थों के सुदृढ़करण को प्रोत्साहन न दिया जाना जिसने फार्मा उद्योग को अत्यधिक प्रभावित किया है, शुल्कों को लागू किए जाने के कारण बाजार में एकाधिकार की स्थिति जैसे डाउनस्टीम उत्पादों की लागत में वद्धि शामिल है।
- xxxix. घरेलु उद्योग 2003 के बाद से व्यापार उपचार उपायों के जरिए उपलब्ध कराए गए असाधारण उपचार का दुरूपयोग कर रहा है। पाचं बार शुल्कों की मांग की गई हे और 2003 के बाद से ये शुल्क लागु हैं। इसलिए, यह स्पष्ट है कि आवेदक अकुशलता और कप्रबंधन के कारण क्षति का सामना कर रहा है न कि आयातों के कारण। प्राधिकारी को इसकी अनुमति नहीं दिए जाने का अनुरोध किया जाता है।
- ई.यू. से आयातों के संबंध में आवेदन में उपलबध कराए गए आयात संबंधी आंकड़े χl. प्रकटीकरण विवरण में विचार किए गए आयात आंकड़ों से भिन्न हैं। यह दर्शाता है कि आवेदक ने गैर-मौजद क्षति को उपलब्ध कराने के लिए भ्रामक और गलत सचना दायर की है।
- आवेदक ने ई.यू. से आयातों के कारण क्षति का सामना अथवा महत्वपूर्ण क्षति के खतरे xli. का सामना नहीं किया है। यह इस कारण है कि उत्पादन घरेलू बिक्रियों, उत्पादकता में वृद्धि हुई है और मालसूची में गिरावट आई है।
- अन्य कारक जिनहोंने आवेदक को पीडित किया है उनमें ये शामिल हैं एक ही संयंत्र xlii. और मशीनरी विनिर्मित गैर-पीयूसी के उत्पादन में गिरावट, अकुशल उपकरणों का प्रयोग. आयातित कच्चे माल पर निर्भरता. क्योंकि आवेदक पूर्ण रूप से कच्चे माल के लिए आयातों पर निर्भर है, अधिक क्षमता की विद्यमानता और कुप्रबंधन, क्योंकि वर्ष 2003 के बाद से शुल्क संरक्षण के बावजूद, आवेदक हानियों का सामना कर रहा है।
- शुल्क को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप एक एकाधिकारवादी स्थिति प्रस्तुत हो xliii. जाएगी क्योंकि आवेदक देश में पीयसी का एक मात्र उत्पादकहै, विटामिन एक की कमी हो जाएगी क्योंकि भारत सरकार और एफएसएसएआई और विटामिन ए और डी प्री-मिक्स विनिर्माताओं के साथ पांच प्रमुख खाद्य पदार्थों को विटामिन और सुक्ष्म पोषक तथ्वों से सदृढ़ बनाने, पीयसी की कमी के संबंध में सभी विटामिन आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिल कर से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आवेदक के पास घरेलू उद्योग और बड़ी संख्या में ऐसे क्षेत्रों की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है जो पीयुसी को मध्यवर्ती माल के रूप में प्रयोग करते हैं, यह सरकार और एफएसएसएआई की योजनाओं को भी प्रभावित करेगा, घरेलू उद्योग द्वारा शोषण, जैसा कि आवेदक से साक्ष्य है, पीयूसी की कीमतों में वृद्धि कर रहा है जब पीयूसी का विनिर्माण करने वाले जर्मन में डीएएसएफ के संयंत्र में जुलाई, 2024 में ऐसी एक घटना हुई थी। यह आपूर्ति के एक से अधिक स्रोतों की आवश्यकता को दर्शाता है। आपूर्ति करने की क्षमता नहीं हे जिसकी बहत-सी फार्मास्यटिकल कंपनियों को जरूरत होती है।
- उत्पादक यह जानकर आश्चर्यचिकत हैं कि प्राधिकारी चीन को एफएनएमई के रूप में xliv. मान रहे हैं। डब्ल्यूटीओ के प्रति चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल को देखते हुए पाटनरोधी कार्रवाइयों में ''सरोगेट देश'' की प्रथा का वर्ष 11 दिसिंबर, 2016 से कोइ, बहपक्षीय कानुनी आधार नहीं है। इसलिए उत्पादक / निर्यातक इसलिए प्राधिकारी से इस मामले के लिए सामान्य मूल्य की संगणना करने के लिए 'सरोगेट देश' पद्धति का प्रयोग करने और घरेलु बिक्रियों अथवा लागत के लिए उत्पादक के स्वयं के डेटा के आधार पर पाटन मार्जिन की संगणना करने का अनुरोध करते हैं।
- पिछले कई दशकों में आर्थिक स्थितियों ओर कानूनी पूर्व उदाहरणों में हुए महत्वपूर्ण xlv. परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, 22 प्रतिशत आरओसीई को लागू किया जाना अब उचित नहीं है। प्राधिकारी से एक अधिक शद्ध, अद्यतन विचारधारा को अपनाने का

अनुरोध किया जाता है जो वर्तमान आर्थिक स्थितियों और कानूनी मानकों को प्रतिबिंबित करे। ऐसी अवधियों के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित किया गया वास्तविक लाभ जब पाटन का आरोप नहीं लगाया गया था, क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए एक अधिक वास्तविक ओर निष्पक्ष आधार प्रदान करेगा।

- xlvi. 2021-23 की अवधि को महत्वपूर्ण वैश्विक विघटनों द्वारा चिन्हित किया गया था जिसमें कोविड-19 महामारी, आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियां, सरकारी हस्तक्षेप ओर संभार तंत्र संबंधी मुद्दे शामिल हैं, जिनहोंने सामान्य बाजार स्थितियों को विकृत किया था। असामान्य अवधि पर के आधार पर घरेलू उद्योग की क्षति की तुलना एक शुद्ध और उचित आकलन प्रदान नहीं करेगी। अत: प्राधिकारी से घरेलू को क्षति का आकलन करने में इस अवधि की प्रासंगिकता पर पुन: विचार करने का अनुरोध किया जाता है।
- xlvii. शुल्कों को लागू किया जाना सार्वजनिक हित में नहीं है, क्योंकि यह एकाधिकारवादी बाजार के सृजन का कारण बनेगा क्योंकि आवेदक पीयूसी का एक मात्र उत्पादक है, विटामिन ए, जो कि एक अनिवार्य पोषक है, की उपलब्धता को भंग करेगा, व्यापक कमी को दूर करने के प्रयासों को कमजोर करेगा विशेषकर कुपोषित क्षेत्रों में, संभावित कमियों, कीमत में वृद्धि और इन अनिवार्य क्षेत्रों में विघ-विहन तथा फार्मा और एफएमसीजी खाद्य पदार्थ जेसे क्षेत्रों में विनिर्माताओं के लिए बढ़ी हुई लागतों का कारण बनेगा।

ट.2 घरेलू उद्योग के विचार

- 103. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
 - i. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि विचाराधीन उत्पाद के किसी भी प्रयोक्ता (एक संगत आयातक को छोड़कर) ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है अथवा शुल्क लगाए जाने के संबंध में सार्वजनिक हित पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई दावा नहीं किया है। यदि वास्तव में संभावित शुल्कों का डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता, तो कई प्रयोक्ताओं ने स्वयं को पंजीकृत किया होता और शुल्कों के विरोध में अपने दावे किए होते। यह तथ्य कि उनमें से कोई भी रिकॉर्ड पर नहीं है, यह दर्शाता है कि विचाराधीन उज्पाद पर शुल्क लगाए जाने से प्रयोक्ताओं पर अथवा व्यापक सार्वजनिक हित पर प्रतिकृल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 - ii. प्राधिकारी द्वारा इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उपरोक्त संगत आयातक द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए किसी भी दावे को खारिज किया जाना चाहिए, जिसका प्रयोक्ताओं पर शुल्कों के नकारात्मक प्रभाव पड़ने का दावा डीएसएम न्यूट्रीशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड ("डीएनपी एजी") के साथ उसके संबंध होने के कारण कमजोर हो जाएगा। वास्तव में यह बात उल्लेखनीय है कि भारतीय सार्वजिनक हित के लिए दावा करने वाले मुख्य पक्ष भारतीय प्रयोक्ता नहीं हैं बिलक चीनी. स्विस और जर्मन निर्यातक हैं।
 - iii. यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों में या तो आयातक/ आयात श्रृंखला का भाग या निर्यातकों से संबंधित लोग शामिल हैं। किसी भी वास्तविक प्रयोक्ता ने किसी भी आधार पर इस याचिका का विरोध नहीं किया है।
 - iv. घरेलू उद्योग प्राधिकारी की टिप्पणियों से सहमत है, विशेष रूप से इस तथ्य के संबंध में कि विटामिन ए एसीटेट और विटामिन ए पामिटेट समान वस्तुएं नहीं हैं। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे अपने अंतिम जांच परिणाम में इसकी पुनः पृष्टि करें।
 - क. घरेलू उद्योग पहले दायर किए गए अनुरोधों, विशेष रूप से समान वस्तु पर प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के अगोपनीय अनुरोधों के उत्तर में उनकी पुनरावृत्ति करता है। समान वस्तु के संबंध में प्रकटीकरण विवरण के पैरा 5 (i) से (xx) में दर्ज प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों के उत्तर में, जहां तक लागू हो, उन्हें नीचे दोहराया जाता है।

ख. विटामिन ए एसीटेट और विचाराधीन उत्पाद विटामिन ए मॉलिक्यूल के एस्टर हो सकते हैं, लेकिन वे समान वस्तुएं नहीं हैं। वास्तव में, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में विगत जांच परिणामों अर्थात चीन जन. गण. और स्विट्जरलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए विटामिन ए पामिटेट के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा से इस मुद्दे का निपटान कर दिया है। इसमें यह भी पाया गया है कि जब एक मध्यवर्ती इनपुट अर्थात विटामिन ए एसीटेट को रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम उत्पाद अर्थात विचाराधीन उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है, तो उक्त प्रक्रिया में विनिर्माण शामिल है और उक्त दोनों उत्पाद समान वस्तुओं में शामिल नहीं हो सकते। इसके परिणामस्वरुप, घरेलू उद्योग को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत घरेलू उद्योग में शामिल करने के लिए योग्य माना गया है।

55

- यह स्थापित कानून है कि विभिन्न उत्पादों को एक एचएस के तहत वर्गीकृत किए जाने से वे पाटनरोधी कानून के प्रयोजनों के लिए समान वस्तु नहीं होती हैं।
- घ. विटामिन ए एसीटेट 2.8 का उपयोग विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए किया जाता है। जबिक विचाराधीन उत्पाद का उपयोग कुछ डाउनस्ट्रीम उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसमें निकोवेज बार्बी विटामिन प्रीमिक्स, ओवीपी (एमटी-0266) आर0308, और ओवीपी (एमटी-0735) आर0461 शामिल हैं। इसके अलावा, समूचे विश्व में फार्मास्यूटिकल्स से संबंधित नियामक अपेक्षाओं के लिए फॉर्मूलेशन बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री/ संरचना (विचाराधीन उत्पाद सहित) के पंजीकरण की आवश्यकता होती है इसे देखते हुए, व्यावसायिक या तकनीकी रूप से व्यवसायों के लिए विटामिन ए पामिटेट के स्थान पर विटामिन ए एसीटेट का उपयोग करना विवेकपूर्ण नहीं है। अत: विटामिन ए एसीटेट और विचाराधीन उत्पाद दोनों ही व्यावसायिक अथवा तकनीकी रूप से एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करने योग्य नहीं हैं।
- ड़. घरेलू उद्योग का यह कहना है कि प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग की विचाराधीन उत्पाद के निर्माण की उत्पादन प्रक्रिया को अधिक सरल बना रहे हैं। विचाराधीन उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया में (i) विटामिन ए एसीटेट क्रिस्टल पर की जाने वाली प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला के साथ एक जिटल रासायनिक प्रतिक्रिया, जिससे कि विटामिन ए एसीटेट में पर्याप्त मूल्यवर्धन (वेल्यू एडिशन) होता है, (ii) श्रम का रोजगार और (iii) प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं। वास्तव में, विचाराधीन उत्पाद के संबंध में विगत अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी ने यह माना है कि जब एक मध्यवर्ती इनपुट अर्थात विटामिन ए एसीटेट को रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम उत्पाद अर्थात विचाराधीन उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है, तो उक्त प्रक्रिया में निर्माण शामिल होता है और उक्त दोनों उत्पाद समान वस्तु नहीं हो सकते। तदनुसार, यह दावा गलत है कि विटामिन ए एसीटेट और विचाराधीन उत्पाद समान वस्तु हैं।
- च. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 का संदर्भ देते हुए वर्तमान मामले अर्थात पाटनरोधी नियमों के तहत समान वस्तु के मामले को गलत तरह से पेश किया है। स्पष्ट रूप से, पाटनरोधी कानून और न्यायशास्त्र के अंतर्गत "समान वस्तु" को परिभाषित करने का उद्देश्य और प्रयोजन निर्धारित है और यह कानून पेटेंट कानून के तहत उससे अलग है। पाटनरोधी कानून में समान उत्पादों का निर्धारण करते समय विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है, जिसमें भौतिक विशेषताओं की समानता, उत्पाद का अंतिम उपयोग, उपभोक्ता वरीयता, टैरिफ वर्गीकरण आदि शामिल हैं, न कि केवल उत्पादन प्रक्रिया पर निर्भर रहना और एक नए और अनूठे उत्पाद का निर्माण करना जैसा कि पेटेंट कानून में माना जाता है। अत: प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध पेटेंट कानून के विपरीत पाटनरोधी कानून के तहत

- "समान वस्तु" का निर्धारण करने में शामिल शूक्ष्म बातों पर विचार करने में विफल रहता है।
- छ. इसी प्रकार, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य पदार्थों का सुदृढ़ीकरण) विनियम 2018 पाटनरोधी कानूनों के तहत "समान वस्तु" निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए असंगत है। यह नोट किया जा सकता है कि विटामिन ए एसीटेट को उसके रूप में उपभोग नहीं किया जा सकता है, जबिक विटामिन ए पामिटेट उपभोग के लिए है और इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में एक एडिडिव के रूप में किया जाता है। वास्तव में, इसी तथ्य के संबंध में कि प्रतिवादी हितधारक बाहरी सांविधिक परिभाषाओं (समान वस्तु प्रावधानों और अधिमानताओं की बजाय) पर भरोसा कर रहे हैं, इस बात को अनजाने में ही स्वीकार कर लिया गया है कि विटामिन ए पामिटेट और विटामिन ए एसीटेट समान वस्तु नहीं हैं।
- ज. घरेलू उद्योग का यह अनुरोध है कि विटामिन ए एसीटेट और विटामिन ए पामिटेट के रूप, वितरण, जैव उपलब्धता और विषाक्तता में अंतर है। रासायनिक विशेषताओं और विषाक्तता में अंतर को प्रमाणित करने के लिए, घरेलू उद्योग ने उपभोक्ता सुरक्षा पर यूरोपीय आयोग की वैज्ञानिक समिति की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखा है। निहित हित वाले पक्षकारों के स्वार्थी तर्कों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए।
- घरेल उद्योग यह नोट करते हैं कि यदि विटामिन ए एसीटेट और विचाराधीन उत्पाद झ. को समान ही माना जाता है, तो विटामिन ए एसीटेट का प्रत्यक्ष आयात होता. जबकि ऐसा नहीं है। भारत में पीपीएल के अलावा, विटामिन ए एसीटेट 2.8 आयात करने वाली कोई संस्था नहीं है। इसके अलावा, घरेलु उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि एक भी प्रयोक्ता ने (स्विटजरलैंड के एक उत्पादक के संगत आयातक के अलावा) ऐसे प्रयोगों के लिए विटामिन ए एसीटेट के वास्तविक उपयोग को प्रदर्शित करने संबंधी जांच में भाग नहीं लिया है जिनमें विटामिन ए पामिटेट का सामान्यतया प्रयोग किया जाता है। वास्तव में. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने बाजार में वास्तविक, व्यावहारिक प्रतिस्थापन को प्रमाणित करने के साक्ष्य के बिना, खोखले दावे किए हैं। याचिकाकर्ता की पुरी जानकारी के अनुसार, वह देश में विटामिन ए एसीटेट का एकमात्र आयातक है। वास्तव में. प्राधिकारी ने प्रकटीकरण विवरण के पैरा 8 में यह पाया है कि "आयात संबंधी डेटा के सत्यापन से यह देखने में आया है कि विटामिन ए पामिटेट के समान प्रयोगों में विटामिन ए एसीटेट का कोई प्रत्यक्ष आयात और उपयोग नहीं है। इस प्रकार. दोनों उत्पादों के समान होने अथवा बदल बदल कर उपयोग किए जाने को प्रमाणित नहीं किया गया है।"
- ञ. घरेलू उद्योग का यह अनुरोध है कि डिग्वाल संयंत्र में अर्ध-तैयार वस्तुओं के उत्पादन के लिए विटामिन ए एसीटेट का उपयोग किया जाता है।
- ट. प्रश्नावली के उत्तर न केवल 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 10/2018 के उल्लंघन में हैं, बल्कि गोपनीयता के अनुचित दावों की भी बहुत कमी है। इन उत्पादकों और उनके व्यापारियों के प्रश्नावली उत्तरों में कमियां हैं और उन्हें अस्वीकार किया जाना चाहिए, जिसके कारण उन्हें व्यक्तिगत पाटन मार्जिन प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।
- v. प्राधिकारी द्वारा प्रकट की गई एनआईपी की गणना केवल गणना का सारांश है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एनआईपी याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए एनआईपी से काफी अलग है, और फिर भी एनआईपी का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी द्वारा किए गए परिवर्तन वास्तविक गणना अथवा कार्यप्रणाली के संदर्भ में किसी भी प्रकटीकरण द्वारा साबित नहीं किए गए हैं, जिससे याचिकाकर्ता की एनआईपी की गणना पर सार्थक टिप्पणी देने की क्षमता बाधित होती है। वास्तव में, इस तरह से आवश्यक तथ्यों का प्रकटन न करना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का भी खंडन करता है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि पाटनरोधी नियम के तहत प्राधिकारी को किसी पक्षकार

द्वारा दी गई सूचना पर गोपनीयता का दावा करने का, विशेष रूप से ऐसे पक्ष से संबंधित सूचना के संबंध में अधिकार नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि प्राधिकारी द्वारा एनआईपी की गणना करने के लिए व्यापक स्पष्टीकरण और आधार प्रदान किया जाए। विशेष रूप से, याचिकाकर्ता इसके लिए आभारी होगा यदि प्राधिकारी यह स्पष्ट कर सके कि वह अनुकूलित कच्ची सामग्री की खपत लागत और अंतिम कार्यशील पूंजी के आंकड़ों पर कैसे पहुंचे हैं, जिनका उपयोग नियोजित पूंजी पर प्रतिफल निर्धारित करने के लिए किया गया था। इससे किसी भी तरह का विचलन वर्तमान कार्यवाही को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और पाटनरोधी नियमों का उल्लंघन होगा।

क. ***.

ख. ***

vi. रिकॉर्ड पर उपलब्ध प्रश्नावली के उत्तर काफी हद तक अपर्याप्त हैं और उन्हें अस्वीकार किया जाना चाहिए। उपर्युक्त प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर कोई व्यक्तिगत मार्जिन प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। बिना किसी पूर्वाग्रह के, यह अनुरोध किया जाता है कि हुई क्षति और दर्ज पाटन की सीमा के अनुसार, डीएनपी एजी की दर उचित दर से कम प्रतीत होती है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 104. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के उपरांत के अनुरोधों की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि जो टिप्पणियां पुनरावृत्ति हैं और जिनकी पहले ही उचित रूप से जांच की जा चुकी है तथा अंतिम जांच परिणामों के संगत पैरा में पर्याप्त रूप से शामिल की जा चुकी हैं, उन्हें संक्षिप्तता के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रकटीकरण के उपरांत की जांच में दोहराया नहीं जा रहा है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण के उपरांत टिप्पणियों/ अनुरोधों में पहली बार उठाए गए तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है।
- 105. जहां तक इस तर्क का संबध है कि प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए विटामिन ए एसीटेट से वास्तविक मूल्य संवर्धन पर एक विशिष्ट निष्कर्ष निकाला है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के निर्माण के लिए विटामिन ए एसीटेट 2.8 में मूल्य संवर्धन ***% है।
- 106. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि के. सेवंतीलाल के लिए एक दिन के विलंब को माफ किया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि के. सेवंतीलाल ने प्रश्नावली का उत्तर विलंब से दाखिल किया था, लेकिन उसने समय सीमा से पहले स्वयं को एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया था। इसे देखते हुए, प्राधिकारी ने के. सेवंतीलाल द्वारा दाखिल किए गए अनुरोध पर विचार किया है।
- 107. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि कर-पूर्व लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की प्रवृत्ति में कोई विसंगति है, प्राधिकारी ने सत्यापन के दौरान घरेलू उद्योग के गोपनीय आंकड़ों का सत्यापन किया है और यह नोट किया है कि कर-पूर्व लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में कोई विसंगति नहीं है।
- 108. इस तर्क के संबंध में कि मार्जिन के संबंध में आवेदक की चिंताएँ आयात पर उनकी निर्भरता के कारण हैं जबिक अन्य उत्पादक बैकवार्ड इंटिग्रेटेड हैं, अत: प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को जैसा वह मौजूद है उसके अनुसार देखा जाना चाहिए अर्थात, चाहे वह उद्योग कच्ची सामग्री पर आयात पर निर्भर हो या नहीं हो, उसे क्षिति हो रही है। वास्तव में, माननीय सेस्टेट ने निष्पॉन जियोन कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में माना है कि "घरेलू उद्योग को होने वाली क्षिति का प्रश्न आदर्श परिस्थितियों को मानकर तय नहीं किया जा सकता है, बिल्क उचित समायोजन देते हुए मौजूदा परिस्थितियों के आधार

- पर तय किया जाना चाहिए।" किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी ने यह सत्यापित किया है कि क्षति अवधि में कच्ची सामग्री की सोर्सिंग में कोई व्यवधान नहीं हुआ है।
- 109. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि अत्यधिक पाटन और क्षित मार्जिन के चलते शुल्क या लेवी के कारण प्रयोक्ताओं को क्षित होगी और शुल्क के संदर्भ रूप पर केवल इसिलए विचार किया जा सकता है क्योंकि इससे आवेदक द्वारा कच्ची सामग्री की आपूर्ति में कमी को उचित रूप से संबोधित करने में मदद मिलेगी और प्रयोक्ताओं को भारत में सामग्री की कम आपूर्ति होने पर भी शुल्क की एक निश्चित मात्रा का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी, प्राधिकारी ने पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की सावधानीपूर्वक जांच की है। पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी की राय है कि संदर्भ मूल्य आधारित शुल्क से घरेलू उद्योग के वैध हितों का संरक्षण करते हुए प्रयोक्ताओं को अत्यधिक शुल्क के अधीन न करने के बीच संतुलन बनाया जा सकेगा। इसके अलावा, संदर्भ मूल्य आधारित शुल्क में देश में किसी भी मांग-आपूर्ति अंतर को भी ध्यान में रखा जाएगा।
- 110. जहां तक यूरोपीय आयोग द्वारा दिए गए तर्क का संबंध है कि अगोपनीय सारांश अर्थात् कीमतों और उनके विकास, सामान्य मूल्य की गणना, कथित पाटन गणनाओं से संबंधित आवश्यक आंकड़े अपर्याप्त हैं, अत: प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इनका निर्धारण सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों और जहां भी लागू हो, घरेलू उद्योग के आंकड़ों के आधार पर किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जो सूचना व्यवसाय के लिए संवेदनशील है और सार्वजिनक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, उसे प्राधिकारी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता है।
- 111. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि आयातों में वृद्धि को बढ़ती मांग के आलोक में देखा जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मांग-आपूर्ति के अंतर के कारण घरेलू उद्योग को क्षतिपूर्ण पाटन के विरुद्ध शुल्क की मांग करने से नहीं रोका जा सकता।
- 112. इस तर्क के संबंध में कि आवेदन के सही होने पर संदेह है क्योंकि याचिका में दिए गए आयात संबंधी आंकड़ों और प्रकटीकरण में विचार किए गए आंकड़ों में विसंगति है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत करने और प्रकटीकरण विवरण के प्रयोजनों के लिए डीजी सिस्टम संबंधी आंकड़ों पर विचार किया गया था।
- 113. इस तर्क के संबंध में कि आवेदन और प्रकटीकरण विवरण में प्रति मूल कीमत में कटौती का प्रावधान नहीं किया गया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का अगोपनीय आवेदन प्रत्येक संबद्ध देश सहित संबद्ध देशों के लिए कीमत में कटौती को दर्शाता है। दूसरी ओर प्रकटीकरण विवरण में घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से पाटित किए गए आयातों के प्रभाव का संचयी मुल्यांकन किया गया था।
- 114. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि विटामिन ए एसीटेट और विटामिन ए पामिटेट समान वस्तुएं हैं और घरेलू उद्योग की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में एक व्यापक विश्लेषण किया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रयोक्ताओं में से कोई भी (स्विट्जरलैंड के एक उत्पादक के संगत आयातक के अलावा) यह समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर नहीं आया है कि विटामिन ए पामिटेट और विटामिन ए एसीटेट का परस्पर उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, आयात संबंधी आंकड़ों के सत्यापन से यह देखने में आया है कि विटामिन ए पामिटेट के समान अनुप्रयोगों में विटामिन ए एसीटेट 2.8 का कोई सीधा आयात और उपयोग नहीं है। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद के संबंध में विगत जांच में यह पाया गया था कि जब एक मध्यवर्ती इनपुट अर्थात विटामिन ए एसीटेट को एक महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन वाली रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम उत्पाद अर्थात विचाराधीन उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है, तो उक्त प्रक्रिया में निर्माण शामिल होता है और उक्त दोनों उत्पाद समान वस्तुएं नहीं हो सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप, यह माना गया कि

- आवेदक पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग के रुप में शामिल होने के लिए पात्र था।
- 115. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी को अगोपनीय तरीके से यह बताना होगा कि प्राधिकारी ने पुनर्मूल्यांकन के कारण कितना प्रभाव हटाया है ताकि हम इस संबंध में कोई टिप्पणी दे सकें, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पुनर्मूल्यांकन के कारण किए गए समायोजनों के संबंध में आंकड़े घरेलू उद्योग की व्यवसायिक रूप से संवेदनशील सूचना हैं।
- 116. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि (i) डीएसएम ग्रुप ने 3 फरवरी 2025 के अतिरिक्त अनुरोध में यह स्पष्ट किया था कि उन्होंने जांच की अविध के दौरान सभी तीसरे देशों में डीएसएम ग्रुप द्वारा तीसरे पक्ष के बाहरी ग्राहकों को बेची गई प्रीमिक्स के भाग के रूप में उपयोग किए गए विचाराधीन उत्पाद की देश-वार मात्रा और कीमत को पहले ही रिकॉर्ड में रख दिया था और (ii) यह कि वे प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त तीसरे देश का चयन करने के बाद सामान्य कीमत का निर्धारण करने के लिए लेनदेन के आधार पर अन्य समायोजनों का विवरण प्रदान करेंगे, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि डीएसएम ग्रुप ने प्रश्लावली के उत्तर में संगत सूचना दाखिल नहीं की। तदनुसार, प्राधिकारी इस स्तर पर डीएसएम ग्रुप के अनुरोधों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।
- 117. जहां तक इन तर्कों का संबंध है कि (i) प्राधिकारी डीएसएम ग्रुप की उत्पादन लागत में किए गए समायोजन (यदि कोई हो) प्रदान करते हैं और (ii) प्राधिकारी को समायोजित उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए लाभप्रदता की पुनः गणना करनी चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इन अंतिम जांच परिणामों में डीएसएम ग्रुप के लिए सामान्य कीमत निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए केवल सत्यापित सूचना पर ही भरोसा किया गया है, जिसमें आवश्यक सुधार, जहां भी लागू हो, शामिल है। प्राधिकारी ने अपनी सतत प्रथा के अनुसार आवश्यक समायोजन की भी अनुमित दी है।
- 118. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि डीएसएम ग्रुप (i) भारत में पाटन नहीं कर रहा है और (ii) डीएसएम ग्रुप के संबंध में भौतिक क्षति का कोई खतरा नहीं है क्योंकि विगत 4 वर्षों में इसकी क्षमता स्थिर रही है, क्षमता उपयोग अधिक है और कोई विस्तार योजना नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री से यह निर्धारित किया गया है कि डीएसएम ग्रुप द्वारा भारत को निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया गया है।
- 119. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि विचाराधीन उत्पाद पर शुल्क वर्ष 2003 से मौजूद हैं और आवेदक को इसकी अकुशलता और कुप्रबंधन के कारण क्षति हो रही है न कि आयातों के कारण, अत: प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि देश में विचाराधीन उत्पाद का आयात पाटित और क्षतिपूर्ण कीमतों पर किया गया है। अत: विगत जांच अथवा शुल्कों की मौजूदगी घरेलू उद्योग को क्षति अविध में पाटित किए गए और क्षतिपूर्ण आयातों के खिलाफ आश्रय लेने से वंचित नहीं करती है।
- 120. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि याचिकाकर्ता के पास टोकोफेरॉल से सुस्थिर विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने की क्षमता नहीं है, प्राधिकारी रिकॉर्ड में रखी गई सूचना के आधार पर यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता के पास न केवल विचाराधीन उत्पाद (टोकोफेरॉल/बीएचए/बीएचटी से सुस्थिर) का उत्पादन करने की क्षमता है, बल्कि वह भारतीय बाजार में इसका उत्पादन और बिक्री भी करता है।
- 121. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी को पाटन के आरोप न होने पर उद्योग द्वारा अर्जित आरओसीई (उचित लाभ मार्जिन के रूप में) को अपनाना चाहिए न कि 22% आरओसीई को, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसने एनआईपी निर्धारित करने के लिए अपनी स्थापित प्रथा पर भरोसा किया है और इस सुसंगत प्रथा से विचलित होने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है।
- 122. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में कि परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन का लागत संरचना, नियोजित पूंजी, निवल अचल परिसंपत्तियों और कार्यशील पूंजी तथा मूल्यह्रास पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव को एनआईपी की गणना करने के साथ-साथ क्षति विश्लेषण के लिए भी हटाया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसने घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों का सत्यापन किया है और इन जांच परिणामों में मूल्यांकित क्षति मापदंडों पर नियमों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव को समाप्त कर

दिया है। विशेष रूप से, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एनआईपी की गणना पाटनरोधी नियमों के अनुबंध III के अनुसार की गई है और प्राधिकार की संगत प्रथा के अनुसार इसका प्रकटन किया गया है। जहां तक घरेलू उद्योग के दावों का संबंध है कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए एनआईपी और प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए एनआईपी में अंतर हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सत्यापन के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य के आधार पर खपत की गई कच्ची साम्रग्री की इष्टतम लागत का निर्धारण करने में गणनाओं में कतिपय सुधार किए गए हैं।

123. इस तर्क के संबंध में कि रायगढ़ में आई बाढ़ से याचिकाकर्ता के महाड़ स्थित कारखाने पर भी प्रभाव पड़ा है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह प्रदर्शित किया है कि याचिकाकर्ता के आर्थिक मापदंडों पर बाढ़ का प्रभाव न्यूनतम है।

ठ. निष्कर्ष और सिफारिश

- 124. दिए गए तर्कों, किए गए अनुरोधों, उपलब्ध कराई गई सूचना और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है तथा पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष हैं:
 - i. विटामिन ए एसीटेट और विटामिन ए पामिटेट समान वस्तुएं नहीं हैं, जिसके कारण घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयातक नहीं है।
 - ii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तुएं हैं।
 - iii. घरेलू उद्योग पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ नियम 2 के अंतर्गत आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा करता है।
 - iv. आयातों में निरपेक्ष और सापेक्ष संदर्भ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आधार वर्ष को छोड़कर, आयातों की पहुंच कीमत, जांच की अविध सिहत क्षित अविध में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी। आयातों की कीमतें भी कम हुई हैं और वे क्षित अविध (आधार वर्ष को छोड़कर) में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से काफी कम थीं। इसके कारण घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतों में वृद्धि करने से वंचित रहा। आधार वर्ष की तुलना में जांच की अविध में घरेलू उद्योग के बाजार अंश में भी कमी आई।
 - v. क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षमता उपयोग में कमी आई है। जहां तक घरेलू बिक्री और उत्पादन का संबंध है, इसमें वृद्धि हुई है। तथापि, यह मांग, आयात और याचिकाकर्ता की क्षमता की वृद्धि से काफी कम है।
 - vi. लाभ, नकदी लाभ और आरओसीई के संदर्भ में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर पाटित किए गए आयातों से प्रतिकृल रूप से प्रभाव पड़ा है।
 - vii. पाटित किए गए संबद्ध आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
 - viii. पाटन और क्षति मार्जिन महत्वपूर्ण हैं।
 - ix. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले किसी अन्य कारक के संबंध में पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की है। किसी अन्य कारक के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

- प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से पाटित किए गए आयातों के कारण हुई है।
- x. प्राधिकारी ने उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा निर्धारित की है। यह देखने में आया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का उपभोक्ताओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 125. पाटनरोधी नियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षित और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और उसका संचालन करने के बाद, प्राधिकारी का यह मानना है कि पाटन और उसके परिणामस्वरूप होने वाली क्षित की पूर्ति के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।
- 126. प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए कम शुल्क नियमों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण जांच अवधि के लिए इन निष्कर्षों में निर्धारित इंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम के बराबर एंटी-इंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है, तािक घरेलू उद्योग पर इंप किए गए आयातों के हािनकारक प्रभावों को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकरण विषयगत देश में मूलतः उत्पन्न या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए एंटी-इंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है, जो नीचे संलग्न शुल्क तािलका के कॉलम 7 में उल्लिखित रािश के बराबर है। इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3ए, 8बी, 9 और 9ए के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर लागू सीमा शुल्क का स्तर होगा:

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष/ उप शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29362100, 29362290, 29362800, 29362690, 3 ^計 で 29362990	विटामिन - ए पामिटेट", विटामिन ए पामिटेट 1.7 एमआईयू/ जीएम और विटामिन ए पामिटेट 1.0 एमआईयू/ जीएम दोनों को इसकी सभी शक्तियों और रूपों में, स्थिरीकरण के साथ अथवा इसके बिना* शामिल किया गया है	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	शांगुई एनएनयू बायो-केम कंपनी लिमिटेड	14.95	कि.ग्रा.	यूएस डॉलर

2	- वही -	- वही -	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	क्रम सं. 1 के अलावा कोई भी उत्पादक	20.87	कि.ग्रा.	यूएस डॉलर
3	- वही -	- वही -	स्विटजरलैंड	स्विटजरलैंड सहित कोई भी देश	डीएसएम न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड	0.87	कि.ग्रा.	यूएस डॉलर
4	- वही -	- वही -	स्विटजरलैंड	स्विटजरलैंड सहित कोई भी देश	क्रम सं. 3 के अलावा कोई भी उत्पादक	8.2	कि.ग्रा.	यूएस डॉलर
5	- वही -	- वही -	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	11.09	कि.ग्रा.	यूएस डॉलर

^{*} पीयूसी के दायरे में विटामिन-ए पामिटेट 1.6 एमआईयू/ जीएम शामिल नहीं है, जिसका उपयोग पशु उपभोग के लिए किया जाता है और पीयूसी की तुलना में इसके अंतिम उपयोग अलग हैं।"

ड. आगे की प्रक्रिया

127. केन्द्र सरकार द्वारा इन जांच परिणामों को स्वीकार किए जाने के पश्चात इनके विरुद्ध कोई अपील 1995 में यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमा शुल्क टैरिफ नियम, 1995 के अनुसार सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

DEPARTMENT OF COMMERCE

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

New Delhi, the 10th March, 2025

FINAL FINDINGS

Case No. AD (OI)-07/2024

Subject: Subject: Final findings in the anti-dumping investigation concerning imports of "Vitamin-A Palmitate" originating in or exported from China PR, European Union and Switzerland

F. No. 06/07/2024-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Act"), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the "Anti-Dumping Rules" or "the Rules").

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as "the Authority") received an application from Piramal Pharma Limited (hereinafter referred to as the "applicant" or the "domestic industry" or "Petitioner") seeking initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of the Vitamin-A

Palmitate (hereinafter also referred to as the "product under consideration" or the "subject goods" or "VAP") originating in or exported from China, European Union and Switzerland (hereinafter also referred to as the "subject countries").

- On the basis of a duly substantiated application filed by the applicant, the Authority issued a public notice vide Notification No. 06/07/2024-DGTR dated 28th March 2024, published in the Gazette of India, initiating an anti-dumping investigation into imports of the product under consideration from China PR, European Union and Switzerland in accordance with Rule 5 of the Anti-Dumping Rules to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.
- 3. The PUC has been subject to anti-dumping investigations in the recent past. A brief history of the same is provided below.

Sr. No.	Original/MTR/SSR	DGTR Final Finding date	Whether the DGTR recommended duty (Yes/No)	Custom notification date	Whether duty levied by the Ministry of Finance (Yes/No)	Form of duty	Duty rate
1	Original	23-Jan-03	Yes	7-Mar-03	Yes	Reference price	113.95 USD/KG
2	Mid-term Review (MTR)	24-Jan-05	No	7-Mar-05	NA	NA	NA
3	Original	14-Sep-07	Yes	30-Oct-07	Yes	Fixed duty	313 to 941 INR/KG
4	Sunset Review (SSR)	21-Aug-13	Yes	13-Nov-13	Yes	Fixed duty	7.34 to 15.37 USD/KG
5	Original	9-Feb-24	No, Terminated	NA	NO	NA	NA

B. PROCEDURE

4. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

- i. The Authority notified the embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 of the Anti-Dumping Rules.
- ii. The Authority issued a public notice dated 28th March 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning the import of the subject goods from subject countries.
- iii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Governments of the subject countries, through their embassies in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as well as other interested parties, as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
- iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known

- producers/exporters and to the Governments of the subject countries, through their embassies in India, in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules. A copy of the non-confidential version of the application was provided to other interested parties, wherever requested.
- V. The Authority also forwarded a copy of the notice to known producers/exporters from the subject country, known importers/users in India, other Indian producers and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 30 days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. The Authority sent an Exporter's Questionnaire to the following known producers/exporters to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules:
 - a) Zhejiang Medicine Co., Ltd.
 - b) Synchem International Co., Ltd
 - c) Xiamen Kingdomway Gr Co.
 - d) BASF SE
 - e) DSM Nutritional Products AG
- vi. The embassies of the subject countries in India were requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
- vii. In response to the initiation of the subject investigation notification, the following producers/exporters from the subject countries have responded by filing a questionnaire response:
 - a) Synchem International Co., Ltd.
 - b) Zhejiang NHU Import & Export Company Ltd.
 - c) NHU (Hong Kong) Trading Company Limited
 - d) Shangyu NHU Bio-Chem Co., Ltd.
 - e) Zhejiang NHU Import & Export Co. Ltd
 - f) DSM Singapore Industrial Pte. Ltd. ("DSM Singapore")
 - g) DSM Nutritional Products Limited ("DNP AG")
 - h) DSM Nutritional Products Europe Ltd.
- viii. The Authority sent questionnaire to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
 - a) BASF India Ltd.
 - b) Nandlal Bankatlal Pvt. Ltd.
 - c) Kantilal Manilal And Company Pvt. Ltd.
 - d) Sunrise Pharmaceutical
 - e) Provimi Animal Nutrition India Pvt. Ltd
 - f) DSM India Pvt. Ltd
 - g) Kalgov Labs Ltd.
 - h) Pulse Pharma
 - i) Ds Biovet Pharma Pvt. Ltd.
 - j) Venkyes Ltd
 - k) Pristine Organics Pvt. Ltd.
 - 1) PD NAVKAR Bio-Chem Pvt. Ltd
 - m) Hexagon Nutrition Ltd.
 - n) Geltec Pvt. Ltd.
 - o) Softsule Pvt Ltd
 - p) Softgel Healthcare Pvt Ltd.
 - q) Madras Pharma
 - r) USV Pvt. Ltd.
 - s) Alkem Laboratories

- ix. In response to the initiation of the subject investigation notification, the following importers/users from the subject countries have responded by filing a questionnaire response within stipulated time:
 - a) DSM Nutritional Product India Private Limited ("DNP India")
 - b) M/s K Sevantilal & Co.,
- X. Further, K Sevantilal & Co., an importer filed its questionnaire response on 5th June 2024, i.e., after the prescribed deadline on 4th June 2024.
- xi. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire to all the known producers and exporters, importers, and the applicants. The economic interest questionnaire was also shared with the administrative ministry. Only the applicants and DNP India have filed the economic interest questionnaire. No other interested party has filed response to the economic interest questionnaire issued by the Authority.
- Xii. A copy of the initiation notification and non-confidential version of the application was sent to the following ministries. However, the Authority has not received any comments:
 - a) Ministry of Chemicals and Fertilizers
 - b) Ministry of Health and Family Welfare
- xiii. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by the various interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- xiv. A request was made to the DG System to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the injury period and also the period of investigation. The Authority has relied upon the DG System data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- XV. The non-injurious price ("NIP") based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles ("GAAP") and Annexure III to the Anti-Dumping Rules has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xvi. The period of investigation ("**POI**") for the purpose of the present investigation is 1st October 2022 to 30th September 2023 (12 months). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2020-21, 2021-22, 2022-23 and the period of investigation.
- xvii. On 30th April 2024, the Authority conducted a virtual meeting where all the interested parties were invited to give their comments on the scope of the product under consideration and product control number ("PCN") methodology.
- xviii. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority.
- xix. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- XX. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity for the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 18th October 2024 in hybrid mode. The parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any.
- xxi. Information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the

- information filed on a confidential basis.
- XXII. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- xxiii. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties up to this stage, to the extent the same is supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- XXİV. In accordance with Rule 16 of the Anti-dumping Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated February 10, 2025, and the interested parties were allowed time up to February 14, 2025, to comment on the same. The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant and non-repetitive, in these findings.
- XXV. '***' in this notification represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- XXVI. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = \mathbb{Z} 83.25.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

- 5. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as "Vitamin-A Palmitate".
 - "3. The product under consideration for the present investigation is "Vitamin-A Palmitate", covering both Vitamin A Palmitate 1.7 MIU/Gm and Vitamin A Palmitate 1.0 MIU/Gm in all its strengths and forms, with or without stabilization. Though differing only in concentration, Vitamin-A Palmitate 1.7 MIU/Gm and Vitamin-A Palmitate 1.0 MIU/Gm are product sub-types with the same end uses and are also technically and commercially substitutable.
 - 4. The scope of the PUC does not cover Vitamin-A Palmitate 1.6 MIU/Gm which is used for animal consumption and has different end-uses compared to the PUC"

C.1. Submissions made by other interested parties

- 6. The following submissions have been made by other interested parties with respect to the product under consideration:
 - i. Vitamin-A Acetate and the PUC are technically and commercially substitutable.
 - a. Vitamin-A Acetate and the PUC are nothing but different esters of Vitamin A molecules.
 - b. Vitamin-A Acetate and the PUC are classifiable under CTH 2936 2100 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975.
 - c. Both have similar end uses and applications and possess similar properties.
 - ii. Vitamin-A Acetate, also known as Retinyl Acetate, appears as yellowish crystals or a crystalline powder, with a minimum Vitamin A activity of 2.76 × 10⁶ IU/g. It can be stored for 12 months if kept under nitrogen and at a cool temperature.
 - iii. Retinyl Palmitate, which is the product under consideration, is a fat-like, light yellow solid or a yellow oily liquid, with a minimum Vitamin A activity of 1.64×10^6 IU/g.
 - iv. The basic molecule of Vitamin A is Retinol. Retinol, like any alcohol has an -OH group in its molecular structure and is by nature a very unstable compound. Because it is very unstable it exists inter alia, in the form of its esters. To increase its stability, Retinol is converted into its esters, such as Retinyl Acetate (Vitamin-A Acetate) and Retinyl Palmitate (Vitamin-A Palmitate).

- v. Vitamin-A Acetate can be easily converted to the PUC. Due to the mere conversion process adopted by Petitioner, they are unable to compete with global manufacturers of the PUC who produce the PUC from the basic stage. The manufacturing process employed by DNP AG in Switzerland to produce PUC is not at all comparable to mere conversion process undertaken by the Petitioner, whereby the Petitioner cannot be regarded as a manufacturer of the PUC.
- vi. Except for the addition of methyl palmitate, catalyst and solvent, there are no major inputs required for processing in conversion of Vitamin-A Acetate to Vitamin-A Palmitate.
- vii. According to a legal precedent set in the Oswal Wollen Mills Ltd. case, if two products are easily convertible and recognized as such by exporters, they can be considered "like products."
- viii. Hence, the DGTR must hold that Vitamin-A Acetate is a like article to the PUC and direct the Petitioner to provide the details of imports of Vitamin-A Acetate to enable the parties to comment on the Petitioner's standing.
- ix. Vitamin-A Acetate and the PUC are esters of Vitamin-A (Retinol). Even the Patents Act, of 1970, which governs the patentability of new inventions, recognizes that esters of a compound are considered the same substance unless they differ significantly in properties.
- x. Both Vitamin-A Acetate and the PUC are used interchangeably commercially and are often employed for the same purpose i.e. for fortification of foods like oil, milk, wheat flour (atta and maida) etc. and manufacture of cosmetics, tablets and drugs and dietary supplements.
- xi. Technical evidence suggests that Vitamin A is present in foods as retinols and retinyl esters.
- xii. 12 Indian entities import Vitamin-A Acetate for the purposes of preparation of premixes for food fortification, tablets, drugs and food products and dietary supplements. This is amply clear from the products /material data sheets and the websites of the above entities.
- xiii. DSM Group also imports Vitamin-A Acetate for use in making food premixes and dietary supplements similar to Vitamin-A Palmitate. The relevant bills of entity and commercial invoices for import of Vitamin-A Acetate by DSM India and local tax invoices along with other connecting documents like certificate of analysis etc. for sale of Vitamin Mineral Premixes (VMP) for Cereals, Vitamin Mix Base Complan, and Vitamin Mineral Premix for Rice (for fortification) made from such Vitamin-A Acetate.
- xiv. Public domain information shows that BASF India imports Vitamin-A Acetate. Public domain information also clearly provides that it sells various types of Vitamin-A Palmitates and Acetates in oil as well as or powder forms for similar applications.
- xv. The Petitioner themselves offer various types of Vitamin-A Acetate and Vitamin-A Palmitate in oil and powders forms.
- xvi. Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations, 2018 ("FSSR, 2018") permits use of both Retinyl acetate or Retinyl palmitate interchangeably.
- xvii. None of the big manufacturers of Vitamin A in the world undertake only the last leg conversion but are full-fledged manufacturers of Vitamin A from the basic stage since a mere conversion activity of one form of Vitamin A to another is not commercially viable business.
- xviii. Vitamin-A Acetate and the PUC are classified as Vitamin A and their derivatives under CTH 2936 2100. As per explanatory notes to the Customs tariff harmonization, both these products are similar

- compounds the only difference being the state of matter in the two compounds. Hence, they are technically substitutable.
- xix. High-value addition may be on account of the inefficient operations and production process. The Petitioner is only engaged in the last stage conversion of the Vitamin-A Acetate to the PUC. Further, high-value addition may be due to very high depreciation. Other fixed costs in the POI are due to a manifold increase in value of net fixed assets on account of their upward revaluation pursuant to the demerger.
- xx. The reason for the Petitioner's injury is due to the manufacturing process adopted by them, due to which they are unable to compete with global manufacturers who produce from the basic stage.

B.1.1 C.2. Submissions made on behalf of the domestic industry

- 7. The submissions of the domestic industry with regard to the product under consideration and like article are as follows:
 - i. The product under consideration in the present investigation is Vitamin-A Palmitate, covering two sub-types i.e. 1.7 MIU/Gm and 1.0 MIU/Gm in all its strengths and forms. These two sub-types have the same end uses and are also technically and commercially substitutable.
 - ii. The subject goods are used in pharmaceutical, cosmetic, and food supplement applications, meant for human consumption.
 - iii. The scope of the PUC does not include the sub-type of Vitamin-A Palmitate 1.6 MIU/Gm, which is used for animal consumption.
 - iv. The technical and physical properties of the PUC and Vitamin-A Acetate 2.8 MIU are distinct and dissimilar, whereby these products are not directly substituted with each other. Specifically, both the products have different (i) form and (ii) bioavailability and toxicity. The differences in chemical characteristics and toxicity are also supported by the European Commission's Scientific Committee on Consumer Safety.
 - v. Both these products have different uses commercially. Vitamin-A Acetate is used to produce the PUC. Whereas the PUC is used to produce certain downstream products.
 - vi. Moreover, the regulatory requirements relating to pharmaceuticals across the globe require registration of ingredients/composition (including the PUC) used to produce formulations given the same, it not commercially or technically prudent for businesses to use Vitamin-A Acetate instead of Vitamin-A Palmitate. Hence, both Vitamin-A Acetate and the PUC are not commercially or technically substitutable with each other.
 - vii. If Vitamin-A Acetate and the PUC are considered the same, then there would be direct imports of Vitamin-A Acetate, which is not the case. Other than Piramal Pharma Limited ("PPL"), there are no entities importing Vitamin-A Acetate into India.
 - viii. Single user has not participated in the investigation demonstrating actual use of Vitamin-A Acetate in applications where Vitamin-A Palmitate is typically utilized.
 - ix. To the best of the knowledge of the Petitioner, it remains the only importer of Vitamin-A Acetate in the country.

- x. Vitamin-A Acetate and the PUC may be esters of Vitamin A molecules, but they are not like articles.
- xi. The Authority has previously excluded Vitamin-A Palmitate 1.6 MIU/Gm from the scope of the PUC in the *Original and Sunset Review Anti-dumping investigations concerning imports of Vitamin-A Palmitate from Switzerland and China PR*. The Authority particularly observed that while the issue of circumvention may arise between Vitamin-A Palmitate1.0 MIU/Gm and Vitamin-A Palmitate1.7 MIU/Gm due to their similar end-uses, Vitamin-A Palmitate 1.6 MIU/Gm has completely different end uses i.e., for animal feed and therefore, should be excluded from the scope of the PUC.
- xii. The citation of the Indian Patents Act, 1970 is being oversimplified by the DSM Group. This is because the objective and purpose of defining "like articles" under the Anti-dumping law differs from that under the Patent law. Similarly, the Food Safety and Standards (Fortification of Foods) regulations 2018 is irrelevant for the purposes of determining "like article" under the Anti-dumping laws. Indeed, the very fact that the interested parties are relying on external statutory definitions (rather than like article provisions and precedents) is an inadvertent admission that Vitamin-A Palmitate and Vitamin-A Acetate are not like articles.
- xiii. The Authority in the past has examined if there is significant value addition between two products to determine likeness and whether such products should be included within the scope of the product under consideration. The Authority in the present investigation should also consider whether there is a significant value addition to Vitamin-A Acetate to produce the PUC. The Petitioner submits that indeed there is a significant value addition (of over 40%) undertaken on Vitamin-A Acetate to produce the PUC. Hence, both these products are not like articles.

C.3. Examination by the Authority

- 8. The Authority had granted an opportunity to all the interested parties to file their submissions on the scope of the PUC and PCNs. After assessing the post-initiation comments, vide notification F. No. 6/7/2024-DGTR dated 14th May 2024, the Authority notified that it has decided to proceed with the investigation without PCNs and that there is no change in the scope of the product under consideration as defined in the initiation notification.
- 9. The interested parties have averred that Vitamin-A Palmitate and Vitamin-A Acetate are like products. However, the Authority notes that none of the interested parties have been able to demonstrate that Vitamin A Acetate is directly being used for the same end-use and applications as Vitamin A Palmitate. Thus, the likeness or interchangeability of the two products has not been established. Additionally, the Authority notes from the domestic industry's submissions that there are differences in form, distributability, bioavailability and toxicity of both products. For substantiating the differences in chemical characteristics and toxicity, the domestic industry has placed on record the European Commissions Scientific Committee on Consumer Safety report. Further, the Authority has verified the production process of the domestic industry and the value addition made by the domestic industry while producing the product under consideration. The same has been found to be significant enough to confer the process of making Vitamin A Palmitate from Vitamin A Acetate to be in the nature of a manufacturing activity.
- 10. The Authority also referred to the final findings for the *Sunset Review of Anti-dumping investigation concerning imports of Vitamin-A Palmitate originating in or exported from China PR and Switzerland*, where it was held that when an intermediate input i.e., Vitamin-A Acetate is converted into a final product i.e., the PUC through a chemical process, the said process constitutes manufacturing and the said two products cannot constitute like articles. Consequently, it was held that the applicant therein was eligible to constitute a domestic industry under Rule 2 (b) of the Anti-Dumping Rules, 1995. In view of its relevance to the matter

⁹ Sunset Review of Anti-dumping investigation concerning imports of Vitamin-A Palmitate originating in or exported from China PR and Switzerland, Final Findings dated August 21, 2013, available at https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin_SSR_Vitamin_A_Switzerland_ChinPR.pdf.

under consideration, the same is reproduced below for reference:

- "...17. It is noted that Vitamin A Acetate 2.8 MIU is the raw material for the manufacture of the subject goods and is not a "like article". The technical and physical properties of the subject goods and Vitamin A Acetate are distinct and dissimilar and cannot be directly substituted with Vitamin A Acetate as claimed by the Exporter. Further, the manufacture of the subject goods involves a complex chemical reaction with a series of processes that is undertaken on Vitamin A Acetate crystals incurring a significant value addition to the raw material, i.e., Vitamin A Acetate...
- 32. ... There is a complex chemical reaction with a series of processes that is undertaken on Vitamin A Acetate crystals, i.e. the imported raw material for the manufacture of the Product under Consideration involving a substantial value addition and employment of labour and technology.
- 33. It may be recalled that in the Final Findings in the CESTAT REMAND POSTDECISIONAL FINDINGS dated 10th February, 2012, the Designated Authority held that:
- "iii... The Authority notes that when an intermediate input is converted in to a final product, through a chemical process, the process of conversion does constitute manufacturing and the two cannot constitute like articles. Moreover, change in the route/technology/process of production does not disentitle a domestic producer from the status of domestic industry, as long as it is engaged in the production and supply of the subject goods."
- 34. ... Thus, based on the Information available on records of the Designated Authority, the Petitioner accounts for all the production of the subject goods in India and thus constitutes domestic industry within the meaning of the Rules."
- 11. No evidence to the contrary has been provided by the interested parties. In view of the same, the Authority finds that Vitamin A Acetate and Vitamin A Palmitate are not "like article". Accordingly, the PUC is as under

The product under consideration for the present investigation is "Vitamin-A Palmitate", covering both Vitamin A Palmitate 1.7 MIU/Gm and Vitamin A Palmitate 1.0 MIU/Gm in all its strengths and forms, with or without stabilization. Though differing only in concentration, Vitamin-A Palmitate 1.7 MIU/Gm and Vitamin-A Palmitate 1.0 MIU/Gm are product sub-types with the same end uses and are also technically and commercially substitutable.

The scope of the PUC does not cover Vitamin-A Palmitate 1.6 MIU/Gm which is used for animal consumption and has different end-uses compared to the PUC.

- 12. The subject goods are generally imported into India under tariff item 29362100 of Schedule I of the Act. However, the subject goods have also been imported under tariff items 29362290, 29362800, 29369000, 29362690, and 29362990 of Schedule I of the Act. The customs classification of the product is indicative only and is not binding on the scope of the product.
- 13. The Authority notes that the subject goods produced by the Domestic Industry are like articles to the subject goods originating in or exported from the subject countries. There are no significant differences in the subject goods produced by the Domestic Industry and those exported from the subject countries. The subject goods produced by the Domestic Industry are comparable to the imported goods from the subject countries in terms of chemical characteristics, product specifications, technical specifications, manufacturing process and technology, functions and uses, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially interchangeable. Accordingly, the Authority holds that the subject goods produced by the Domestic Industry are 'like article' to the subject goods being imported from the subject country in terms of Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules, 1995.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions made by other interested parties

- 14. The other interested parties have averred as follows:
 - i. Vitamin-A Acetate can be easily converted to the PUC.
 - ii. Except for the addition of methyl palmitate, catalyst and solvent, there are no major inputs required for processing in conversion of Vitamin-A Acetate to Vitamin-A Palmitate.
 - iii. According to a legal precedent set in the Oswal Wollen Mills Ltd. case, if two products are easily convertible and recognized as such by exporters, they can be considered "like products."
 - iv. The Petitioner is only engaged in the last stage conversion of the Vitamin-A Acetate to the PUC. Further, high-value addition may be contributed due to very high depreciation. Other fixed costs in the POI may be due to a manifold increase in value of net fixed assets on account of their upward revaluation pursuant to the demerger.
 - v. The DGTR must hold that Vitamin-A Acetate is a like article to the PUC and direct the Petitioner to provide the details of imports of Vitamin-A Acetate to enable the parties to comment on the Petitioner's standing.
 - vi. Therefore, the Petitioner being an importer of Vitamin-A Acetate is not eligible to be a domestic industry.

D.2. Views of the domestic industry

- 15. The submissions of the domestic industry with regard to the scope of domestic industry and standing are as follows:
 - a. Piramal Pharma Limited is the sole producer of the PUC in India in the POI. However, in the period before the POI, the Petitioner's pharma business underwent corporate restructuring.
 - b. As of March 2020: The Petitioner was incorporated on 4 March 2020 and 80% owned by PEL. The pharma business (including *inter alia* Digwal and Mahad plants involved in the production of the PUC) was part of Piramal Enterprises Limited ("PEL").
 - c. <u>As of October 2020</u>: The Digwal plant was transferred to PPL in October 2020 and the pharma business including the Mahad plant continued to be a part of PEL.
 - d. As of April 2022: The pharma business and the Mahad plant were transferred from PEL to PPL on 1 April 2022. The Digwal plant continued to be a part of PPL.
 - e. As of September 2022: Prior to the demerger of the pharma business on 1 April 2022, PEL was owned 56% by shareholders and 44% by promoters. PPL was in turn 80% owned by PEL. Post-demerger, on 5 September 2022, the aforesaid 80% shareholding was cancelled and shareholders of PEL were allotted four (4) shares of PPL for every one (1) share in PEL. The promoters of PEL became promoters of PPL as well. Consequently, PPL was listed on the BSE and NSE on 19 October 2022. Accordingly, the relationship between PEL and PPL is on account of having 80% common shareholders and promoters. In effect, the owners of PEL and PPL remained the same, and the same individuals/entities that own PEL also hold 80% of PPL post-demerger.
 - f. It is relevant to note that the modalities of the corporate restructuring/de-merger process were laid out through the Composite Scheme of Arrangement ("CSA") issued on 26 August 2022. PEL obtained its license as a Non-Banking Financial Institution in July 2022. During and around the same time, approvals for the demerger were obtained from the National Company Law Tribunal ("NCLT"), the Reserve Bank of India ("RBI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI), creditors, and shareholders, among others. Particularly, the NCLT order dated 12 August 2022 categorically stated that the CSA is sanctioned with the Appointed Date as 1 April 2022.
 - g. Accordingly, except for the change in the legal structure of the pharma business from PEL to PPL, there is no other change concerning the scope of the PUC being manufactured, the process

- concerning the production of the PUC, personnel at the Mahad plant, shareholders, promoters, chairperson, CEO (Global Pharma), dumping, injury, and causal link to the producer of the PUC. The pharmaceutical business of the Piramal Group continued to suffer injury through the injury period, though the technical ownership of plants was restructured to service the broader group objectives. Therefore, the injury assessment for the purposes of the present Petition is based on both the plants involved in the production of the PUC i.e., Digwal and Mahad, as applicable.
- h. Since PPL is the only producer of the PUC and has neither imported the PUC nor is related to (i) the producers/exporters from the subject countries or (ii) the importers of the PUC in India, it is an eligible domestic industry and has requisite standing under Rule 2 (b) read with Rule 5 (3) of the Anti-Dumping Rules.

D.3. Examination by the Authority

- 16. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines the domestic industry as under:
 - "(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".
- 17. The present application has been filed by Piramal Pharma Limited, which is the sole producer of the PUC in India.
- 18. The applicant is neither an importer of the subject goods from the subject countries nor they are related to any exporter of the subject goods in the subject goods in India. As explained in the relevant section hereinabove, since Vitamin A Acetate and Vitamin, A Palmitate are not like article, the applicant is not an importer of the PUC. Further, the Authority has assessed the value addition made by the domestic industry while manufacturing Vitamin A Palmitate from Vitamin A Acetate, and notes that there is significant value addition made on the product. Consistent with this, in the final findings for the Sunset Review of Anti-dumping investigation concerning imports of Vitamin-A Palmitate originating in or exported from China PR and Switzerland, 10 it was held that when an intermediate input i.e., Vitamin-A Acetate is converted into a final product i.e., the PUC through a chemical process, the said process constitutes manufacturing.
- 19. Further, the applicant's production of the PUC accounts for the entirety of the total domestic production.
- 20. Thus, the applicant constitutes domestic industry as defined under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules, and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

E. <u>CONFIDENTIALITY</u>

E.1. Submissions made by other interested parties

21. The following submissions are made by other interested parties with regard to confidentiality:

¹⁰ Sunset Review of Anti-dumping investigation concerning imports of Vitamin-A Palmitate originating in or exported from China PR and Switzerland, Final Findings dated August 21, 2013, available at https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/adfin SSR Vitamin A Switzerland ChinPR.pdf.

- i. The Petitioner has claimed confidentiality regarding production process, non-injurious price calculation, normal value calculation period of shutdown.
- Information related to changes made to the structure of the company need not be mandatorily provided according to Trade Notice 10/2018.
- Contact details of offices and plants need not be mandatorily provided according to Trade Notice 10/2018.
- iv. The details of rebates, discounts or commission, if any, provided by DSM India is provided in the questionnaire response of DSM India.
- Data related to installed capacity cannot be provided due to intrinsic costing and accounting methods followed by the Respondents.
- vi. Production process and names of major raw materials is a trade secret and covered by the relevant Trade Notice.
- vii. Details including, cost of sales per unit-Domestic Sales, cost of Sales per Unit-Exports, PBIT per Unit, Total PBIT, Interest/Finance Cost, Depreciation and Amortisation expense, are not necessary to be provided.

E.2. Submissions made by the domestic industry

- 22. The domestic industry has made *inter alia* the following submissions with regard to the confidentiality claimed by the other interested parties.
 - The Domestic Industry submits that the Respondents have engaged in excessive confidentiality in contravention of the requirements set forth in the Trade Notice No. 10/2018 issued by the Authority, dated September 7, 2018.
 - ii. The Domestic Industry submits that the DSM Group have filed grossly deficient responses with unjustified claims of confidentiality.
 - a. DNP AG has stated that its related entity, DSM Nutritional Products Europe AG ("DSM Europe") acts as a trading and invoicing entity for sales of PUC made by DNP AG in Switzerland. However, DNP Europe has failed to file a questionnaire response. The Authority is requested to kindly direct DNP Europe to submit an appropriate questionnaire response in order to assess the role of the company in the value chain of the DSM entities.
 - b. Information on whether the company has undergone any structural changes in the last three years, including the POI. It is submitted that disclosure of such information can in no manner be detrimental to the interests of the Producer. Failure to disclose such information is deliberate and is reflective of the Producer's intention to not fully cooperate in the subject investigation.
 - c. Excessive confidentiality has been claimed with respect to the contact details of relevant offices, factories and plants, despite such information being available in the public domain. It is submitted that disclosure of such information can in no manner be detrimental to the interests of the Producer. Failure to disclose such information is deliberate and is reflective of the Producer's intention to not fully cooperate in the subject investigation.
 - d. The producer/trader must clarify whether the related importer provides any discounts or rebates to end customers, including the commission to dealers.
 - e. DNP India has also failed to provide details regarding the impact anti-dumping duties would have on downstream products. Since the entirety of the impact has been made confidential, the Domestic Industry could not comment on the same.
 - iii. The Domestic Industry further submits that Shangyu NHU Bio-Chem Co. Ltd., Zhejiang NHU Import & Export Co. Ltd., Synchem International Co. Ltd and NHU (Hong Kong) Trading Company Limited, China PR (hereinafter collectively referred to as the "NHU Group") have filed grossly deficient responses with unjustified claims of confidentiality.

- a. Information on its shareholding pattern has not been provided, even though such information is available in the public domain.
- b. Excessive confidentiality has been claimed with respect to the contact details of relevant offices, factories, and plants, despite such information being available in the public domain.
- c. Synchem has failed to provide information on whether the company has undergone any structural changes in the last three years, including the POI. In particular, the Domestic Industry notes from the questionnaire response filed by Synchem, that Synchem and I&E were related to each other.
- iv. K. Sevantilal has submitted its questionnaire response to the Authority on June 5, 2024, which is past the deadline, i.e. June 4, 2024, stipulated by the Authority vide its notification dated May 28, 2024. The belated questionnaire response of K. Sevantilal ought to be rejected.
- v. Without prejudice, K. Sevantilal & Co. has failed to provide the date of establishment of its firm and has also claimed excessive confidentiality on its financial statements without providing a non-confidential summary of the same. The disclosure of said information can, in no manner, be detrimental to the interests of these parties, and this non-disclosure reflects the parties' intention of non-cooperation.
- vi. It is submitted that the responses filed by all of the aforementioned interested parties should be discarded based on the past practice of the Authority. In the *Anti-dumping Duty investigation concerning imports of "Low Density Polyethylene" originating or exported from Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Thailand, UAE, and the USA, 11 the Authority deemed it fit to reject the responses of a producer group due to their failure to discharge their responsibility of providing complete information. The Authority also stated that Para 7 of the Annex-II to WTO Antidumping Agreement states that if an interested party does not cooperate and thus relevant information is being withheld from the Authorities, this situation could lead to a result that is less favorable to the party than if the party did cooperate.*
- vii. The consistency of the abovementioned practice is further reflected in the Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of "New pneumatic radial tyres of rubber for buses and lorries with or without tubes and/or flaps" originating or exported from Thailand, 12 as well as the Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of "Saccharin" originating in or exported from Indonesia. 13 Thus, it is amply clear that when the Authority has previously rejected responses simply due to not providing the signed formats or providing incomplete and incorrect information, the grossly deficient responses supplied by the various interested parties deserve to be rejected.
- viii. The non-confidential versions submitted by the interested parties are not in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted. The parties have not only failed to provide a meaningful response, but have also failed to give any reasons for claiming such excessive confidentiality.

https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/NCV_FF_LDPE_English.pdf.

https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/FF-NCV-29-3-2019.pdf.

¹¹ Anti-dumping Duty investigation concerning imports of "Low Density Polyethylene" originating or exported from Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Thailand, UAE, and the USA, Final Findings dated April 1, 2022, available at

¹² Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of "New pneumatic radial tyres of rubber for buses and lorries with or without tubes and/or flaps" originating or exported from Thailand, Final Findings dated November 27, 2020, available at https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Tyre%20FF%20NCV.pdf.

¹³ Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of "Saccharin" originating in or exported from Indonesia, Final Findings dated March 29, 2019, available at

- ix. The need for transparency and access to relevant information has also been emphasized on by the Hon'ble Supreme Court and the Hon'ble CESTAT, via the cases of *Reliance Industries v. Designated Authority*¹⁴ and *Alkali Manufacturers Association of India v. Designated Authority*¹⁵ respectively.
- x. Thus, when a party to an investigation provides confidential information, it must also provide meaningful non-confidential summaries thereof in the exact replica of the confidential version, and in the event that the information cannot be summarized, the party in question is required to state the reasons for such non-summarization. However, the questionnaire responses filed by the interested parties do not provide sufficient reasons for claiming confidentiality and are grossly deficient.
- xi. By virtue of Rule 6(8) of the Anti-Dumping Rules, 1995 responses filed by these parties must be rejected and they must be declared as non-cooperative.

E.3. Examination by Authority

- 23. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to all the other interested parties as per Rule 6(7) of the Anti-Dumping Rules.
- 24. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:

"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

- (2) The designated authority may require the parties providing information on a confidential basis to furnish a non- confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible to summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."
- 25. The Domestic Industry has averred that the other interested parties have claimed excessive confidentiality in contravention of the relevant trade notice. The other interested parties have stated that disclosure of business sensitive information will cause irreparable damage to the business interest of the company and on being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties.

Determination of Normal Value, Export Price and Dumping Margin

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

F.1. Submissions made by other interested parties

¹⁴ Reliance Industries v. Designated Authority 2006 (202) ELT 23 (SC).

¹⁵ Alkali Manufacturers Association of India v. Designated Authority 2006 (194) E.L.T. 161 (Tri. - Del.).

- 26. The submissions of the other interested parties with regard to the normal value, export price and dumping margin are as follows:
 - i. The Petitioner's determination of dumping margin is incorrect since the normal value and export price for the European Union were grossly erroneous. The Authority is requested to consider the import prices of raw material in the European Union from World Trade Atlas, the best utilization ratio during the injury period for raw materials/utilities consumption ratio and the optimized costs for NIP for the other costs. Regarding export price, it submitted that information supplied by the cooperative producers / exporters for the calculation of the export price be considered.
 - ii. The normal value constructed for Switzerland in the Petition is factually incorrect. DSM produces PUC from a basic stage, whereas the Domestic Industry imports Acetate and produces the PUC. The DSM Group manufacture the PUC from the very basic stage in a highly technology intensive process. For this reason, the consumption norms of the Petitioner and the DSM Group are also not comparable. Hence, considering the raw material cost and consumption norms of the Petitioner for computation of normal value for Switzerland is grossly incorrect.
 - iii. The methodology adopted by the Petitioner to determine the dumping for Switzerland is illegal as law does not allow the normal value to be constructed based on the cost of production for a market economy country.
 - iv. Costs/consumption norms are not comparable with that of the Petitioner since the Petitioner is backward integrated and the costs of Petitioner include effect of depreciation due to upward revaluation of fixed assets.
 - v. China should be accorded market economy treatment in light of the expiration of Protocol on China's accession to the WTO since December 11, 2016. Additionally, the Authority should apply the data on costs and prices provided by the Company in this response for the determination of the normal value rather than applying analogue country data in this investigation.
 - vi. The applicant has claimed baseless adjustments for ocean freight, marine insurance, commission, etc. and the Authority is requested to consider the cooperative producers' calculation of export price.
 - vii. DSM averred that the overheads are different between the companies. Further, the Petitioner's conversion costs also include the effect of depreciation due to the heavy upward revaluation of fixed assets.
 - viii. Petitioner had shifted its operations from the Thane plant to the Digwal plant in 2010-11. Unlike the Digwal plant, Thane plant used to produce PUC from the first stage itself. This shift in manufacturing plant led to a change in cost structure of the production process and the same was recorded by the Authority in the Final Findings issued in the Sunset Review investigation on imports of Vitamin-A Palmitate originating in or exported from China PR and Switzerland.
 - ix. Normal value constructed based on the cost of the Petitioner is highly misleading and portrays the incorrect factual position vis-à-vis the cost of the DSM Group and consequently the dumping and injury margins projected for the DSM Group.
 - x. Rule 5(3)(b) of the AD Rules requires the authority to initiate an investigation only on examination of the accuracy and adequacy of evidence regarding dumping, injury and causal link between dumping and injury.
 - xi. BASF Group understands that all companies engaged in the sales channel in the domestic market are required to cooperate to get individual duty. Several group companies of BASF SE are engaged in the sales channel of the subject goods in the European market. BASF group companies were not comfortable in sharing their financial information as their business of the subject goods consists of a

- meagre share of their total business / sales. Therefore, BASF's failure to file Questionnaire Response is not an indication of its involvement in significant dumping.
- xii. Para 3(iv) of Trade Notice No 11/2018 dated 10 September 2018, categorically mentions that an interested party which has registered itself with the Authority within the timelines prescribed but has not filed questionnaire response shall not be prevented from participating in other stages of the investigation by filing legal submissions, attending public hearing, filing disclosure comments etc.

F.2. Submissions made by the domestic industry

- 27. The submissions of the domestic industry with regard to the normal value, export price and dumping margin are as follows:
 - BASF had every opportunity to file its questionnaire response, which would indubitably include relevant information and evidence for normal value. In the absence of BASF's questionnaire response on record, the Authority must not entertain any unverified submissions from BASF concerning the dumping margin or injury margin.
 - ii. The absence of BASF's questionnaire response can only be inferred as an admission that BASF is significantly dumping the PUC into India.
 - iii. The Petitioner was unable to obtain the prices of the PUC in Switzerland, and/or export sales prices from Switzerland from any reliable sources. The Petitioner was also not able to source the cost of production in Switzerland from the public domain. In view of the above and as per the practice of the Authority, the Petitioner constructed the normal value based on the cost of production in India.
 - iv. DNP Europe has failed to file a complete questionnaire response, whereby the responses of DNP AG and DSM Europe fail to meet the requirements set forth under the Trade Notice No. 06/20212.18 In addition, the questionnaire responses remain deficient in the following aspects: (a) seeking confidentiality of information that is available in the public domain; (b) excessive confidentiality despite the requirements set forth under the Trade Notice 10/2018.
 - v. The questionnaire responses filed by producers from Switzerland and their traders must be rejected by the Authority on account of the incomplete chain of exports.
 - vi. Sub-paragraph (2) of paragraph 8, Annexure I of the AD Rules, 1995 stipulates that a country shall be considered as a non-market economy ("NME") for the purpose of the anti-dumping investigation if the same has been treated as an NME in three (3) previous years preceding the investigation period unless the producers/exporters cooperating in the investigation produces sufficient evidence establishing that it operates under market economy principles.
 - vii. It is a consistent practice to regard China as a non-market economy not only in Indian trade remedial investigations, but also in trade remedial investigations conducted in all major jurisdictions. For example, jurisdictions such as the European Union and the United States of America continue to consider China to be a non-market economy.
 - viii. In view of the same, the Hon'ble Designated Authority must continue to treat producers/exporters operating in China PR as operating under NME principles unless established otherwise by the said producers/exporters filing the relevant information.
 - ix. The participating entities from China have not filed market economy treatment questionnaire, whereby they have not provided the relevant evidence to establish that they are operating under market economy conditions.
 - X. Accordingly, the Petitioner has constructed the normal value based on its own cost of production duly adjusted for selling, general, administrative expenses, and reasonable profit.
 - xi. The volumes from China have increased at an alarming pace. The principal reason is the opaque cost structure on the cost of production. The exporters/manufacturers from China should not be granted market economy status.
 - xii. The Petitioner has furnished ample evidence and submissions in its Petition concerning the dumping margins for China, Switzerland and EU, showing that dumping margins are above *de minimis* and

significant.

xiii. The dumping margin for the subject countries is not only above the *de minimis* levels, but also significant.

F.3. Examination by the Authority

- 28. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:
 - "i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or
 - ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic

market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b)the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin."

29. The Authority notes that the following producers/exporters of the subject goods have filed exporter's questionnaire responses:

Chinese Producers and their Exporters/Traders

- a. Synchem International Co., Ltd.
- b. Zhejiang NHU Import & Export Company Ltd.
- c. NHU (Hong Kong) Trading Company Limited
- d. Shangyu NHU Bio-Chem Co., Ltd.

Switzerland Producers and their Exporters/Traders

- e. DSM Singapore Industrial Pte. Ltd. ("DSM Singapore")
- f. DSM Nutritional Products Limited ("DNP AG")
- g. DSM Nutritional Products Europe Ltd

European Union Producers and their Exporters

None of the producers/exporters from the EU filed their questionnaire responses.

G.3 Examination by the Authority

Normal Value for China PR

30. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

- (a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:
- (i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;
- (ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.
- (b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.
- (c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.
- (d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."
- 31. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on December 11, 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of the WTO Agreement on Anti-Dumping read with the obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require the criterion stipulated in Para 8 of Annexure I to the AD Rules, 1995 to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire upon claiming market economy status.
- 32. Sub-paragraph (2) of paragraph 8, Annexure I of the Anti-Dumping Rules, 1995 stipulates that a country shall be considered as an NME for the purpose of the anti-dumping investigation if the same has been treated as an NME in three (3) previous years preceding the investigation period unless the producers/exporters cooperating in the investigation produces sufficient evidence establishing that it operates under market economy principles.

- 33. The Authority has treated China as NME for the purposes of anti-dumping investigation in three (3) previous years. As none of the producer from China PR have filed the supplementary questionnaire response, the normal value has been determined in accordance with Para 7 of Annexure I of the Rules. Para 7 lays down hierarchy for determination of normal value and provides that normal value i) determined on the basis of the price ii) or constructed value in a market economy third country, iii) or the price from such a third country to any other country including India or where it is not possible on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary to include a reasonable profit margin.
- 34. The interested parties have not provided any information on appropriate market economy countries. It is noted that there are no imports of PUC in India from other than subject countries in the injury period. Therefore, normal value for China PR could not be i) determined on the basis of the price ii) or constructed value in a market economy third country or the price from such third country to any other country, including India.
- 35. Therefore, the Authority has determined the normal value for the subject imports in China PR as "price actually payable in India" as stipulated in para 7 of Annexure I to the AD Rules, 1995. It has been computed based on the cost of production of the domestic industry, with reasonable addition for selling, general and administrative expenses, and profits. The normal value so determined is given below in the dumping margin table.

Export Price for China Shangyu NHU Bio-Chem Co., Ltd. (Producer)

- 36. Shangyu NHU Bio-Chem Co., Ltd. ("Shangyu"), is a limited liability company incorporated under the Company Law of the PRC. During the POI, Shangyu NHU Bio-Chem Co., Ltd., China PR, has sold *** MT subject goods of invoice value *** RMB to India indirectly through two related exporters/traders namely, Nhu (Hong Kong) Trading Company Limited and Zhejiang Nhu Import & Export Company Ltd.
- 37. It is further noted that Zhejiang Nhu Import & Export Company Ltd., has further sold (*** MT) to India indirectly through another unrelated exporter/trader namely, Synchem International Co., Ltd. The producer/exporter has claimed adjustments inland transportation and packing expense to arrive at export price at ex-factory level, so determined is as shown in the Dumping Margin Table below.

Normal Value and Export price for Switzerland DSM Nutritional Products Ltd

- 38. DSM Nutritional Products Ltd, has sold [***] KG of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported [***] KG of the subject goods to India. The Authority notes that the domestic sales are in insufficient volumes when compared with exports to India. Accordingly, the Authority has not considered the same for determination of normal value in the exporting country.
- 39. It is noted that transaction wise exports price to third countries have not been provided by the producer and exporter from Switzerland as part of the questionnaire response. On the basis of the fact that other relevant information required in the questionnaire response has been submitted by the responding producer and exporter, the Authority has constructed the normal value for the responding producer and exporter based on the cost of production of the subject goods in the originating country with reasonable addition of selling and administration expenses and adding profit margin. The normal value thus arrived at is mentioned in the dumping margin table.

Export Price

40. DSM Nutritional Products Ltd, the producer of the PUC in Switzerland, has exported [***] Kgs of the subject goods to India, through its related trader DSM Singapore. DSM Singapore has subsequently resold the subject goods to either its related entity DNP India or to unrelated Indian customers. The PUC produced by DNP AG has been shipped to India either from warehouse in Venlo or from Singapore. All the related expenses incurred in the process of export namely ocean freight, insurance, inland freight, port /warehouse and other expenses, credit cost etc. either incurred by DNP AG or DSM Singapore as applicable based on channel of export, has been adjusted to arrive at the NEP mentioned in the dumping margin table below.

Normal Value and Export Price for European Union

41. The Authority notes that no exporter/producer from the EU has filed its questionnaire response in present investigation. In view of the same, the Authority determines the normal value and export price on the basis of facts available. The normal value and the export price so determined is given in the dumping margin table below.

Dumping Margin

42. The normal value, export price and dumping margin determined in the present investigation are as follows:

Dumping Margin Table

Sr.	Name of the	Normal	Export	Dumping	Dumping	Dumping
No.	Producer	Value	Price	Margin	Margin	Margin
		(USD/KG)	(USD/KG)	(USD/KG)	(%)	(Range %)
A	China PR					
1	Shangyu NHU Bio-	***	***	***	***	30-40%
	Chem Co., Ltd.					30-40%
2	Others Producers	***	***	***	***	50-60%
В	Switzerland	•				•
3	DSM Nutritional	***	***	***	***	20, 400/
	Products Limited					30-40%
4	Others Producers	***	***	***	***	40-50%
С	European Union			•		
5	Any producer	***	***	***	***	10-20%

METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY, AND CAUSAL LINK

G. ASSESSMENT OF MATERIAL INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Submissions made by other interested parties

- 43. The other interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link:
 - i. The Authority has considered a POI that overlaps with the injury period of 2022-23. This overlap renders any comparisons between these periods misleading and inaccurate.
 - ii. The application filed in 2022 was withdrawn by the applicant and that the applicant indicated that it intended to file a fresh application to seek remedy for full extent of dumping and injury for a more recent period. The reason claimed for withdrawal is misleading on account of a comparison of margins in the previous and the ongoing investigation.
 - iii. The applicant filed incorrect information to prove the existence of dumping, injury and causal link.

- iv. Rule 12 of the AD Rules provides that the Authority shall issue the preliminary findings only in "appropriate cases". This makes it clear that the Preliminary Findings cannot be issued in "any" or "all" cases but only in those cases where the Authority finds it appropriate.
- v. The DSM Group submits that PPL submissions requesting imposition of provisional antidumping duties do not meet the conditions required under Article 7 of the AD Agreement. The pre-condition envisaged in the said Article requires an analysis and prudent examination of the necessity for implementing the provisional measures to prevent injury while the investigation is still on-going.
- vi. In the ATMA case, the Hon'ble Supreme Court observed that Rule 12 of the AD Rules explicitly provides that preliminary findings shall contain sufficiently detailed information for the preliminary determinations. Hence, the Authority must undertake a meticulous examination of the necessity for provisional measures.
- vii. Even while recommending the provisional duties, Rule 12 of the AD Rules requires the Authority to record sufficiently detailed information on aspects of dumping and injury including the arguments of interested parties being accepted or rejected. In particular, the Authority is obligated to examine all "considerations relevant to the injury determination".
- viii. The Authority's reasoning that no evidence was provided by the interested parties was incorrect because the DSM Group had submitted relevant technical documents and information in DSM Group PUC submissions. For these reasons, we submit that the Authority must examine whether the Petitioner can even be considered as a "domestic industry" under Rule 2(b) before issuing any preliminary findings in the present case.
- ix. The Petitioner has not suffered any material injury and injury, if any, was due to the following:
- a. Petitioner's manufacturing process and technology leads to abnormally high cost of production as compared to cost of production of PUC in subject countries;
- b. Petitioner's increased depreciation and other expenses leads to increased cost of production on account of revaluation of assets during its corporate restructuring/demerger process.
- x. These factors need to be analyzed in detail by the Authority after taking the input from all interested parties including all participating producers / exporters before any provisional measures are recommended in the present case. An examination of these factors requires detailed verification of data and evidence on record of the case.
- xi. Worldwide all major companies manufacturing the PUC including the DSM Group are backward integrated and manufacture the PUC from the basic stage rather than the last step of converting Acetate into the PUC. The injury to the Petitioner is due to the process adopted by the Petitioner.
- xii. The Petitioner during the oral hearing of the previous investigation had stated that the value addition of the Petitioner from Vitamin-A Acetate to Palmitate is 40%. This value addition percentage is also extremely high as compared to the value addition over the Acetate cost for the DSM Group.
- xiii. The raw material cost of the Petitioner is very high, putting them in a position of disadvantage as compared to the exporters, including the DSM Group. A comparison of the cost of PUC for the Petitioner and DSM Group reveals that Petitioner's cost of production for PUC is extremely high as compared to the DSM Group the differential goes up to as high as [40 50%]. The Petitioner's exports of PUC during the POI also reveals that the Petitioner is only able to fetch a much lower price in the international market as compared to its high cost of production.
- xiv. Therefore, the injury to the Petitioner is not due to subject imports but a self-inflicted injury on account of use of mere last step conversion method adopted by the Petitioner to produce the PUC. This puts the Petitioner at a significant disadvantage as compared to the other major producers of PUC in the world, including the DSM Group.
- xv. The increase in the capital employed, net fixed assets and working capital, depreciation and cost of sales is both on account of revaluation of assets in the previous year and purchase of new assets, if any. An increase in working capital is either incorrect or misleading, whereby the Petitioner has abnormally increased the NIP, and the normal value constructed.
 - The demerger has been accounted basis the "acquisition method" whereby the assets and liabilities are recorded in the books of accounts at their fair values. This is clear from Clause 21.2 of the scheme of arrangement.
 - ii. In Page-24 of the latest annual report of PEL for the financial year 2022-23, it is specifically mentioned that the book value of pharma business worth Rs. 5,368 crores have been fair valued

- at 13,742 crores and recorded in the books of PEL. The net assets of the pharma business after such revaluation at fair values got transferred to the Petitioner
- iii. Assets and liabilities which were a part of the pharma business were already revalued to their fair values in the books of PEL and were transferred to the Petitioner at their fair values as per INDAS-103, pursuant to demerger of the pharma business. From the annual reports of PEL, it is clear that such fair valuation has resulted in an increase of assets by 160%.
- iv. The increase in value of fixed assets and working capital may be attributed to such revaluation of assets and recording the assets at their fair values in the books of the Petitioner.
- v. It is submitted that reasonable levels of working capital ought to be considered without the effect of revaluation due to a demerger. Further, the revaluation of fixed assets due to the demerger ought to be disregarded. Accordingly, capital employed shall be calculated without the effect of revaluation of both the fixed assets and working capital.
- vi. While there was no revaluation in the books of the Petitioner, the revaluation in the books of PEL shall be excluded while evaluating the injury parameters and calculating the NIP.
- vii. The Authority must verify the revaluation of assets and liabilities in the books of PEL. Since the assets are transferred at fair values from PEL to the Petitioner, the revaluation of assets and liabilities of the pharma business will not be visible in the Petitioner's books. It is submitted that the Authority ought to verify the same by calling for the relevant records from PEL.
- xvi. An increase in imports has taken place in order to cater to the expanded market for the PUC owing to the increase in demand of the PUC in the domestic market.
- xvii. It is a settled law that mere endpoint to end point comparison is not relevant to analyze the injury. The intermittent trend needs to be equally seen and a look at the intermittent trend shows that the Petitioner gained market share, and imports have lost market share in the last three years, including the POI.
- xviii. The Petitioner is not impacted negatively by the imports as there is a continuous increase in production and sales parameters.
- xix. The reason for price undercutting is not the low value of imports but the high cost of manufacturing of PPL.
- xx. PPL on one side claims that the capacity utilization is below the potential of the domestic market and on the other hand has itself increased the total capacity during POI. Any prudent business organization will increase its capacity only if it is expecting further increase in demand for the products manufactured by it.
- xxi. The reason for decline in financial performance indicators such as PBIT, cash profits, and return on capital employed is not attributable to imports but is due to high costs incurred by PPL in manufacturing the PUC which is evident from the increasing trend of cost of sales.
- xxii. The Petitioner has significantly increased its installed capacity and workforce, and despite the same, the profitability declined indicating inefficiencies. The Petitioner has undergone continuous restructuring which has affected its profits. Further, the rise in cost for self-inflicted reasons including low utilization, import dependency for the raw material, mismanagement and poor managerial decisions have been the cause of losses in the POI.
- xxiii. There is a substantial increase in depreciation on year-to-year basis which has played an important role in increasing the cost of sales and thereby reduction in financial performance indicators.
- xxiv. The claim made by PPL for imposition of provisional duty is unreasonable when no injury is being caused to the Petitioner due to imports. Also, it is pertinent to note that the quantum of imports has reduced during the POI in comparison to the injury period, this fact further supports that no provisional duty is required to be imposed in the present case as the purpose of said levy is to prevent injury being caused during the investigation.
- xxv. PPL has not substantiated the grounds taken to claim threat of material injury in the petition. From the data filed in the questionnaire response of DSM Switzerland, it is clear that the capacity has remained constant in the last 4 years and the capacity utilization is also very high. Further, the DSM Group have no plans to expand the capacity in the near future. Therefore, there is no threat of injury on account of exports by the DSM Group.
- xxvi. It is visible that the imports during the POI have declined as compared to the injury period. The said fact confirms that the requirement of massive imports during a short period of time for

- recommending duties on a retrospective basis is not fulfilled in the present case.
- xxvii. The information regarding the previous investigation being in public domain did not impact the imports as there has been a decline in imports of PUC during the POI.
- xxviii. Imports from the EU have significantly declined, i.e. from 33,782 kg in FY 2022-2023 to 26,906 kg in the POI.
- xxix. Demand of the subject goods in India increased in the POI as compared to the immediately preceding year by 11%.
- xxx. With regard to the volume effect, the imports from the EU declined despite an increase in demand. The Petitioner can cater to only 65% of the demand, whereby China's market share increased by 361% the market share of imports from the EU has declined by 40%. DSM Group has submitted that the imports have increased during the relevant period but also demand for the PUC has also increased in the domestic market. It further submitted that in FY 2022-23, the increase in imports was lower compared to the rise in demand.
- xxxi. Domestic sales of the Applicant increased by 56% during the POI as compared to the base year. Productivity per day of the Applicant increased by 74% during the POI as compared to the immediately preceding injury period. Inventory of the Applicant declined significantly by 43% during the POI as compared to the base year.
- xxxii. The Petitioner's claims of price effect are misleading. An increase in costs in the POI has led to losses, whereby the price injury claimed by the Petitioner is actually on account of costs.
- xxxiii. The sales increased in the POI in comparison to the immediately preceding years. Production increased in the injury period. Productivity, employment and wages have increased in the POI in comparison to the base year.
- xxxiv. Capacity utilization has decreased primarily due to the increase in capacity. The Petitioner's import dependency (on raw materials) has caused below par capacity utilization.
- xxxv. DSM's capacity has remained constant in the last 4 years and capacity utilisation is also very high. Further, the DSM Group has no plans to expand its capacity in the near future.
- xxxvi. The applicant is misusing the trade remedy measures for their own motive. Initial application was withdrawn and the applicant claimed that it intends to file afresh application seeking an appropriate remedy to the full extent of dumping and injury for a more recent period as the volumes from China have grown significantly and prices continue to drop.
- xxxvii. Similarly, the NHU Group has argued that the Petitioner appears to be leveraging the anti-dumping measures to mask the effects of their own restructuring, which may have disrupted production or operational efficiency.
- xxxviii. Further, BASF Group has alleged that in the earlier investigation the applicant claimed dumping margin and injury margin in the range of 100%- 120% and 60%-80% respectively while in the ongoing investigation dumping margin and injury margin has been claimed in the range of 100%- 120% and 80%-100% respectively.
- xxxix. It is amply clear from a comparison of the dumping and injury margin claimed in the earlier investigation and ongoing investigation that the reason claimed for the withdrawal of the application was misleading
- xl. The Authority is requested to analyse the reason for the withdrawal of the application.
- xli. The Petitioner has filed incorrect injury data. The Petitioner has claimed constant capacity during the entire period of injury in its application. On the contrary, the applicant claimed that its net fixed assets increased by 135% in the POI as compared to the base year. The applicant has wrongly reported the value of assets to claim abnormally high NIP.
- xlii. The reason for the significant increase in the capital employed despite constant capacity during the entire period of injury is revaluation (increase in value) of assets during corporate restructuring i.e., transfer of assets from PEL to the applicant.
- xliii. The domestic sales have increased by 54% (value terms) during the POI as compared to the base year while the exports sales (value terms) increased by 18% during the same period. However, the working capital increased significantly by 139% during the same period, which prima facie seems incorrect and misleading. It will abnormally increase the NIP and CNV.
- xliv. There has been no increase in the capacity of the Petitioner during the period FY 2020-21 to 2022-

- 23. It is submitted that a deeper investigation by the Authority into the reason for the increase in capital employed without a corresponding increase in capacity is warranted.
- xlv. Annual Report of Piramal Enterprises Limited shows that such fair valuation resulted in an increase of assets by 160%.
- xlvi. The effect of any increase in depreciation and cost of sales on account of revaluation of assets must be removed from all parameters of injury impacted due to revaluation.
- xlvii. Reasonable levels of working capital ought to be considered without the effect of revaluation due to a demerger.
- xlviii. The Authority must verify the revaluation of assets and liabilities in the books of PEL as the assets are transferred at fair values from PEL to the Petitioner.
- xlix. The Authority should verify if the Petitioner was required to provide the PUC prices to DPCO in order to enable it to determine prices under DPCO for downstream products using the PUC. The NIP of the Petitioner shall be restricted to such price to the extent the PUC is used in the manufacture of the products covered under the DPCO.
- 1. BASF argued that there was an accident at its plant in July 2024 in Germany. It has also been averred that the applicant has exploited the market (as there is a shortage of supply) and increased the prices of the PUC in the domestic market the Authority may call for sales records of the applicant to verify the same. It has further averred that this demonstrates the necessity to have multiple sources of supply.
- li. The Petitioner does not have the capacity to produce the PUC stabilized with Tocopherol.
- lii. The Authority should adopt ROCE earned by the industry when there was no allegation of dumping (as a reasonable profit margin) and not 22% ROCE.
- liii. BASF Group has submitted that the Preliminary Findings cannot be issued at a belated stage, i.e. 211 days.
- liv. It has further argued that anti-dumping duty may be imposed retrospectively only in cases there is a history of dumping or the exporter practices dumping and the injury is caused by massive dumping of an article imported in a relatively short time which in the light of the timing and the volume of imported article dumped and other circumstances is likely to seriously under-mine the remedial effect of the antidumping duty liable to be levied. It may be noted that in this present case, the imports from EU in POI declined drastically as compared to the previous year.
- lv. As per Global WITS Trade Information System, the import data considered by the Petitioner is deficient. The figures from the said third party source indicate that the quantity imported by India from China during the POI should be recorded as 39.5 tons. However, the petitioner claims an import volume of 69 tons, which is approximately 30 tons more than our data suggests. This discrepancy raises serious questions about the accuracy and reliability of the petitioner's data, particularly given that the petitioner relied on import data from private sources.
- lvi. Inaccurate data provided by the Petitioner undermines the credibility of the ratios related to import data and the petitioner's production or market demand. The petitioner has not supplied data on the number of local sales, making it impossible for us to accurately assess whether the decline in its market share is real and justified.
- lvii. The data shows that the price of raw materials imported by the petitioner has decreased while sales volume has increased. This implies that the petitioner's profits from the sale of the product in question should not be declining.
- lviii. The NHU Group has further argued that the Petitioner's production capacity trend over the previous three years has been notably stable. The decrease in production quantity observed during the investigation period cannot be definitively linked to imports of the products in question. Instead, this decline may be attributed to the company's own acquisition and merger plans, which could have led to adjustments in production strategies, as mentioned in Para 15- 17 of the written submissions filed by the Petitioner.
- lix. Additionally, external factors such as local adverse weather conditions, including flooding during the investigation period as referenced in Para 77 of the written submissions filed by the petitioner, may have further contributed to the reduction in production.
- lx. Furthermore, the assertion that profit margins have declined due to aggressive pricing from imports is unreasonable.

- lxi. Data shows that while prices of Indian imports have declined in recent years, the decreases are not particularly large. Additionally, when we compare Piramal's imported raw material prices, we observe a more significant decline, approximately by half, contrasting with the relatively minor reductions in the prices of the end products sold by the applicant.
- lxii. Given this disparity, the assertion that profit margins have declined due to aggressive pricing from imports is unreasonable. The substantial drop in raw material prices should have positively impacted the applicant's profitability, contradicting the claims of declining financial performance indicators.

G.2 Submissions made by the domestic industry

- 44. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link as well as the need for provisional duties on a retrospective basis:
 - i. The Domestic Industry has submitted in its application as well as communication filed on June 17, 2024, and July 12, 2024 that it has been suffering an increased and continuing injury due to dumped imports of the PUC from China PR, the European Union, and Switzerland. Given the same, on October 31, 2022, the Domestic Industry filed an application before the Hon'ble Designated Authority seeking anti-dumping duties on imports of the PUC from the subject countries. Upon a prima facie assessment of the same and being satisfied with the information provided, the Hon'ble Designated Authority initiated the anti-dumping investigation on December 29, 2022 ("Previous Investigation").
 - ii. However, during the said investigation's pendency, the import volumes from China PR grew significantly, and the prices continued to drop. This, in combination with relentless dumping from other countries, cumulatively injured the Domestic Industry more egregiously.
 - iii. To seek an appropriate remedy to the full extent of dumping and injury for a more recent period of investigation ("POI") i.e., October 2022 to September 2023, the Domestic industry, on January 17, 2024, filed a request to terminate the Previous Investigation. Subsequently, on January 31, 2024, the Domestic Industry filed a fresh petition to seek an appropriate remedy against the full extent of dumping and injury. In the interim, on February 9, 2024, the Hon'ble Designated Authority issued a termination notice based on the Domestic Industry's request dated January 17, 2024. Subsequently, upon being satisfied *prima facie* with the evidence on record in the application dated January 31, 2024, the Hon'ble Designated Authority initiated the Subject Investigation.
 - iv. There is significant dumping. The Domestic Industry has suffered material injury due to dumped imports in the injury period.
 - v. The injury analysis is undertaken on a cumulative basis, and therefore arguments of the aforesaid producers concerning the imports/market share separately from each subject country ought to be rejected.
 - vi. The volume of imports from the subject countries has increased in absolute terms in the injury period. The volume of imports from the subject countries in relation to the production of the Petitioner and demand have increased. The Petitioner has also lost orders from several customers in India on account of cheap prices offered by foreign exporters and/or importers of the PUC.
 - vii. The gap between demand and supply is irrelevant in an anti-dumping investigation as held by the

Hon'ble Gujarat High Court in the matter of Nocil Limited vs. Union of India & Ors.

- viii. The imports from the subject countries come at prices below the domestic selling price of the Petitioner, thus, heavily undercutting the selling price and injuring the Petitioner. These declining prices led to an increase in losses suffered which are directly attributable to low-priced imports from the subject countries.
- ix. The Petitioner continues to suffer injury on account price suppression in most of the injury period including the POI.
- x. It is an established legal principle that an existence of material injury does not require negative trends with respect to every economic parameter. Therefore, the fact that some injury parameters may not show a negative trend does not ipso facto mean an absence of material injury.
- xi. The sales and production remain far below the potential of the Petitioner since significant capacities remain idle on account of dumped imports from the subject countries.
- xii. It is pertinent to note that an increase in productivity implies that injury suffered by the Petitioner cannot be considered self-inflicted on account of inefficiencies. That said, despite the Petitioner's productivity and efficiency, the Petitioner is suffering an injury on account of dumped and injurious imports. The number of employees remained far below the potential.
- xiii. Capacity utilization has decreased on account of dumped imports. In addition, the capacity utilization remains far below the potential of Domestic Industry. Further, there were no constraints (such as raw material shortages) on the operations of the Petitioner concerning the PUC, whereby import dependency on raw materials has no correlation to the Petitioner's capacity utilization.
- xiv. The Petitioner would like to clarify that the NFA and working capital report are basis the allocation for the PUC made on production value. Hence, there is no abnormality in the reporting or the increasing trend of these figures. Further, none of the claimed figures pertaining to net fixed assets, working capital, or depreciation have been affected in the injury period due to the revaluation or demerger.
- xv. The Domestic Industry has made losses in terms of both PBIT and cash profits throughout the injury period. The losses in terms of PBIT increased from (100) in the base year to (196) in the POI. Additionally, the cash losses increased from (100) in the base year to (195) in the POI.
- xvi. Besides material injury being suffered by the Domestic Industry, there is a threat of material injury to the Domestic Industry.
- xvii. Given the above, a recommendation of provisional duties is warranted in the Subject Investigation. Indeed, the Hon'ble Designated Authority in the recent preliminary findings has recommended provisional duties wherein the cash losses suffered by the domestic industries in those respective investigations was not nearly as egregious as the Domestic Industry's losses in the present investigation. Thus, this is an appropriate case for interim duties.

xviii. The present investigation also warrants imposition of duties on a retrospective basis under Rule 20 (2) of the AD Rules.

G.3 Examination by the Authority

- 45. Rule 11 of Anti-dumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles...". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude, and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.
- 46. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

Cumulative assessment of injury

- 47. Article 3.3 of the WTO agreement and para (iii) of Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
 - i. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two per cent expressed as a percentage of export price and the volume of the imports from each country is three per cent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three per cent, the imports collectively account for more than seven per cent of the import of like article, and
 - ii. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
- 48. The Authority notes that both the volume of imports and dumping margins from the subject countries are above the *de minimis* limits prescribed under the AD Rules.
- 49. In order to ascertain whether cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles, the following parameters have been examined:
 - i. Products supplied by different parties are like articles and are comparable in properties.
 - ii. Consumers are using imported products interchangeably.
 - iii. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the imports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

- 50. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effect of dumped imports of the subject goods from China PR, Switzerland and EU on the domestic industry.
- 51. With regard to the averment that overlap in the POI and the previous year renders any comparisons between these periods misleading and inaccurate, it is well settled that there can be an overlap between the POI and the previous year. The Domestic Industry has provided data to the Authority for the POI and three previous financial years in consonance with requirements laid down in Trade Notice No. 02/2004.
- 52. Additionally, with regard to the other interested parties' submission that "as a result of an accident at its plant on July 29, 2024 in Germany, the applicant has exploited the market (as there was a shortage of supply) and increased the prices of the PUC in the domestic market and the Authority may call for sales records of the applicant to verify the same", the Authority does not consider it appropriate in the circumstances of the case to assess the volume effect, price effect or impact on economic parameters in post POI period.
- 53. As regards injury and causal link, the Authority has examined the effect of dumped imports on the state of the domestic industry in the paragraphs below.

G.3.1 Assessment of demand / apparent consumption

54. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product concerned in India as the sum of the domestic sales of the domestic industry and other Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Sales of applicant	KGS	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	122	156
Subject imports	KGS	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	209	248	227
Other imports	KGS	-	-	-	-
Trend	Indexed	-	-	-	-
Demand	KGS	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	147	180	189

55. It is noted that total demand in the POI has increased in comparison to the previous years.

G.3.2 Volume effect of imports from subject countries

56. With regard to the volume of the imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transactionwise import data procured from DG Systems.

a) Absolute increase in the imports

57. The import volumes of the subject goods from the subject country during the injury period and in relation to the production of the domestic industry and demand of the subject goods are as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Subject imports	KGS	39,581	82,783	98,060	89,717

China	KGS	7,480	9,000	33,505	39,500
- "		7,400	7,000	33,303	37,300
European Union	KGS	16,805	11,573	17,634	27,706
Switzerland	KGS	15,296	62,210	46,921	22,511
Other Countries	KGS	-	-	-	-
Total imports	KGS	39,581	82,783	98,060	89,717
Production	KGS	***	***	***	***
Production – Trend	Indexed	100	116	146	174
Subject import in relation to:			•		
Total imports	%	100	100	100	100
Production	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	181	170	131
Consumption	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	142	137	120

58. It is seen that –

- i. The imports from subject countries in relation to production of the Domestic Industry has increased in the POI from the base year.
- ii. The imports from the subject countries in relation to consumption have increased in the POI from the base year.
- iii. The imports from the subject countries in absolute terms have also increased during the same period. It is also noted that the subject imports have grown at faster pace than the growth in demand as well as domestic industry's sales during the injury investigation period.

G.3.3 Price effect of the dumped imports

59. In terms of Annexure II (ii) of the Anti-Dumping Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a) Price undercutting

60. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the imports for the period of investigation. It is seen that the price undercutting is positive and significant during the period of investigation.

Particulars	Unit	POI
Net selling price	₹/KG	***
Landed Price	₹/KG	***
Price undercutting	₹/KG	***
Price undercutting	%	***
Range	Range	10-20%

61. It is noted that during the period of investigation, the subject imports were undercutting the prices of the domestic industry. Further, the price undercutting was significant.

b) Price suppression/depression

62. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in the normal course, the Authority has examined the changes in the costs and prices of the domestic industry over the injury period, as below.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Cost of Sales	₹/KG	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	123	122	119
Selling Price	₹/KG	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	102	98
Landed Price	₹/KG	6,102	5,863	5,390	5,230
Trend	Indexed	100	96	88	86

- 63. It is noted that except base year, the landed value of the imports was below the selling price of the domestic industry in the injury period including the POI.
- 64. The prices of imports have also reduced and were much below the cost of sales of the domestic industry in the injury period (except base year). This prevented the domestic industry from increasing its price in line with the increase in cost. It is, therefore, noted that the imports have prevented price increases, which otherwise would have increased.

G.3.4 Economic Parameters of the domestic industry

65. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

ii) Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

66. The performance of the domestic industry with regard to capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period were as below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Installed Capacity – PUC +		***	***	***	***
NPUC	KGS				

Trend	Indexed	100	100	100	128
Production – PUC + NPUC	KGS	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	92	78
Capacity Utilization – PUC + NPUC	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	92	61
Production – PUC	KGS	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	146	174
Domestic Sales – PUC	KGS	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	122	156
Export Sales – PUC	KGS	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	73	86	158

67. The Authority notes that the: -

- i. The interested parties have averred that there has been an increase in capacity of the Domestic Industry. The Authority notes that the capacity indicated in the table above can be utilized for producing both the PUC and non-PUC.
- ii. Capacity utilization has decreased during the injury period.
- iii. As regards domestic sales and production, the same have increased. However, the same remains far below the growth of demand, imports and the potential of the Petitioner.

iii) Market share

68. Market share of the domestic industry and of imports have been examined in the table below:

Market share	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Domestic industry	%	***	***	***	***
Domestic industry	%-Indexed	100	64	68	83
Subject imports	%	***	***	***	***
Subject imports	%-Indexed	100	142	137	120
Other Imports	%-Indexed	-	-	-	-

69. The Authority notes that despite being the sole producer of the subject goods in India and having the capacity, the share of the domestic industry in the Indian market is only ***%. The imports from the subject countries have continued to dominate the Indian market throughout the injury period with a ***% share during the period of investigation.

iv) Inventories

70. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Opening Inventories	KGS	***	***	***	***
Closing Inventories	KGS	***	***	***	***
Average Inventories	KGS	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	287	57

71. It is noted that the average inventories have decreased in the POI in comparison to the base year.

v) Profitability, cash profits and return on capital employed

72. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period are given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Cost of sales	₹/KGS	***	***	***	***
(domestic)					
Trend	Indexed	100	123	122	119
Selling price	₹/ KGS	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	102	98
Profit/ (loss)	₹/ KGS	***	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	-278	-390	-408
Profit/ (loss)	₹ Lacs	***	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	-262	-477	-638
Cash Profit	₹ Lacs	***	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	-151	-299	-402
Cash Profit	₹/ KGS	***	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	-161	-244	-257
ROCE	%	***	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	-281	-264	-263

73. It is noted that that:

- i. Except base year, the domestic industry has incurred losses throughout the injury period.
- ii. More specifically, except base year the applicant has incurred cash losses as well as negative return on capital employed during the injury period including period of investigation.
- 74. The other interested parties have averred that the increase in the capital employed, net fixed assets and working capital, depreciation and cost of sales is on account of revaluation of assets and purchase of new assets, if any. The Authority has verified the figures reported by the Domestic Industry and has eliminated the impact of revaluation as per rules, on the injury parameters assessed in these findings.
- 75. The interested parties have also averred that an increase in working capital is either incorrect or misleading, whereby the Petitioner has abnormally increased the NIP, and the normal value constructed. The Authority notes that pursuant to an on-site verification of the petitioner and examination of the claim of the domestic industry as per rules, the Authority has eliminated the impact of revaluation as per rules. The NIP and Normal Values have thus been determined based on the principles prescribed under the Anti-dumping Rules.

vi) Employment, productivity, and wages

76. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI	
					1	

No. of employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	112	112
Salaries & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	125	168	206
Productivity per day	MT/Days	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	146	174
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	130	154

77. It can be seen that:

- i. The productivity per day increased in the POI in comparison to the base year.
- ii. The number of employees remained in the same range during most of the injury period.

• • \	
X 711 1	Growth
VIIII	t +rowin
111/	GIOWEI

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Sales Price	INR/KGS	***	***	***	***
Sales Price	Y/Y		***	(***)	(***)
Duofit/(Loss)	INR/KG	***	(***) (***)	(***)	(***)
Profit/(Loss)	Y/Y		(***)	(***)	(***)
Morlot Chara (0/)	%	***	***	***	***
Market Share (%)	Y/Y		(***)	*** (***) (***) (***)	***
Cools Durafit (IND/I/C)	INR/KG	***	(***)	(***)	(***)
Cash Profit (INR/KG)	Y/Y		(***)	(***)	(***)
DOI	%	***	(***)	(***)	(***)
ROI	Y/Y		(***)	***	***

78. It is seen that the growth of the domestic industry continues to be either negative or negligible in terms of profits, market share and ROI.

viii) Impact on the ability to raise capital investment

79. The applicant has submitted that it has incurred steep losses and is facing negative returns. The Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBIDTA) has continuously deteriorated over the injury period and remained negative. The applicant has further submitted that the negative EBIDTA shows that the domestic industry is not earning enough to even meet its present obligations and there is a negative impact on the ability to raise capital investment.

ix) The magnitude of dumping

- 80. The margin of dumping may be an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry. The dumping margin is positive for all countries
 - 81. In addition to material injury, it is seen that there is a threat of material injury to the Domestic Industry. The imports of the PUC from the subject countries have increased throughout the injury period. As per the questionnaire responses placed on record by the producers from the subject countries, it is noted that the rate at which such producers' exports are increasing is significantly higher than their domestic sales. Domestic industry has submitted that the producer from the EU, BASF increased its capacity by ***% to

produce Vitamin A. Lastly, there is substantial price suppression on account of the dumped and injurious imports from the subject countries.

H. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

B.1.2 H.1 Submissions made by other interested parties

- 82. Various interested parties have made following submissions:
 - i. The Petitioner was using inherently inefficient machinery and equipment and that the same is evident from the decline in the production of NPUC in the POI in comparison to the previous years.
 - ii. Disruption in the supply chain and volatility in raw material costs are the cause of injury and the applicant itself has stated that several governments have restricted the export of pharmaceutical products or inputs essential for manufacturing sales during the pandemic. The interested parties also averred that the high import dependency has led to below par capacity utilization, high cost and losses. The interested parties further averred that FY 2020-21 and FY 2021-22 experienced lockdowns and significant market disruptions which has further skewed the data.
 - iii. Since PPL imported Vitamin-A Acetate from suppliers of the subject goods itself, it is reasonable to believe that such suppliers of subject goods will have some material advantages over the applicant, which cannot be seen as a case of price discrimination by way of alleged dumping of subject goods.
 - iv. Injury to the Petitioner is due to the manufacturing process adopted by the Petitioner i.e., producing the PUC from an intermediate stage and not from a basic stage.
 - v. PPL uses the subject goods (to the tune of ***-***%) produced by it in its other downstream products including in its plant at Hyderabad which is an EOU, and the claims of injury must be examined keeping in view the intercompany transfers/captive uses of the subject goods. They have further argued that, if the Petitioner prioritizes captive consumption, the shortage and consequent impact of the PUC will be catastrophic.
 - vi. Applicant's significant capacities remain idle in the POI. Accordingly, it is clear that the applicant is suffering on account of its mismanagement and over capacity

B.1.3 **H.2** Submissions made by the domestic industry

- 83. The domestic industry has made following submissions:
 - i. Several products including the PUC are produced at Digwal and Mahad plants, and the production of the NPUC is contingent on the demand and supply of the same.
 - ii. During the POI, there were no such constraints (such as raw material shortages, power shortages, tax, capacity/investment constraints, etc.) on the operations of the Petitioner concerning the PUC. PPL sources the raw material Vitamin-A Acetate from BASF at a price agreed upon under a contract, which has been in place since the injury period, and thus far, there has been no disruption in the supply of raw materials to PPL. Consequently, there is no question of high costs or low-capacity utilization for producing the PUC on account of high import dependency the low-capacity utilization as elaborated in relevant sections herein is on account of dumped imports. It is surprising that BASF is

- making claims of disruption in raw material supply when it is itself the sole supplier of the raw material i.e., Vitamin-A Acetate to PPL.
- iii. While the producers from the subject countries may be backward integrated, the facts remains that they are engaging in dumping in India.
- iv. PPL is required to be seen as it exists (i.e., PPL is suffering an injury due to dumped imports irrespective of whether it is engaged in backward integration or producing the PUC from the intermediate stage) and hence, the other parties' submissions should be rejected.
- v. Regarding the demand for the PUC, the Petitioner submits that it has gone up. However, the Petitioner despite having the capacity to produce has not been able to get the benefit of the increase in demand, which has been completely subsumed by dumped imports of PUC from the subject countries.
- vi. Capacity utilization has decreased on account of dumped imports. Particularly, the capacity utilization remains far below the potential of Domestic Industry.

H.3 Examination by the Authority

- 84. As per the Rules, the Authority, *inter alia*, is required to examine any known factors other than dumped imports which are injuring to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports.
- 85. **Volume and value of imports from third countries:** The Authority notes that there are no imports of the product under consideration from non-subject countries in the injury period.
- 86. <u>Contraction in demand</u>: It is noted that the demand for the PUC has gone up. Thus, contraction in demand is not the source of injury.
- 87. **Pattern of consumption:** It is noted that there has been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.
- 88. Conditions of competition and trade restrictive practices: The Authority notes that there is no evidence of conditions of competition or trade restrictive practices that are responsible for the claimed injury to the domestic industry.
- 89. **Development of technology:** The Authority notes that there has been no change in technology for the production of the subject goods that could have caused injury to the domestic industry. No submission regarding technological differences have been properly substantiated by the interested parties.
- 90. **Productivity:** The Authority notes that the productivity of the domestic industry has increased over the injury period. Therefore, the domestic industry has not suffered injury on this account.
- 91. **Export performance of the domestic industry:** The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.
- 92. **Performance of other products:** The Authority has only considered data relating only to the performance of the subject goods. Therefore, the performance of other products produced and sold is not a possible cause of injury to the domestic industry.

- 93. High conversion costs due to manufacturing process: With regard to the contention that the injury to the Domestic Industry is due to the manufacturing process adopted by the Domestic Industry i.e., producing the PUC from an intermediate stage and not from a basic stage, the Authority notes that a domestic industry is required to be seen as it exists i.e., it is suffering injury irrespective of whether such industry is engaged in backward integration or not.
- 94. The Hon'ble CESTAT in Nippon Zeon Co. Ltd. v. Designated Authority, has held that "[t] the question of injury to domestic industry cannot be decided by assuming ideal conditions, but has to be decided on prevailing conditions though giving reasonable adjustments." 16
 - 95. The other interested parties have averred that the increase in the capital employed, net fixed assets and working capital, depreciation and cost of sales is on account of revaluation of assets and purchase of new assets, if any. They also averred that an increase in working capital is either incorrect or misleading, whereby the Petitioner has abnormally increased the NIP and the normal value constructed and also, effect of revaluation must be excluded in evaluating the injury parameters. Pursuant to an on-site verification of the petitioner, the impact of revaluation on depreciation has been eliminated. The Authority also notes that the revaluation has not affected the claimed figures of working capital and NFA. Accordingly, there is no impact of revaluation on other economic parameters of the Domestic Industry. The NIP has also been determined based on the principles prescribed under the Anti-dumping Rules.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

- 96. The Authority has determined non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Anti-Dumping Rules read with Annexure III. The non-injurious price has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses are charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Anti-Dumping Rules. The NIP so determined has been considered for calculating injury margin.
- 97. The landed price for the cooperative exporters has been determined on the basis of the data furnished by the exporters. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on the facts available.
- 98. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

Injury margin

Sr.	Name of the Producer	NIP	Landed Price	Injury	Injury	Injury
No.		(USD/KG)	(USD/KG)	Margin	Margin	Margin
				(USD/KG)	(%)	(Range %)
A	China					
1	Shangyu NHU Bio-	***	***	***	***	20-30%

¹⁶ Nippon Zeon Co. Ltd. v. Designated Authority, 1996 (88) ELT 569 Tri Del.

	Chem Co., Ltd.						
2	Others	***	***	***	***	35-45%	
В	Switzerland						
3	DSM Nutritional	***	***	***	***	0-10%	
	Products Limited					0-10%	
4	Others	***	***	***	***	5-15%	
C	European Union						
5	Any producer	***	***	***	***	15-25%	

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

J.1 Submissions made by other interested parties

- i. The other interested parties made the following submissions with regard to the Indian industry's interest.
- ii. Any imposition of the duty will increase our costs and that of the downstream users who use vitamin A in their foods and beverages. The fortification of rice, milk etc. not being compulsory under the present regulations will impact the overall use of Vitamin A which can lead to nutritional deficiencies in foods and beverages. Hence, any potential ADD can have a major impact on the operations of DNP Indian and downstream users of premixes.
- iii. The petitioner imports Vitamin A in Acetate form and merely converts it into Palmitate form. Unlike DSM group, the petitioner is not a producer of the PUC from the basic stage but just a processor who converts vitamin A from one form to another. The Indian market cannot be dependent on a processor of PUC especially in a product which has wide application in nutritional industry.
- iv. The import of the Vitamin-A Palmitate already suffers a basic customs duty of 7.5% along with the social welfare surcharge of 10% thereon. The imposition of the ADD on top of the existing basic customs duty will considerably impact DNP India's competitiveness and make the PUC market anti-competitive & monopolistic in nature as the market shall become dependent on the petitioner who is merely a processor of PUC
- v. In case the Petitioner decides to prioritize captive consumption over the requirements of the downstream users, the shortage and consequent impact of the PUC will be catastrophic. This likelihood gets worse in case the market turns monopolistic due to the imposition of the ADD.
- vi. In addition, we understand that Petitioner's Digwal unit is an Export Oriented Unit (EOU) which exports the PUC / other downstream products which will also constrain the availability of PUC to users in India given that Petitioner is the sole processor of PUC in India.
- vii. DNP India is not earning any profits on the sales of premixes. Any increase in the cost of the PUC shall put further strain on the finances of premix business leading to cost increases on downstream users.
- viii. India is the largest exporter of the generic pharmaceuticals. Many of these pharmaceutical products use the PUC as an input. Any imposition of the ADD shall make their products costly and render them uncompetitive in the international markets.
- ix. The Petitioner is the sole producer of the PUC and does not have sufficient capacities. The imposition of

duty will create a monopolistic situation as well as create scarcity for the PUC, thereby directly affecting the health of the public at large.

- x. Any increase in the costs of the PUC due to the imposition of the duties shall invariably affect the overall costs of not only the premixes which DSM India manufactures but also of the products that are manufactured by end users of premixes. Any increase in the costs of premixes will drive away the users from voluntary fortification of the foods and beverages thereby impacting the nutritional needs of the common public.
- xi. The PUC is widely used in the pharmaceuticals, cosmetics, health supplements and personal care segments and the levy of duties will render the players in these segments uncompetitive or even push them to suffer losses.
- xii. Some of the products using the PUC as input are subject to DPCO and the imposition of duties will affect the downstream industries adversely since they will not be in a position to increase the prices correspondingly.
- xiii. The Authority must take into consideration the country-wide effects of duties on the PUC.
- xiv. The NHU Group has claimed that the imposition of anti-dumping measures will adversely affect the public interest in India. The Petitioner's assertion that the cost increase for intermediate products will be less than 0.5% does not adequately reflect the complexities of market dynamics. In reality, an additional duty of 10% on the product in question is likely to result in a more significant increase in costs for downstream products than the percentage claimed by the Petitioner.

B.1.4 J.2. Submissions by the domestic industry

99. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

- i. The PUC is used in a wide variety of intermediate products falling under various sectors, including food, cosmetics, and pharmaceutical industries.
- ii. It is submitted that the contribution of the PUC in the intermediate products differs depending on the consuming sector.
- iii. The capacity to produce the PUC and the low-capacity utilization in the injury period is due to dumped imports.
- iv. If PPL is the sole producer of the PUC, it does not imply that PPL intends to or will create a monopoly. Even assuming that there is a monopoly, it is not a concern under the Indian competition laws, unless there is an abuse of monopoly, which PPL is not engaged in. That said, PPL is not barred from seeking an anti-dumping duty. The Petitioner submits that the purpose of anti-dumping duty is to neutralize the adverse effects of unfair trade practice of dumping. The imports of the PUC would not be prohibited through anti-dumping duties, rather the Petitioner and the imports would compete on a level playing field.
- v. Based on the information available with the Petitioner, the imposition of the anti-dumping duty on the PUC will not significantly affect the cost of the downstream product and the costs and prices of the final end product. The imposition of about ***% duties on the PUC has less than ***% impact on the

cost of the end product i.e., premixes.

- vi. The levy of anti-dumping duty on the PUC has only a minuscule impact on the costs of the end products. That said, customers sell end products (produced using the PUC) under the Rx (prescription-based) route or under the OTC/FSSAI/nutraceutical route. There is no price cap should the end products be sold under the OTC/FSSAI/nutraceutical routes, whereas there is a price cap on a product to be sold under the Rx route. As per PPL's market intelligence, the end products sold under the DPCO are very insignificant.
- vii. There are no users (other than a related importer cum user i.e., DSM India) on record.

B.1.5

B.1.6 **J.3. Examination by the Authority**

- 100. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. The imposition of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject countries arbitrarily. Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field. The Authority acknowledges that the persistence of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the continuation of these measures. Far from diminishing competition, the imposition of anti-dumping measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. It safeguards the consumers' access to a broad selection of subject goods. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.
- 101. The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. An Economic Interest Questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including the domestic industry, producers/exporters importers/users/consumers to provide relevant information concerning the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations. The Authority notes that no user of the subject goods has stepped forward to participate before the Authority or furnished a response to the Economic Interest Questionnaire. Furthermore, no party has presented any evidence to indicate the adverse effect of the duties in force. With regard to DNP India i.e., a related importer of DNP AG, the Authority notes that it has filed an economic interest questionnaire, wherein it has stated the impact of the duties on its costs. The Domestic Industry has presented detailed calculations to show that the imposition of an anti-dumping duty would have a negligible (under ***% on a ***% duty) impact on the user industry including the costs of end products i.e., premixes.

K. POST-DISCLOSURE COMMENTS

K.1 Views of the other interested parties

- 102. The following submissions have been made by other interested parties:
 - The Authority is requested to provide a specific finding on actual value addition from Vitamin-A Acetate to produce the PUC since the applicant talked about 40% value addition.
 - ii. K. Sevantilal requested that the delay of one day be condoned as it occurred inadvertently and due to judgement error in noting the deadline set by the Authority.
 - iii. The indexed trend of the profit before tax at paragraph 71 of the disclosure statement shows that it has moved from (278) in 2021-22 to (408) in the POI, which is a sharp decline.

However, the return on capital employed in the same period has increased 18% from (281) to (263). There appears to be a mismatch in the trend of profit before tax and the return on capital employed and it may be checked.

- iv. Injury parameters show that injury claimed is only in price parameters and not in term of volume parameters, including the employment level.
- v. The Applicant's margin concerns are due to their dependence on imports for raw materials, whereas exporters have the advantage of being integrated from the raw material stage. Thus, the cause of injury cannot be the alleged dumping of the PUC, but the incompetent business model dependent on imports of raw material from the subject countries.
- vi. The dumping and injury margin determined by the Authority appear excessive. If such high percentages are converted into anti-dumping duties, then the users, even though users are not before the Authority, will suffer, leading to distress. Therefore, a reference form of duty may only be considered as that will help address a shortage in supply of the raw material by the applicant fairly and not require users to pay a fixed quantum of duty even when there is short supply of the material in India.
- vii. The non-confidential summaries of the essential data concerning prices and their evolution, calculations of normal value, alleged dumping calculations provided by the Authority are insufficient. The Authority has not even provided normal value in the form of indexes. Further, no explanation is provided as to why it was not possible to summarize or present the data in an indexed form, for example.
- viii. The Applicant makes excessive use of confidentiality, thus depriving the parties of their rights of defence. The investigating authority should correct this irregularity and provide meaningful non-confidential summaries of the information provided in confidence to the parties.
 - ix. Data provided in the application and disclosure statement shows that total imports from the countries concerned appear to have increased in absolute terms. However, this has not been analyzed in light of the fact that no imports of the PUC from any other country have entered into India since 2020, and the applicant only covers 65% of the growing demand. The accuracy of the application is questionable as there is a discrepancy between the import data provided by the applicant and the data provided by the Authority. The Applicant grossly overestimates volume of imports from EU by up to 54% and the total imports entering the Indian market by up to 25%.
 - x. The application and the disclosure statement only allege significant price undercutting in the range of 10 to 20 % during the injury period. No further information, like undercutting per country of origin, is provided.
 - xi. Other factors could be analyzed for the affect of unfavorable developments for the applicant in the POI, particularly the increase in the costs in the POI.
- xii. The Applicant has increased production of the PUC but is unable to meet the increasing demand. Therefore, this inability to fulfil domestic demand resulted in increase of imports to fill the gap.
- xiii. The Applicant continuously restructured its 'pharma business' operations, and the associated restructuring costs impacted net income, which explains the negative developments in profitability.

- xiv. It does not matter if the ester is an Acetate or Palmitate or Propionate as Acetate/Palmitate is ultimately chopped off and it is only Vitamin A (Retinol) which is absorbed in the body. The chain of carbon in ester does not make any change to the functionality of the main molecule Retinol.
 - xv. Production of Vitamin A Acetate from its basic raw materials involves a complex and technology driven twenty steps process starting from the basic ingredients. On the other hand, conversion of Retinyl Acetate to Retinyl Palmitate is a mere change of one form (or ester) of Vitamin A to another form (or ester) of Vitamin A through a simple process of transesterification wherein the Acetate ester of Retinol is replaced by the Palmitate ester forming the PUC.
- xvi. The Hon'ble CESTAT in *Oswal Wollen Mills Ltd. vs. Designated Authority*, (2000) 118 ELT 275 decided that if a product is easily convertible and such a fact is also recognized by exporters, then the products are "like products".
- **xvii.** The Authority has completely ignored considering the evidence and material provided that there is no direct import or use of Vitamin A Acetate in applications similar to Vitamin A Palmitate.
- xviii. There are indeed actual imports of Vitamin A Acetate by many importers in India including the DSM Group, BASF India Limited and several others including but not limited to Divis Laboratories Ltd, DSM Nutritional Products India Private Limited, Hexagon Nutrition Exports Pvt Ltd etc. These companies/entities are importing the Vitamin A Acetate and using it for the purposes of preparation of premixes for food fortification, tablets, drugs and food products and dietary supplements.
 - xix. It has been widely recognized that both Vitamin A Acetate and the PUC are used technically and commercially interchangeably and are often employed for the same purpose i.e. for fortification of foods like oil, milk, wheat flour (atta and maida) etc. and manufacture of cosmetics, tablets and drugs and dietary supplements. This is even recognized by the Government of India in terms of its Food Safety Regulations which were entirely ignored by the Authority in arriving at its observations.
 - xx. From the product/safety data sheets of BASF, it can be inferred that various compositions of Vitamin A Palmitate and Vitamin A Acetate are used in similar applications relating to fortification and dietary supplements.
 - xxi. The Food Safety and Standards (Health Supplements, Nutraceuticals, Food for Special Dietary Use, Food for Special Medical Purpose, and Prebiotic and Probiotic Food) Regulations, 2022 under Schedule I dealing with "Nutrients (vitamins, minerals, amino acids and other nutrients)" at serial no 1 clearly provides that Retinyl acetate and Retinyl Palmitate are permitted forms of Vitamin A under the regulations.
- xxii. Petitioner is an importer of a like product, Vitamin A Acetate, which is another form of Vitamin A with same end uses and technically and commercially substitutable to the Vitamin A Palmitate. Petitioner is merely converting the imported Vitamin A Acetate to PUC. Both Vitamin A Acetate and the PUC are nothing but different esters of Vitamin A molecule and are therefore "like articles" to each other. Hence, the Petitioner is ineligible to be regarded as 'domestic industry' under Rule 2(b) of the AD Rules.
- xxiii. Mere high value addition in Petitioner's books for the conversion (of the Vitamin A Acetate to PUC) is not a criteria to judge the likeness of the articles under the AD law.

xxiv. The high cost of value addition by the Petitioner may be contributed due to its own internal inefficiencies in the manufacturing process employed by the Petitioner.

103

- xxv. It cannot be accepted as a general rule that the value addition from Vitamin A Acetate to the PUC is very high only on the basis of the Petitioner's cost who is a mere converter of Vitamin A from one form to another.
- xxvi. Authority must provide in a non-confidential manner as to how much impact the Authority removed on account of revaluation for us to provide any comments in this regard. Without prejudice, any impact of revaluation of assets on the cost structure must be removed for calculating the NIP as well for injury analysis.
- Authority has disregarded DSM group submission dated 3 February 2025 ("Additional Submission") for determination of Normal Value. DSM group had explained in Additional Submissions that they had already placed on record country wise quantity and value of PUC sold by DSM group to third party external customers or used as part of the premix sold to third party external customers in all the third countries during the POI. The Authority is requested to consider the principles highlighted in Additional Submission and facts while selecting the appropriate third country (Indonesia or Bangladesh based on comparable volumes and markets) as the normal value may be constructed on the basis of comparable representative export price of the like article produced and sold by DNP AG for sales to an appropriate third country. Once the Authority selects the appropriate third country, DSM group will provide the details of other adjustments on a transaction wise basis for determining the normal value.
- xxviii. The Authority disclosed the cost of production (COP) as Euros ***/kg whereas in the EQR that was submitted by DSM group cost of production at ex-factory level is Euros ***/kg. If any adjustments have been made to the COP, the Authority is requested to share the details of those adjustments.
- xxix. The Authority must recompute the profitability by taking the revised and adjusted COP as calculated by the Authority and then arrive at the profitability percentage for calculating the normal value. Otherwise, there will be double jeopardy and prejudice to the Respondent if the COP taken for normal value calculations is revised (increased) but the profitability taken for the same normal value calculations is based on original/old COP.
- xxx. The increase in imports has taken place in order to cater to the expanded market for the PUC owing to the increase in demand of the PUC in the domestic market. The reason for an increase in imports of PUC in the FY 2021-22 was the higher intake of Vitamin A by public for boosting the immunity to fight against the onslaught of COVID-19 pandemic.
- xxxi. The import with respect to demand in the market had declined from 146 index points to 142 index points in FY 2022-23. For POI, the imports have declined in POI as compared to the previous year FY 2022-23 whereas the demand in the market continued to increase even in the POI from the previous year.
- xxxii. Price undercutting was only because the domestic industry is unable to sell the product at reasonable international prices given that their cost of production is abnormally high due to reasons last stage conversion and revaluation of assets. Domestic industry's cost of production is high only due to its own commercial reasons of stopping the production from base raw materials in 2010 and undertaking only the last leg conversion of one form of Vitamin A to other. As a result, the Petitioner is unable to compete with producers in the World.

xxxiii.

There has been a constant increase in production of the Petitioner on a year-to-year. Even though there was a slight decline in FY 2021-22, there has been an overall increase in domestic sales continuously in the last three years including the POI. Capacity utilization in during the injury period has been consistent. The decline in the capacity utilization during POI is due to the reason that there was an increase in total capacity

xxxiv.

The increase in the capital employed, net fixed assets and working capital, depreciation and cost of sales is both on account of revaluation of assets because of demerger in the previous year and purchase of new assets, if any The reasonable levels of working capital ought to be considered without the effect of revaluation due to demerger. Further, the revaluation of fixed assets due to the demerger ought to be disregarded. Accordingly, capital employed shall be calculated without the effect of revaluation of both the fixed assets and working capital

xxxv.

There is no injury in terms of number of employees and productivity per day as number of employees have stabilized in the injury period and productivity has increased.

xxxvi.

DSM group is not dumping the PUC to India because it sells the PUC at a profit commensurate with the market conditions in a similarly placed third country. There is also no threat of material injury to the petitioner with respect to the DSM group, as capacity has remained constant in the last 4 years, the capacity utilisation is also very high, and there are no expansion plans in the near future.

xxxvii.

Injury is due to other factors. The manufacturing and the production process adopted by the Petitioner leads to inefficiencies and increases the cost. Also, high raw material cost incurred by the Petitioner also leads to the losses suffered by it. Further, the higher conversion costs due to higher depreciation cost as a result of upward revaluation pursuant to demerger, and impact of floods in Raigad on the Petitioner's factory located in Mahad have also impacted the Petitioner.

xxxviii.

The Authority has not considered factors outlined previously, including increase in cost of downstream products such as premixes; discouragement of fortification of foods leading to health emergencies thereby gravely affecting pharma industry; market monopolization due to the imposition of duties.

xxxix.

The Domestic Industry has been misusing the extraordinary remedy provided through trade remedial measures since 2003. Duties have been sought five times and duties are in existence since 2003. Therefore, it is clear that the applicant is suffering the injury on account of its inefficiency and mismanagement and not on accounts of imports. The Authority is requested to not allow the same.

- xl. Import data provided in the application with respect to imports from the EU is different from the import data taken into consideration in the disclosure statement. This shows that the applicant has filed misleading and incorrect information to provide non-existent injury
- xli. The Applicant has not suffered injury or threat of material injury on account of imports from the EU. This is because the production, domestic sales, productivity have increased and the inventory declined.
- xlii. Other factors that have afflicted injury on the applicant are: decline in the production of the non-PUC manufactured in the common plant and machinery, use of inefficient equipment, dependence on imported raw materials as the applicant is entirely dependent on imports for raw materials, existence of overcapacity, and mismanagement, as despite duty protection since 2003, the applicant has been suffering from losses.

- xliii. Imposition of the duty will result in a monopolistic situation as applicant is the sole producer of the PUC in the country; increase in vitamin A deficiency, as the Government of India and the FSSAI is working closely with all vitamin suppliers and Vitamin A & D Premix manufacturers to fortify five staples with vitamins and micronutrients.; Scarcity of the PUC as the applicant does not have sufficient capacity to meet the demands of the domestic industry and the wide number of sectors which use the PUC as an intermediate good, this will also affect government and FSSAI plans; exploitation by domestic industry as is evident from the applicant increasing the prices of the PUC when there was an incident in July 2024 at BASF's plant in Germany manufacturing the PUC. This shows the necessity of having multiple sources of supply. The Applicant has no ability to supply Tocopherol stabilized PUC which is required by many pharmaceutical companies.
- xliv. Producers are surprised to note that Authority is treating China as an NME. In light of China's Protocol of accession to the WTO, the "surrogate country" practice in Anti-Dumping actions does not have any multilateral legal basis since 11th December 2016. The producers/exporters therefore request the Authority not to use "surrogate country" methodology in calculating the normal value for this case, and to calculate the dumping margin based on the producers' own data of domestic sales or cost.
 - xlv. Application of 22% ROCE is no longer appropriate in light of the significant changes in economic conditions and legal precedents over the past few decades. Authority is requested to adopt a more accurate, updated approach that reflects current economic conditions and legal standards. The actual profit earned by the domestic industry during periods when dumping was not alleged would provide a more realistic and fairer basis for determining the non-injurious price.
 - xlvi. The period from 2021-2023 was marked by significant global disruptions, including the COVID-19 pandemic, supply chain challenges, government interventions, and logistical issues, which distorted normal market conditions. Comparing the injury to the domestic industry based on this abnormal period would not provide an accurate or fair assessment. Thus, Authority is requested to reconsider the relevance of this period in assessing injury to the domestic industry.
- xlvii. The imposition of duties is not in public interest as it would lead to creation of a monopolistic market as the applicant is the sole producer of the PUC; disrupt the availability of Vitamin A i.e., an essential nutrient, undermining efforts to address widespread deficiencies, particularly in undernourished areas; potential shortages, price increases, and disruptions in these essential sectors; and increased costs for manufacturers in sectors like pharma and FMCG foods.

K.2 Views of the domestic industry

- 103. The following submissions have been made by the domestic industry:
 - i. It is critical to note that none of the users of the PUC (except for one related importer) have participated in the present investigation, or made any averments concerning the impact on public interest should duties be imposed. If there was genuinely a significant impact of potential duties on downstream products, several users would have registered themselves and made their averments in opposition of duties. The fact that none of them are on record evinces that the levy of duties on the PUC will not adversely impact the users or the wider public interest.

- ii. The Authority must take cognizance of the same and reject any averments placed on record by the aforesaid related importer, whose claims of the negative impact of duties on users would be clouded on account of its relationship with DSM Nutritional Products Limited ("DNP AG"). It is indeed interesting to note that the main parties averring for Indian public interest are not Indian users but rather Chinese, Swiss and German exporters.
- iii. It is noteworthy that the opposing interested parties comprise of either importers/part of the importing chain or those who are related to the exporters. No actual users have opposed this petition on any grounds.
- iv. The Domestic Industry concurs with the Authority's observations, particularly regarding the fact that Vitamin A Acetate and Vitamin A Palmitate are not like articles. The Authority is requested to reconfirm the same in its Final Finding.
 - a. The Domestic Industry reiterates the submissions previously filed, particularly those in response to the non-confidential submissions of the opposing interested parties on like article. The same are reiterated below, to the extent applicable, in response to the observations of the opposing interested parties recorded at Para. 5 (i) to (xx) of the Disclosure Statement concerning like article.
 - b. Vitamin A Acetate and the PUC may be esters of Vitamin A molecules, but they are not like articles. Indeed, the Authority is the previous findings concerning the PUC i.e., Sunset Review of Anti-dumping investigation concerning imports of Vitamin A Palmitate originating in or exported from China PR and Switzerland, has settled this issue. It categorically held that Vitamin A Acetate and the PUC are not like article. It also held that when an intermediate input i.e., Vitamin A Acetate is converted into a final product i.e., the PUC through a chemical process, the said process constitutes manufacturing and the said two products cannot constitute like articles. Consequently, the Domestic Industry therein was held eligible to constitute a domestic industry under Rule 2 (b) of the Anti-dumping Rules.
 - c. It is settled law that classifying different products under one HS does not make them like articles for purposes of Anti-Dumping law.
 - d. Vitamin A Acetate 2.8 is used to produce the PUC. Whereas the PUC is used to produce certain downstream products inter alia including NICOVEG BARBIE VITAMIN PREMIX, OVP (MT-0266) R0308, and OVP (MT-0735) R0461). Moreover, the regulatory requirements relating to pharmaceuticals across the globe require registration of ingredients/composition (including the PUC) used to produce formulations given the same, it not commercially or technically prudent for businesses to use Vitamin A Acetate instead of Vitamin A Palmitate. Hence, both Vitamin A Acetate and the PUC are not commercially or technically substitutable with each other.
 - e. The Domestic Industry submits that the opposing interested parties are oversimplifying the Domestic Industry's production process of manufacturing the PUC. The manufacturing process of the PUC entails (i) a complex chemical reaction with a series of processes that are undertaken on Vitamin A Acetate crystals, whereby there is a substantial value addition to Vitamin A Acetate, (ii) employment of labour and (iii) technology among others. Indeed, the Authority in the previous final finding concerning the PUC has held that when an intermediate input i.e., Vitamin A Acetate is converted into a final product i.e., the PUC through a chemical process, the said process constitutes manufacturing and the said two products cannot constitute like articles. Accordingly, the claim that Vitamin A Acetate and the PUC are like article is erroneous.
 - f. The opposing interested parties have cited the Indian Patents Act, 1970 to mis-

represent the issue at hand i.e., the like article issue under the Anti-dumping Rules. Clearly, the objective and purpose of defining "like article" under the Antidumping law and jurisprudence is settled and the law differs from that under the Patent law. Anti-dumping laws consider various factors including inter alia similarity of physical characteristics, end use of the product, consumer preference, tariff classification, etc. while determining like products, rather than simply relying on production process, and the creation of a new and unique product - as considered in Patent law. Therefore, the opposing interested parties submission fails to consider the nuance involved in determining "like article" under the Antidumping law as opposed to the Patent law.

- g. Similarly, the Food Safety and Standards (Fortification of Foods) regulations 2018 is irrelevant for the purposes of determining "like article" under the Anti-dumping laws. It may be noted that Vitamin A Acetate cannot be consumed in its form, while Vitamin A Palmitate is for consumption and is used as an additive to foods. Indeed, the very fact that the opposing interested parties are relying on external statutory definitions (rather than like article provisions and precedents) is an inadvertent admission that Vitamin A Palmitate and Vitamin A Acetate are not like article.
- h. The Domestic Industry submits that there are differences in form, distributability, bioavailability and toxicity of Vitamin A Acetate and Vitamin A Palmitate. For substantiating the differences in chemical characteristics and toxicity, the Domestic Industry has placed on record the European Commission's Scientific Committee on Consumer Safety report. Self-serving arguments from parties with vested interests should be disregarded.
- i. The Domestic Industry notes that if Vitamin A Acetate and the PUC are considered the same, then there would be direct imports of Vitamin A Acetate, which is not the case. Other than PPL, there are no entities importing Vitamin A Acetate 2.8 into India. Further, the Domestic Industry submits that not a single user (other than related importer of a producer from Switzerland) has participated in the investigation demonstrating actual use of Vitamin A Acetate in applications where Vitamin A Palmitate is typically utilized. Indeed, the opposing interested parties have made hollow claims, without a shred of evidence substantiating actual, practical substitutability in the market. To the best of the knowledge of the Petitioner, it remains the only importer of Vitamin A Acetate in the country. Indeed, the Authority has observed at Para. 8 of the Disclosure Statement that "[i]t is seen from verification of import data that there is no direct import and use of Vitamin A Acetate in applications similar to Vitamin A Palmitate. Thus, the likeness or interchangeability of the two products has not been established."
- j. The Domestic Industry submits that Vitamin A Acetate is consumed to produce semi-finished goods at the Digwal plant.
- k. Questionnaire responses are not only in contravention of the Trade Notice No. 10/2018 dated September 7, 2018, but also grossly deficient with unjustified claims of confidentiality. The questionnaire responses of these producers and their traders are deficient and warrant rejection, whereby they should not be granted individual dumping margins.
- v. The NIP calculation disclosed by the Authority is merely a summary of the calculation. The NIP determined by the Authority differs substantially from the NIP claimed by the Petitioner, and yet the changes made by the Authority to determine the NIP are not substantiated by any disclosure in terms of actual calculations or workings, hindering the Petitioner's ability to offer meaningful comments on the NIP calculation. Indeed, the non-disclosure of essential facts in this manner also contradicts the ruling by the Hon'ble Supreme Court in *Reliance Industries Ltd v. Designated Authority*, which clearly states that the Anti-dumping Rules do not grant the Authority the right to claim confidentiality over

information supplied by a party, particularly regarding information relevant to that party. The Petitioner requests that the Authority provide a detailed explanation and basis for the NIP calculation. In particular, the Petitioner would be grateful if the Authority could kindly clarify how it has arrived at the optimized raw material consumption cost, and the final working capital figures which were used for determining return on capital employed. Any deviation from the same would render the current proceedings violative of the principles of natural justice, and the Anti-dumping Rules.

a. ***.

b.***.

vi. The questionnaire responses on record are grossly deficient and warrant rejection. No individual margins should be granted on the basis of the above-mentioned questionnaire response. Without prejudice, it is submitted that the extent of injury suffered and dumping recorded, the rate to DNP AG seems lower than what would be fair.

K.3 Examination by the Authority

- 104. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the interested parties. It is noted that comments which are reiterations and have already been suitably examined and adequately addressed in the relevant paras of the final findings, are not being repeated in the post-disclosure examination by the Authority for the sake of brevity. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.
- 105. As regards the argument that the Authority makes a specific finding on actual value addition from Vitamin A Acetate to produce the PUC, the Authority notes that the value addition to Vitamin A Acetate 2.8 to manufacture the PUC is ***%.
- 106. As regards the argument that a delay of one day be condoned for K. Sevantilal, the Authority notes that while K. Sevantilal filed belated questionnaire response, it registered itself as an interested party before the deadline. Given the same, the Authority has considered the submissions filed by K. Sevantilal.
- 107. As regards the argument that there is a mismatch in the trend of profit before tax and the return on capital employed, the Authority has verified the confidential figures of the Domestic Industry during the verification and notes that there is no discrepancy in the profit before tax and return on capital employed.
- 108. As regards the argument that the applicant's concerns on margins are due to their dependence on imports whereas other producers are backward integrated, the Authority notes that a domestic industry is required to be seen as it exists i.e., it is suffering injury irrespective of whether such industry is import dependent on raw materials or not. Indeed, the Hon'ble CESTAT in Nippon Zeon Co. Ltd. v. Designated Authority, has held that "[t] the question of injury to domestic industry cannot be decided by assuming ideal conditions, but has to be decided on prevailing conditions though giving reasonable adjustments." In any event, the Authority has verified that there has been no disruption in sourcing raw materials in the injury period.
- 109. The Domestic Industry and one of the users have requested for reference form of duty in the case. After considering the submissions made by the parties, the Authority notes that domestic industry is constituted by a sole producer which is dependent on imports for a significant raw material for the PUC. It is also noted that there have been significant fluctuations in the prices of the PUC. Further, it is difficult to rule out the volatility in prices on account of prices of the raw material in future. A fixed reference form of duty will not be an effective measure both in the event of downward or upward pressure on the costs. Considering these circumstances, the Authority notes that it will not be appropriate

to apply a fixed reference form of duty in this matter.

- 110. As regards the argument made by the European Commission that the non-confidential summaries i.e., of the essential data concerning prices and their evolution, calculations of normal value, alleged dumping calculations are insufficient, the Authority notes that these have been determined based on best facts available and the Domestic Industry's data wherever applicable. The Authority notes that the information which is business sensitive and not available in the public domain cannot be disclosed by the Authority.
- 111. As regards the argument that the increase in imports must be seen in light of the growing demand, the Authority notes that the demand supply gap does not disallow domestic industry from seeking duties against injurious dumping.
- 112. As regards the argument that the accuracy of the application is questionable as there is a discrepancy in the import data provided in the petition and that considered in the disclosure, the Authority notes that the DG systems data was considered for the purposes of initiation and the disclosure statement.
- 113. As regards the argument that price undercutting per origin is not provided in the application and the disclosure statement, the Authority notes that the non-confidential application of the Domestic Industry indicates the price undercutting for the subject countries including each subject country. The disclosure statement on the other hand had undertaken a cumulative assessment of the impact of dumped imports from the subject countries on the domestic industry.
- 114. As regards the arguments that Vitamin A Acetate and Vitamin A Palmitate are like article and its impact on the domestic industry's standing, the Authority has undertaken a comprehensive analysis in the section concerning product under consideration and domestic industry standing. Additionally, the Authority notes that none of the users (other than a related importer of a producer from Switzerland) has come on record to support that that Vitamin A Palmitate and Vitamin A Acetate are being used interchangeably. Further, it is seen from verification of import data that there is no direct import and use of Vitamin A Acetate 2.8 in applications similar to Vitamin A Palmitate. Moreover, it was held in the previous investigations concerning the PUC that when an intermediate input i.e., Vitamin A Acetate is converted into a final product i.e., the PUC through a chemical process incurring a significant value addition, the said process constitutes manufacturing and the said two products cannot constitute like articles. Consequently, it was held that the applicant therein was eligible to constitute a domestic industry under Rule 2 (b) of the Anti-Dumping Rules, 1995.
- 115. As regards the argument that the Authority must provide in a non-confidential manner as to how much impact the Authority has removed on account of revaluation for us to provide any comments in this regard, the Authority notes that the figures concerning adjustments made on account of revaluation are business sensitive information of the domestic industry.
- 116. As regards the argument that (i) DSM group had explained in Additional Submissions dated 3 February 2025 that they had already placed on record country wise quantity and value of PUC sold by DSM group to third party external customers or used as part of the premix sold to third party external customers in all the third countries during the POI, and (ii) that they will provide the details of other adjustments on a transaction wise basis for determining the normal value once the Authority selects the appropriate third country, the Authority notes that the DSM group did not file the relevant information in the questionnaire response. Accordingly, the Authority is unable to accept the submissions of DSM Group at this stage.
- 117. As regards the arguments that (i) the Authority provide adjustments made (if any) to DSM group's cost of production and (ii) that the Authority should recompute the profitability by taking into account the adjusted cost of production, the Authority notes that only verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of determining normal value for

DSM group in these final findings. The Authority also allowed necessary adjustments as it has deemed fit as per its consistent practice.

- 118. As regards the argument that DSM group is (i) not dumping to India and (ii) there is no threat of material injury with respect to DSM group as its capacity has remained constant in last 4 years, capacity utilization is high and there are no expansion plans, the Authority notes that it has been determined from material placed on record that there is dumping of the PUC exported to India by DSM group.
- 119. As regards the argument that duties on the PUC are in existence since 2003 and the applicant is suffering injury on account of its inefficiency and mismanagement and not on accounts of imports, the Authority notes that the imports of the PUC into the country have been made at dumped and injurious prices. Hence, the existence of past investigation or duties does not disentitle the domestic industry from seeking recourse against dumped and injurious imports in the injury period.
- 120. As regards the argument that the Petitioner does not have the capacity to produce the PUC stabilized with Tocopherol, the Authority notes based on the information placed on record that the Petitioner has the capability to produce the PUC stabilized with tocopherol and also produces and sells the same in the Indian market.
- 121. As regards the argument that the Authority should adopt ROCE earned by the industry when there was no allegation of dumping (as a reasonable profit margin) and not 22% ROCE, the Authority notes that it has relied upon its well settled practice for determining the NIP and there is nothing on record to deviate from this consistent practice.
- 122. With regard to the submission made by interested parties that any impact of the revaluation of assets on the cost structure, capital employed, net fixed assets and working capital, and depreciation must be removed for calculating the NIP as well for injury analysis, the Authority notes that it has verified the figures reported by the Domestic Industry and has eliminated the impact of revaluation as per rules, on the injury parameters assessed in these findings. Specifically, the Authority notes that NIP has been calculated in accordance with Annexure III of Anti-dumping Rules and disclosed as per consistent practice of the Authority. As regards the Domestic Industry's claims that there are differences in the NIP claimed by the Petitioner and that considered by the Authority, the Authority notes certain corrections have been made to the calculations in determining the optimal cost of raw material consumed based on evidence collected over the course of verification.
- 123. With regard to the argument that the floods in Raigad on the Petitioner's factory located in Mahad have also impacted the Petitioner, the Authority notes that the Domestic Industry has demonstrated that the impact of floods on the Petitioner's economic parameters is minimal.

L. CONCLUSION AND RECOMMENDATION

- 124. Having regard to the contentions raised, submissions made, information provided and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes as follows:
 - i. Vitamin A Acetate and Vitamin A Palmitate are not like articles, whereby the Domestic Industry is not an importer of the PUC from the subject countries.
 - ii. The goods produced by the domestic industry are like article to the subject goods being imported from the subject country in terms of Rule 2 (d) of the Anti-dumping Rules.
 - iii. The Domestic Industry meets the requisite requirements of standing under Rule 2 read with Rule 5 of the Anti-dumping Rules.

- iv. The imports have significantly increased in absolute and relative terms. Except for the base year, the landed value of the imports was below the selling price of the domestic industry in the injury period including the POI. The prices of imports have also reduced and were much below the cost of sales of the domestic industry in the injury period (except base year). This prevented the domestic industry from increasing its price in line with the increase in cost. The Domestic Industry's market share also decreased in the POI in comparison to the base year.
- v. Capacity utilization for PUC has decreased during the injury period. As regards domestic sales and production, the same has increased. However, the same remains far below the growth of demand, imports and the potential of the Petitioner.
- vi. The performance of domestic industry in terms of profit, cash profits and ROCE have been adversely affected by the dumped imports.
- vii. The domestic industry has suffered material injury as a result of dumped subject imports.
- viii. The dumping and injury margins are significant.
- ix. The Authority has examined the submissions made by the parties on any other factors which could have caused injury to the domestic industry. No other factor has caused injury to the domestic industry. The Authority concludes that the material injury suffered by the domestic industry has been caused by the dumped imports from the subject countries.
- x. The Authority has quantified the impact of the anti-dumping duty on the consumers. It is seen that the imposition of anti-dumping duty would not have any significant impact on the consumers.
- 125. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of the anti-dumping duty is required to offset the dumping and consequent injury. The Authority considers it necessary to recommend imposition of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.
- 126. Having regard to the lesser duty rules followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury so determined in these findings for the period under investigation, so as to remove the injurious effects of the dumped imports on the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from the subject country for a period of 5 years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below. The landed value of imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3 A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975:

Duty table

SN	Heading/ Subheading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	29362100,	Vitamin-A	China PR	Any country including China PR	Shangyu			USD
1	29362290,	Palmitate",			NHU Bio-	14.95	KG	
1	29362800,	covering both			Chem Co.,			
	29369000,	Vitamin A		Ciiiia PK	Ltd.			

	29362690, and 29362990	Palmitate 1.7 MIU/Gm and Vitamin A Palmitate 1.0 MIU/Gm in all its strengths and forms, with or without stabilization*						
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than SN 1	20.87	KG	USD
3	-do-	-do-	Switzerland	Any country including Switzerland	DSM Nutritional Products Limited	0.87	KG	USD
4	-do-	-do-	Switzerland	Any country including Switzerland	Any producer other than SN 3	8.2	KG	USD
5	-do-	-do-	European Union	Any country including European Union	Any producers	11.09	KG	USD

^{*}The scope of the PUC does not cover Vitamin-A Palmitate 1.6 MIU/Gm which is used for animal consumption and has different end-uses compared to the PUC"

M. FURTHER PROCEDURE

127. An appeal against these findings after its acceptance by the Central Government shall lie before the Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

DARPAN JAIN, Designated Authority